



योजना

मार्च 2023

विकास को समर्पित मासिक

केन्द्रीय बजट

प्रमुख आलेख

भारत के अमृत काल की नींव
डॉ वी अनंत नागेश्वरन

फोकस

सहकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में
डॉ सज्जन सिंह यादव, सुमित अग्रवाल

विशेष आलेख

समावेशी और सशक्त भारत का मसौदा
संजीत सिंह, दिव्यांशी डिव्दानिया

सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन : ठोस परिणाम के लिए प्रयास
डॉ सचिन चतुर्वेदी



अमृतकाल सप्तरुषि



संपादक

रेमी कुमारी, डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ
आवरण : बिन्दु वर्मा

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं है।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-70 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pdjucir@gmail.com

या संपर्क करें-

दूरभाष : 011-24367453

 (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
नयी दिल्ली-110003

इस अंक में...

प्रमुख आलेख

6 भारत के अमृत काल की नींव

डॉ वी अनंत नागेश्वरन



फोकस

13 सहकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में

डॉ सज्जन सिंह यादव, सुमित अग्रवाल



विशेष आलेख

18 समावेशी और सशक्त भारत का मसौदा

संजीत सिंह, दिव्यांशी डिवानिया

23 सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन गेस परिणाम के लिए प्रयास

डॉ सचिन चतुर्वेदी

29 कृषि का समावेशी विकास और आधुनिकीकरण

डॉ जगदीप सक्सेना

39 वैश्विक महामारी के बाद स्वास्थ्य

डॉ चन्द्रकांत लहरिया

43 नई जिम्मेदारियों के साथ सुशासन

शिशिर सिन्हा

47 वित्तीय क्षेत्र को मिलेगी मज़बूती

डॉ अमन अग्रवाल, डॉ यामिनी अग्रवाल

53 बजट से सशक्त होगी भारत की युवा पीढ़ी

जतिंदर सिंह

57 कौशल, रोज़गार और मानव संसाधन विकास

अरुण चावला

61 केंद्रीय बजट के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास

डॉ शाहीन रज़ी, नौशीन रज़ी

65 राजकोषीय घाटे की नीति में बदलाव और सतत विकास

डॉ अमिय कुमार महापात्र



स्थायी स्तंभ

71 विकास पथ

व्यवसाय के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण

आगामी अंक : स्टार्टअप इंडिया

प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 27

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अँग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित।



आपकी राय



मोटे अनाजों से रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि

कृषि प्रधान राष्ट्र के रूप में जाना जाने वाला भारत हर प्रकार के अनाज का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। वैश्विक परिदृश्य को समाहित करने और भारत की पोषण की स्थिति का अवलोकन करने पर, भारत अपने अच्छे स्तर पर स्थापित है। फिर भी आज भारत सहित विश्व के अन्य राष्ट्र को मोटे अनाज की खेती करने और भोजन में उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाना पड़ रहा है। देसी बीजों को छोड़ कर नए वैज्ञानिक बीजों का चलन मोटे अनाजों के भोजन की थाली से लुप्त होने का कारण बना।

जीएम बीजों के उत्पादन क्षमता के प्रलोभन से परंपरागत कृषि और पौष्टिक अनाजों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मोटे अनाज, खास कर बाजरा, मरुआ और ज्वार इत्यादि के फायदे को कम नहीं आंका जा सकता। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और जिंक की संतुलित मात्रा होने से, ये मोटे अनाज पोषण का भंडार और ऊर्जा बैंक हैं। व्यवहार में लाने से संभव है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि और बढ़ती उम्र में होने वाले विकार को कम किया जा सकता है।

गांव के बड़े-बुजुर्ग से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि स्वाद और पोषण में सर्वोपरि इन अनाजों को पहले जनवितरण (कोटा) केंद्रों के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध करवाया जाता था। फिर सरकारी उपेक्षा के कारण मांग, मूल्य, भंडारण और बाजार की अनुपलब्धता से परेशान होकर किसानों ने इसका उत्पादन करना लगभग बंद ही कर दिया है। कुछ किसान पशु चारे के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं और बीज संभाल कर रख लेते हैं। फिर भी जनजातीय प्रदेशों में अभी भी इन फसलों की खेती होती है। सरकार जागी है और यह सराहनीय कदम है।

सिर्फ पूर्वोत्तर ही क्यों, जलवायु संतुलन के साथ, सभी राज्यों में कम से कम 20 प्रतिशत कृषि भूमि पर इन मोटे अनाजों की खेती हो इसका समुचित बाजार और उचित मूल्य किसानों को प्राप्त हो, तो यह भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। कुपोषण

की वैश्विक समस्या का निदान भी इन मोटे अनाजों में ढूंढा जा सकता है। पल्लवी उपाध्याय जी के आलेख से पता चला की कैसे लोक गीतों और छंदों में इन अनाजों की उपलब्धियां बताई गई हैं और लोग इसका अनुकरण भी करते थे।

डॉ मनीषा वर्मा जी ने अनाजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा विश्लेषण किया। रविन्दर जी का महिलाओं के लिए उपयोगी मोटा अनाज आलेख अनुकरणीय है। प्रस्तुत सभी लेखकों के आलेख प्रशंसनीय है और योजना का यह अंक संग्रहणीय है। युवाओं को समर्पित आगामी अंक 'युवा और खेल' की प्रतीक्षा में।

— प्रशान्त कुमार पाठक
पूर्णिया, बिहार

मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा

आज के दौर में बढ़ती जनसंख्या के बीच खाद्यान्न आपूर्ति के संकट को मद्देनजर रखते हुए हमारे जैविक संस्थानों ने खाद्यान्न की उत्पादकता पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे मोटे अनाज के उत्पादन में कमी आने लगी।

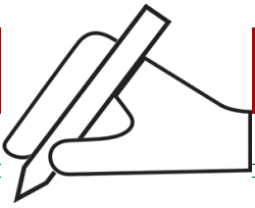
मोटे अनाज की पोषकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर से इसे बढ़ावा देने का कार्य किया है। इस अहम जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए पूरी योजना टीम का हृदय से आभार।

— मो. खुशींद
अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

बेसब्री से इंतज़ार रहता है

योजना पत्रिका का प्रत्येक संस्करण का बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। योजना का संपादकीय बेहद रोचक रहता है, जिसमें हर बार अदभुत जानकारियां शामिल होती हैं। जनवरी का अंक 'मोटा अनाज' बेहद ज्ञानवर्धक है। संपादक मंडल और समस्त लेखकों को रोचक अंक के लिए हृदय से साधुवाद।

— बादल सिंह
गुमला, झारखंड



अमृतकाल के लिए सप्तऋषि

दे श की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व भर में चमकते सितारे के रूप में उभरी है। कोविड महामारी और वैश्विक संघर्षों के बावजूद, भारत की 7 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 2023-24 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री ने ये उद्गार व्यक्त किए। जी-20 की अध्यक्षता ने भारत को वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका और मज़बूत बनाने का अनूठा अवसर प्रदान किया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श के साथ, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने तथा सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत एक महत्वाकांक्षी, जन-केन्द्रित कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है।

'अमृत काल' में हमारी दृष्टि टेक्नोलॉजी से संचालित और ज्ञान-आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की है जिसमें सार्वजनिक वित्तीय स्थिति और वित्त क्षेत्र मज़बूत हो। इसके लिए आवश्यक है- 'जन भागीदारी' और 'सबका साथ, सबका प्रयास।' यही दृष्टि इस वर्ष के बजट में प्रतिबिम्बित होती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तीन क्षेत्रों में प्रयास किया जाना ज़रूरी है। पहला क्षेत्र है- सभी नागरिकों, खासतौर से युवाओं के लिए रोज़गार के पर्याप्त अवसर जुटाना ताकि वे अपनी आकांक्षाएँ पूरी कर सकें। दूसरा क्षेत्र, प्रगति और रोज़गार के अवसर जुटाने पर विशेष बल देने का है और तीसरा, अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से टिकाऊ और सतत प्रगतिशील बनाना है।

इस अमृत काल से इंडिया@100 अर्थात् स्वतन्त्रता की शताब्दी तक की यात्रा में हमें निम्न चार अवसरों पर पूरा ध्यान देते हुए आमूल परिवर्तन लाना है- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास), पर्यटन और पर्यावरण-हितैषी अर्थात् हरित विकास। 'अमृत काल' के दौरान हमें बजट में प्रस्तुत सात प्राथमिकताओं को पूरा करने की राह पर चलना है जो 'सप्तऋषि' की तरह हमें राह दिखाती रहेंगी। ये प्राथमिकताएँ हैं- समावेशी विकास का समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच, बुनियादी ढाँचे को मज़बूत बनाना और निवेश क्षमताओं को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति को बढ़ावा देना तथा सशक्त वित्तीय क्षेत्र।

मूलभूत सुविधाओं और उत्पादक क्षमता बढ़ने से निवेश की प्रगति और रोज़गार के विकास पर बहुआयामी प्रभाव पड़ेगा। कोविड महामारी के दौरान धीमी प्रगति के बाद, निजी निवेश में फिर से तेज़ी आ रही है। रेलवे के विकास के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय रखा गया है। रेलवे के विकास के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है जो 2013-14 की तुलना में करीब नौ गुना है। बजट में व्यक्तिगत आय कर में बड़ी रियायत दी गई है। बजट के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों से स्वदेशी उत्पादों का मूल्य संवर्धन, निर्यात बढ़ाने, पर्यावरण-हितैषी हरित ऊर्जा का दायरा बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता का विस्तार होगा। नई आय कर व्यवस्था को अब मुख्य कर प्रणाली बनाया जा रहा है। हालाँकि, करदाताओं को पुरानी कर प्रणाली को अपनाए रखने का विकल्प भी दिया गया है।

बजट के अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों में कर संरचना को सरल बनाने और करों की दरें कम करने पर ज़ोर दिया गया है ताकि करों की अदायगी आसान हो सके और कराधान प्रणाली में सुधार आए। केन्द्रीय बजट में करदाताओं की सुविधा के लिए एक नया आय कर रिटर्न फॉर्म तैयार करने का भी प्रावधान है। साथ ही, प्रत्यक्ष करदाताओं की विभिन्न शिकायतों-समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को मज़बूत बनाने की भी योजना है।

बजट में मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म (बहुत छोटे) उद्यमों को अर्थव्यवस्था का विकास इंजन माना गया है। बजट में सूक्ष्म उद्यमों और अनेक पेशेवरों के निर्धारण के लिए निवेश-सीमा बढ़ाई गई है ताकि उन्हें प्रकल्पित कराधान (प्रिजिप्टिव टैक्सेसन) के लाभ मिल सकें। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बजट में यह व्यवस्था की गई है कि उन्हें भुगतान के मिल जाने के बाद ही, इन भुगतानों पर होने वाली कटौती की जाए। बजट में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं।

बजट में अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों और सभी वर्गों के समेकित कल्याण पर खास ध्यान देते हुए समग्र, सूक्ष्मस्तरीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। यह अमृत काल की सशक्त और समेकित अर्थव्यवस्था की दृष्टि के अनुरूप है। ■

2023

2022

2020

2021

2019

बजट 2023-24

भारत के अमृत काल की नींव

डॉ वी अनंत नागेश्वरन

मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार। ईमेल: cea@nic.in

केंद्रीय बजट एक प्रमुख नीतिगत दस्तावेज है, जो घरेलू और वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार की तात्कालिक और दीर्घकालिक प्राथमिकताओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है। वर्ष 2022 हमारे देश के लिए विशेष था, क्योंकि भारत ने अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (वर्तमान डॉलर में मापा गया) के रूप में इसका उत्थान हुआ। वैश्विक मंच पर एक बढ़ती प्रोफाइल के साथ और भारत की अध्यक्षता में जी20 सम्मेलन के आयोजन के साथ, देश 'अमृत काल'- हमारी विकासात्मक क्षमता को प्राप्त करने के 25 वर्ष में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है।

2023

2023-24 का बजट अमृत काल की ओर यात्रा की एक अच्छी शुरुआत करता है, जिसमें पूंजीगत व्यय, समावेशी विकास, हरित अर्थव्यवस्था, जीवनयापन में आसानी और कारोबारी सुगमता, विशेष रूप से छोटे उद्यमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह लोगों के लिए अधिक धन का प्रावधान करता है और किसानों को टिकाऊ और उद्यमशील खेती की ओर ले जाता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि बीते साल वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 2023-24 का बजट तैयार किया गया था। फरवरी 2022 में जब यूक्रेन युद्ध छिड़ गया था, तब महामारी मुश्किल से कम हुई थी। भोजन, ईंधन और उर्वरक की कीमतें तेजी से बढ़ीं। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति की दर में तेजी आई, उन्नत देशों के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को पहले की तुलना में सख्त बना दिया। कई विकासशील देशों ने कमजोर मुद्राओं, उच्च आयात कीमतों, रहन-सहन की बढ़ती लागत और एक मजबूत डॉलर और महंगी कर्ज अदायगी के साथ गंभीर आर्थिक तनाव का सामना किया। हालांकि, अधिकतर अन्य विकासशील देशों की तुलना में, महामारी के विरुद्ध जोरदार संघर्ष के बल पर उससे पूरी तरह उबर कर, 2022-23 में, मुख्य रूप से निजी खपत और पूंजी निर्माण के कारण प्रगति के पथ पर चलते हुए भारत एक उज्ज्वल सितारे के रूप में उभरा तथा 2023-24 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अग्रणी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है।

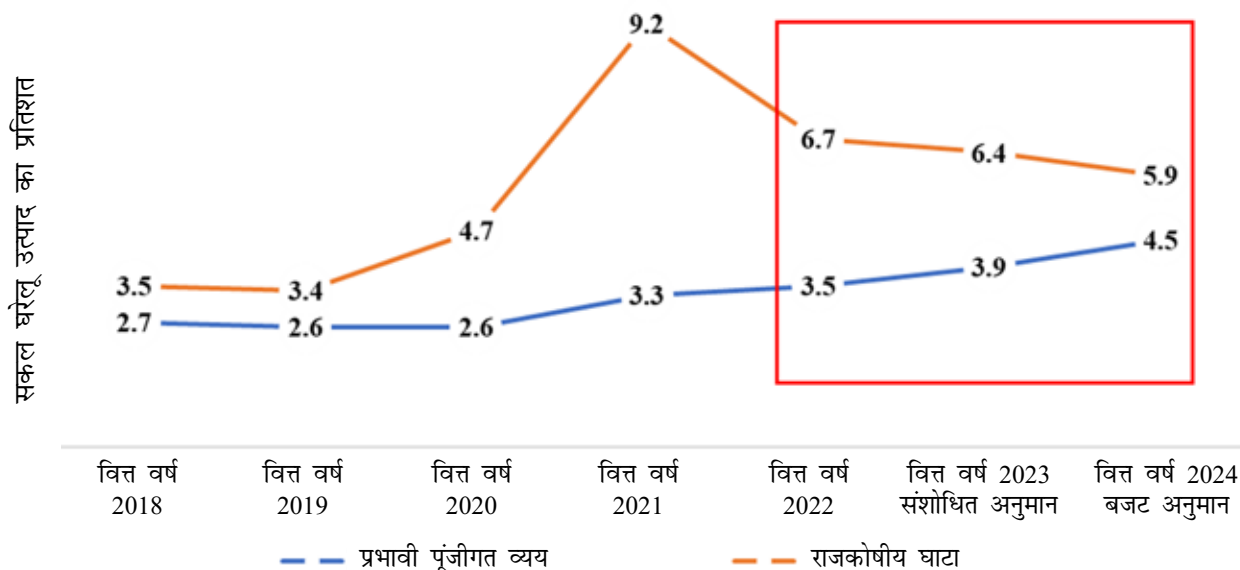
महामारी से होने वाले नुकसान के बावजूद, भू-राजनीतिक संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितताएं और बढ़ते वैश्विक आर्थिक तनाव के बीच, बजट 2023-24 ने कुशल राजकोषीय प्रबंधन को दर्शाया है और मध्यकालिक प्रगति के दृष्टिकोण पर कायम रहते हुए, राजकोषीय विवेक और जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। 2019 के बाद से वित्त मंत्री ने बजट में निम्नलिखित घटकों को प्रमुखता से शामिल करते हुए, एक साझा दृष्टिकोण का परिचय दिया है:

1. राजकोषीय विवेक के प्रति प्रतिबद्धता
2. परंपरागत धारणाएं
3. पारदर्शिता
4. पूंजीगत व्यय के प्रति प्रतिबद्धता
5. मध्यकालीन प्रगति पर नज़र रखने के साथ वृद्धिशील और सतत सुधार

इन सिद्धांतों से निर्देशित, बजट 2023-24 ने विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने, विश्वास-आधारित शासन संरचना को मजबूत करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को गति प्रदान करने के लिए 'सप्तऋषि' प्राथमिकताओं को अपनाया। यह बजट हरित विकास को बढ़ावा देने के अपने प्रयास में भी एक अग्रगामी रुख अपनाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषयों के अनुरूप युवाओं के लिए कौशल निर्माण पर जोर देता है।

सार्वजनिक निवेश को विकास के मूलभूत इंजन के रूप में मान्यता देते हुए और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की निरंतर

राजकोषीय विवेक सहित पूंजीगत व्यय में वृद्धि



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट

*प्रभावी पूंजीगत व्यय में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय और पूंजीगत संसाधन के निर्माण के लिए सहायता अनुदान शामिल है।

भारत@100 तक की यात्रा

4 रूपांतरकारी अवसर

- महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण
 - डीएवाई- एनआरएलएम के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना
- पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास)
 - विश्वकर्मा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना
- पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना
- हरित विकास जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा

प्रतिबद्धता के नीतिगत दृष्टिकोण का पालन करते हुए, इस बजट में अब तक के सबसे अधिक पूंजी निवेश परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगातार तीसरे वर्ष 33 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। बजट के प्रावधान इस सरकार के बुनियादी ढांचे के प्रति निरंतर कार्यक्रम- राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) और राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (एनएमपी) संबंधी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी), नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआईडी) का निर्माण और मॉडल रियायत समझौतों के माध्यम से पीपीपी इको सिस्टम को आगे बढ़ा कर बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण जैसे विकल्पों द्वारा मौजूदा संरचनात्मक और वित्तीय सुधार पोषित हैं।

आवृत्ति पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा सड़क, रेलवे और रक्षा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए हैं। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के व्याज मुक्त ऋण की योजना को एक और साल के लिए जारी रखा गया है। इन उपायों से प्रभावी तौर पर पूंजीगत व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत तक लाया जा रहा है। पूंजीगत व्यय पर व्यापक और समग्र रूप से जोर देने के परिणामस्वरूप काफी संख्या में निजी निवेशक आकर्षित होंगे, जो नए भारत की मजबूत नींव के लिए मूलभूत जरूरत है।

संपत्ति कर, शासन सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से, शहरों को नगरपालिका बांडों के लिए अपनी साख हेतु पात्रता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण की कमी के माध्यम से एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) भी स्थापित किया जाएगा। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचा

अमृतकाल के लिए विज़न

सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था

- ✓ युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर
- ✓ रोजगार सृजन में वृद्धि
- ✓ मजबूत एवं स्थिर वृहत-आर्थिक वातावरण

तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा।

दक्षता संबंधी लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार और उसके नागरिकों/व्यवसायों के बीच विश्वास का निर्माण आवश्यक है। इस संबंध में सरकार के कार्य 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित हैं और वृद्धिशील शासन और अनुपालन सुधारों में परिलक्षित होते हैं। इसके लिए, पिछले कुछ वर्षों में 39,000 से अधिक पुराने और अप्रासंगिक अनुपालन को हटाकर और 1,400 से अधिक पुराने कानूनों को खत्म करने के अलावा, बजट 2023-24 ने अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) प्रक्रिया को सरल बनाने, पैन कार्ड के माध्यम से व्यवसायों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता स्थापित करने और संसद में लैंडमार्क 'जन विश्वास विधेयक' पेश किए जाने जैसे उपायों पर भी जोर

जुड़े हुए हैं। एमएसएमई को हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में मान्यता देते हुए और महामारी के कारण उनके सामने आई कठिनाइयों और बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, बजट 2023-24 में राहत और सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसमें विवाद से विश्वास योजना I और II शामिल हैं, जो एमएसएमई द्वारा कोविड के दौरान संविदा निष्पादित करने में विफल रहने पर एमएसएमई को राहत प्रदान करने और स्वैच्छिक समाधान योजना के माध्यम से संविदात्मक विवादों के निपटान के लिए है। इसके अलावा, बजट में एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपये की एक संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है, जिससे छोटे व्यवसायों को 2 लाख करोड़ रुपये का

आवंटित पूंजी निवेश का बड़ा हिस्सा सड़क, रेलवे और रक्षा जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए है। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की योजना को एक और साल के लिए जारी रखा गया है।

केन्द्रीय बजट

दिया है। पहले शुरू किए गए उपायों के व्यावहारिक प्रभाव से लाभ प्राप्त हो चुके हैं। भारत पिछले आठ वर्षों में कारोबारी सुगमता को लेकर वैश्विक रैंकिंग में लगातार आगे बढ़ रहा है। ये सभी उपाय भारत को आने वाले कल के लिए तैयार करने और मध्यकालिक विकास क्षमता को साकार करने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

पिछले कई वर्षों में, उद्यम पोर्टल जैसी पहलों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए कारोबारी सुगमता कायम करने पर जोर दिया गया है। उद्यम पोर्टल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के साथ-साथ सरकारी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल-जीईएम के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, अब एमएसएमई पंजीकरण एक पेपरलेस प्रक्रिया बन गया है, और इस पोर्टल पर अब तक 1.4 करोड़ से अधिक एमएसएमई

कॉलेटरल फ्री क्रेडिट मिलने की संभावना है। इससे रोज़गार सृजन की सुविधा मिलने के साथ-साथ इन व्यवसायों को गति भी तेज़ होगी।

जलवायु परिवर्तन की समस्या की वैश्विक प्रकृति भारत को कुल मिलाकर वैश्विक उत्सर्जन (1850-2019 की अवधि के लिए) में लगभग 4 प्रतिशत तक कम हिस्सा होने और विश्व औसत से कहीं कम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बनाए रखने के बावजूद सबसे कमज़ोर क्षेत्रों में से एक बनाती है, जबकि भारत उच्च उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार है। इसने कम उत्सर्जन सहित प्रगति के पथ को सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। माननीय प्रधानमंत्री के 'लाइफ' या 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली' के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन लेते हुए, भारत 2070 तक 'पंचामृत' और 'नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन' के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है ताकि



पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली के आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके और हरित औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन की शुरुआत की जा सके।

भारत दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में से एक का नेतृत्व कर रहा है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ बना हुआ है। बजट 2023-24 हरित विकास के महत्व पर जोर देकर इस दृष्टि को आगे बढ़ाता है। प्राकृतिक खेती से लेकर पुराने वाहनों को हटाने तक, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, पीएम-प्रणाम और गोबरधन योजना जैसे निवेश आधारित कार्यक्रमों के साथ ऊर्जा परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है। लद्दाख सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक प्रमुख स्थान बनने के साथ, बजट में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन लाइनों की स्थापना के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार लंबे समय से पृथक इस केंद्रशासित प्रदेश को पावर ग्रिड से जोड़ने का उपाय किया गया।

भारत के सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास और प्रगति की कहानी केवल संख्या और उपलब्धि की नहीं है, बल्कि विचारशील विनियामक और नवाचार सृजन की भी है, जिसने निजी क्षेत्र को नवाचार और निवेश करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन के साथ अपनी व्यापक विशिष्टता को बनाए रखने में सक्षम बनाया है। भारत उन कुछ देशों में से एक रहा है, जहां प्रौद्योगिकी और डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ा नवाचार सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व में रहा है और जारी

रहेगा। यूपीआई और को-विन प्लेटफॉर्म की तकनीकी सफलता के आधार पर, बजट में डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जो अर्थव्यवस्था में डिजिटल बुनियादी ढांचे को शामिल करने के लिए भारत के लोगों की क्षमता और योग्यता में विश्वास की पुष्टि करता है। इस प्रकार, इस गति को जारी रखते हुए, बजट में ओपन-सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रस्तावित किया गया है, जो किसानों को बाजार के रुझान, फसल अनुमान और कृषि इनपुट तक पहुँच के बारे में सूचित करेगा। अद्वितीय चुनौतियों के संदर्भ में, केवल एक अरब लोगों वाला देश ही इसका सामना कर सकता है। भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी यात्रा का दृष्टिकोण तो वैश्विक रहा है, किंतु नवाचार और कार्यान्वयन घरेलू रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले आठ वर्षों में नए युग के सुधारों की परिवर्तनकारी प्रक्रिया से गुजरी है। सुधारों के पीछे व्यापक सिद्धांत आम लोगों का हित सुनिश्चित

करना, विश्वास-आधारित शासन को अपनाना, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ सह-साझेदारी करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। यह दृष्टिकोण सरकार की वृद्धि और विकास रणनीति में आमूल-चूल बदलाव को दर्शाता है, जिसमें विकास प्रक्रिया में विभिन्न हितधारकों के बीच साझेदारी बनाने पर जोर दिया गया है जहां प्रत्येक विकास लाभों में योगदान करता है और लाभ उठाता है। अपनी आर्थिक यात्रा के इस मोड़ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था ने अधिक औपचारिकता, उच्च वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी-आधारित आर्थिक सुधारों द्वारा बनाए गए आर्थिक अवसरों के परिणामस्वरूप दक्षता संबंधी प्राप्ति से लाभ उठाना शुरू कर दिया है। अब यह मध्यम अवधि में अपनी क्षमता पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

बजट 2023-24 भारत के अमृत काल में पेश होने वाला पहला बजट है। इस वर्ष के बजट में घोषित किए गए उपाय सुधार के मौजूदा एजेंडे के पूरक होंगे और भारत को तेज़ी से बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के बीच अपने कार्यक्रम निर्धारित करने के लिए तैयार करेंगे। बजट 2023-24 में महामारी और अन्य वैश्विक संकटों के बीच भारत की आर्थिक सुधार की निरंतरता सुनिश्चित करने से संतुष्ट नहीं है। यह देश के निरंतर और सतत आर्थिक विकास के लिए मंच तैयार करता है जो आने वाले दशकों में अपने नागरिकों के लिए जीवन की एक सस्ती और उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जो भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी तक अग्रणी है। ■

सहकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में

राजकोषीय संघवाद से अर्थ सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच राजकोषीय संबंधों से होता है और भारत के संदर्भ में इसका अर्थ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के आर्थिक संबंधों से है। सरकार के इन दोनों अंगों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि वे संविधान में निर्धारित अपने-अपने दायित्वों का बखूबी पालन कर सकें। 2023-24 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं और हाल के वर्षों में शुरू की गई पहलों से यही संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार भारत में इस सहकारी राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से निरंतर प्रयास कर रही है।

डॉ सज्जन सिंह यादव

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल : sajjan95@gmail.com

सुमित अग्रवाल

उपनिदेशक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ईमेल : agrawal.sumit@gov.in

न

या भारत क्रांतिकारी बदलाव के साथ सहकारी राजकोषीय संघवाद की दिशा में बढ़ रहा है जिससे राष्ट्र की राज्य सरकारों को राजस्व का आवंटन करके राजकोषीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का विस्तार होता जा रहा है। इस ऐतिहासिक उपाय से विकेंद्रित राजकोषीय प्रणाली विकसित हुई है और केंद्र से राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले राजस्व ढांचे में भी बड़ा परिवर्तन आ गया है। कर संग्रह की राशि का राज्यों को आवंटन अब अनुदान या सहायता के रूप में नहीं दिया जाता बल्कि निर्धारित फार्मूले के तहत राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार राज्यों

को अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते हैं जिसे वे अधिक लचीले और स्वायत्त ढंग से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं।

2023-24 के केंद्रीय बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1.3 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि आवंटित की गई है। इस घोषणा से सरकार की सहकारी राजकोषीय संघवाद अपनाने और राजकोषीय स्वायत्तता प्रदान करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

राजकोषीय संघवाद का तात्पर्य है सरकार की विभिन्न इकाइयों के बीच राजकोषीय या आर्थिक संबंध, जो भारत के

अंतर सरकारी हस्तांतरण के माध्यम

कर वितरण

यह केंद्रीय शुल्कों और करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी है। केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों और वास्तविक कर संग्रह के आधार पर इसे राज्यों के लिए जारी करती है।

अनुदान सहायता

केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को अनुदान देती है। जैसे कि राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों के लिए अनुदान, आपदा प्रबंधन से जुड़ा अनुदान आदि।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं सहित अन्य हस्तांतरण

ये अनुदान वित्त आयोग के सुझावों के अतिरिक्त होते हैं।

संदर्भ में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच राजकोष आवंटन पर आधारित संबंधों से जुड़े हैं। सरकार के इन दोनों घटकों को पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है ताकि दोनों ही संविधान में निर्दिष्ट अपने-अपने दायित्वों का भलीभांति निर्वाह कर सकें।

संविधान के अनुच्छेद 246, 246क और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कर निर्धारण और कर वसूली के बारे में केंद्र और राज्यों के अधिकारों की व्याख्या की गई है। परंतु राजकोषीय अधिकारों का निर्धारण करने में पक्षपात बरता जाता है और केंद्र ज्यादा फायदे और वसूली वाले मुख्य कर अपने पास रखकर अपेक्षाकृत कम लाभकारी अन्य कर राज्यों के पास छोड़ देता है जबकि राज्य सरकारों को प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का बड़ा दायित्व निभाना होता है जिसके लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है।

जो भी हो, केंद्र सरकार द्वारा जुटाए गए संसाधन केवल केंद्र सरकार की गतिविधियां चलाने के लिए ही नहीं होते हैं। भारत में इन संसाधनों के उपयोग पर केंद्र और राज्यों का सम्मिलित अधिकार निर्दिष्ट है। इसे ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने पूरी सूझ-बूझ और समझदारी से वित्तीय असंतुलनों के निवारण के लिए वित्त आयोग के माध्यम से तंत्र गठित करने की व्यवस्था की है।

वित्त आयोग

भारत के राष्ट्रपति हर पांच वर्ष बाद संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग गठित करते हैं। यह आयोग केंद्रीय करों से होने वाली शुद्ध आय को केंद्र और राज्यों के बीच वितरित करने की व्यवस्था सुझाता है। आयोग यह सुझाव भी देता है कि संचित निधि में से राज्यों को दी जाने वाली अनुदान सहायता देने के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए जाने चाहिए। आयोग राज्यों की क्षमता, खर्च से जुड़ी जरूरतों और सेवाएं उपलब्ध कराने में दक्षता को ध्यान में रखकर राजकोषीय असंतुलन दूर करने के उपायों का भी सुझाव देता है। अभी तक देश में पंद्रह वित्त आयोग गठित किए गए हैं।

सहकारी राजकोषीय संघवाद के नए युग का सूत्रपात

नया भारत क्रांतिकारी बदलाव के साथ राजकोषीय संघवाद की दिशा में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से बार-बार राज्य सरकारों की भूमिका पर बल दिया है और उन्हें 'बदलते भारत' के चालकों की संज्ञा दी है। उन्होंने राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना अपनाने का भी आग्रह किया है। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने सहकारी राजकोषीय संघवाद को प्रोत्साहन देने की दिशा में अनेक उपाय किए हैं। आइए, इनमें से कुछ पहलों के बारे में चर्चा करते हैं।

राजकोषीय विकेंद्रीकरण में स्पष्ट बदलाव

राजकोषीय विकेंद्रीकरण के विस्तार और राज्य सरकारों को राजस्व आवंटित करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखने लगी है।¹ केंद्र से राज्य सरकारों को किए जाने वाले वार्षिक आवंटन वित्त वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.7 प्रतिशत



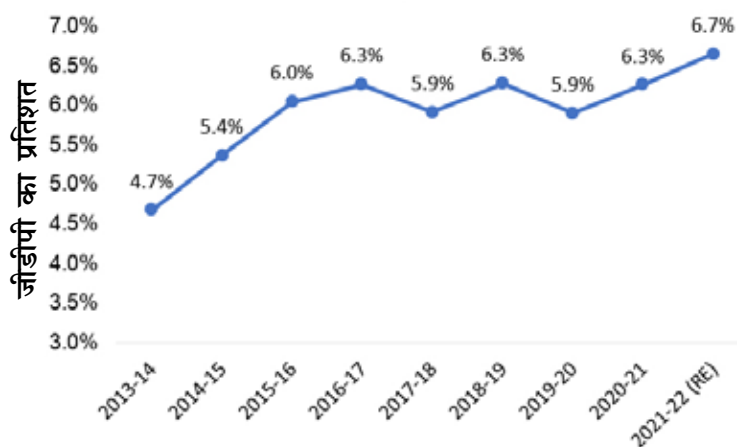
संविधान के अनुच्छेद 246, 246क और सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कर निर्धारण और कर वसूली के बारे में केंद्र और राज्यों के अधिकारों की व्याख्या की गई है। परंतु राजकोषीय अधिकारों का निर्धारण करने में पक्षपात बरता जाता है और केंद्र ज्यादा फायदे और वसूली वाले मुख्य कर अपने पास रखकर अपेक्षाकृत कम लाभकारी अन्य कर राज्यों के पास छोड़ देता है जबकि राज्य सरकारों को प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराने का बड़ा दायित्व निभाना होता है जिसके लिए उन्हें अधिक खर्च करना पड़ता है।

के मुकाबले 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 6.7 प्रतिशत हो गया।² वार्षिक सकल हस्तांतरण भी इस अवधि में 5.24 लाख करोड़ से जबरदस्त छलांग लगाकर 15.74 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

यह 14वें और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही संभव हुआ है। 14वें वित्त आयोग ने करों और शुल्कों के केंद्रीय विभाज्य पूल में से राज्यों को दिया जाने वाला हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने तत्काल इसे स्वीकार कर लिया और वित्त वर्ष 2015-16 से ही इसे लागू भी कर दिया। 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में राज्यों की बढ़ी हुई हिस्सेदारी बनाए रखने का सुझाव भी दिया था। आयोग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के नवगठित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय संसाधनों में से 1 प्रतिशत का प्रावधान करते हुए केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए 41 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश भी की है।

इस ऐतिहासिक परिवर्तन से विकेंद्रित राजकोषीय व्यवस्था स्थापित हुई है और राज्यों को केंद्रीय सहायता ट्रांसफर करने का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। कर संग्रह में से राज्यों को किया जाने वाला आवंटन अधिकांश नए फार्मूलों के अनुसार होता है अनुदान के तौर पर नहीं। राज्यों को बिना किसी गारंटी के मिलने वाले आर्थिक संसाधनों से अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार पूंजीगत व्यय करने की अधिक स्वतंत्रता और सुगमता

केंद्र से राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण (जीडीपी का प्रतिशत)



मिल जाती है। इस बदले हुए आर्थिक परिवेश के साथ ही राजकोषीय हस्तांतरण की योजना बनाने और उसका स्वरूप तैयार करने में बड़ा बदलाव आ गया है।

नीति आयोग, सहकारी राजकोषीय संघवाद का अग्रदूत

सरकार ने जनवरी, 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग गठित करने का साहसिक निर्णय लिया। आयोग सहकारी संघवाद का समर्थक बन गया। तत्कालीन योजना आयोग 1950 में अतिरिक्त संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया। योजना आयोग राज्यों को उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अनुदान सहायता प्रदान करता था। योजना आयोग के लगातार बढ़ते प्रभाव और हस्तक्षेप से वित्त आयोगों के संवैधानिक तंत्र की भूमिका गौण होती जा रही थी।

नीति आयोग राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से साझा राष्ट्रीय विज्ञान विकसित करने का प्रयास करता है।³ आयोग ने ऐसा मंच उपलब्ध कराया है जिसमें राज्य मिल-बैठकर राष्ट्रीय हित के लिए सोच-विचार करते हैं और उसे कार्यरूप देते हैं। योजना आयोग को समाप्त करने के परिणाम स्वरूप 2017-18 से योजना व्यय और गैर-योजना व्यय का अंतर भी समाप्त हो गया। उसकी जगह खर्चों को राजस्व और पूंजीगत खर्चों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध करने की समूचे विश्व में चल रही व्यवस्था स्थापित की गई।⁴

केंद्र प्रायोजित योजनाओं का औचित्य

नीति-आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों के उप समूह की सिफारिशों को मानते हुए केंद्र सरकार ने 2016-17 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) को लागू करने का औचित्य स्पष्ट किया। राज्य इस औचित्य को जानने की मांग काफी समय से कर रहे थे। पहले 28 बड़ी योजनाएं केंद्र प्रायोजित थीं

सक्षमता को सामने लाना

पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था

- न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई-न्यायालय का फेज-3 शुरू किया जाएगा
- एमएसएमई के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए 'विवाद से विश्वास-1' लाया जाएगा
- सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए 'विवाद से विश्वास-2' लाया जाएगा
- दुर्लभ संसाधनों के बेहतर आबंधन के लिए पुनिंदा स्कीमों के वित्तपोषण को 'इनपुट आधारित' से 'परिणाम आधारित' में बदला जाएगा
- दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए एक 'निकाय डिजिटलॉकर' स्थापित किया जाएगा

और अब सरकार ने उनकी जगह छह अत्यंत प्रमुख, बीस प्रमुख और दो वैकल्पिक योजनाओं की व्यवस्था कर दी।⁵ फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मध्यावधि प्रारूप और उनकी समाप्ति का समय भी वित्त आयोग के कालचक्र के अनुरूप निर्धारित कर दिया गया।

वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) की शुरुआत

वस्तु और सेवाकर-जीएसटी लागू करना अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सबसे अहम ढांचागत सुधारों में से एक माना जाता है जिसने संघीय राजकोषीय संबंधों को मूल रूप से पुनः परिभाषित कर दिया है।⁶ 1 जुलाई, 2017 को लागू किए गए जीएसटी से सहकारी राजकोषीय संघवाद को बल मिला है।⁷ राज्य सरकारों को कुल मिलाकर जीएसटी परिषद् के दो-तिहाई वोटों के बराबर की मान्यता प्राप्त है। हमने दोहरे जीएसटी प्रारूप का विकल्प चुना है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं पर दो प्रकार के कर लगाए जा रहे हैं- केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। जीएसटी में अनेक केंद्रीय कर और राज्य कर भी समाहित कर लिए गए हैं। इसने राज्यों के कर लगाने के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं जिससे उन्हें व्यापक कर आधार मिला है।

राज्यों में पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए सहयोग

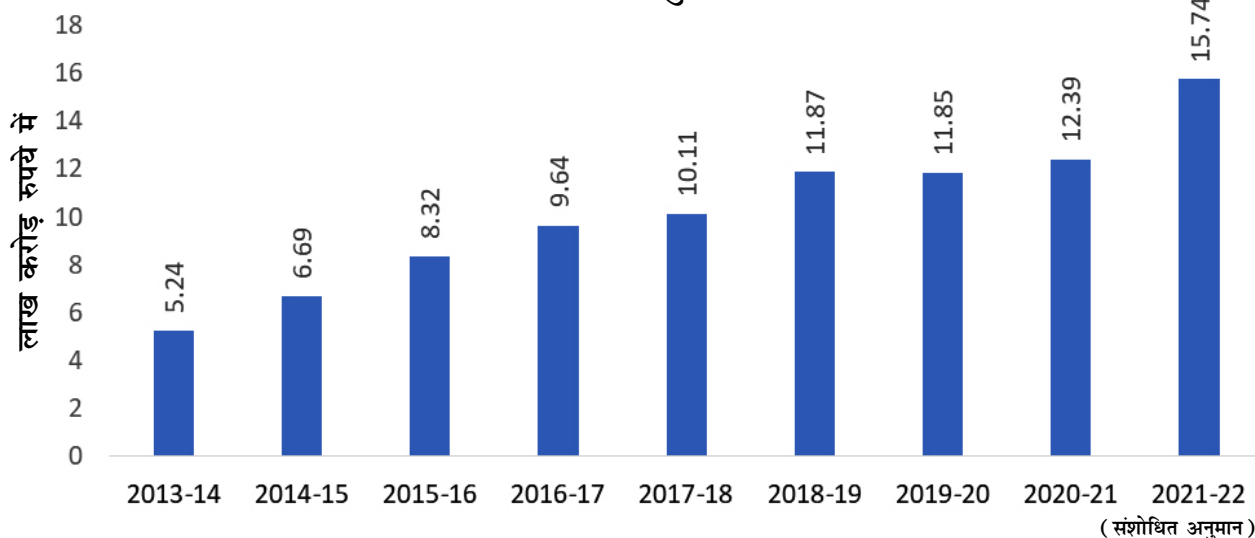
कोविड-19 महामारी के कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा था। हमारे देश में यह महामारी 2020 के शुरुआती दौर में पहुँची थी और इसकी वजह से राज्यों के राजस्व संग्रह लगभग समाप्त हो गए थे। दूसरी ओर, राजस्व व्यय की मांग बढ़कर आसमान छू रही थी। नतीजा यह हुआ कि पूंजीगत व्यय तेजी से घट रहा था जबकि आर्थिक वृद्धि के लिए इसमें बढ़ोत्तरी जरूरी होती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार पूंजीगत व्यय का मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी बहुआयामी प्रभाव छोटी अवधि में 2.45 और लंबी अवधि में 4.8 होता है।⁸

ऐसे में, सहकारी राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना के अनुरूप ही केंद्र सरकार ने 2020-21 में 'राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता' नाम से नई योजना तैयार की। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद इस योजना के तहत राज्यों के लिए 12,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई जिसमें से 11,830 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को दे दी गई थी। यह सहायता 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दी गई थी। राज्यों को इस राशि में से नई पूंजीगत परियोजनाओं, चली आ रही पूंजीगत परियोजनाओं और बकाया बिलों के भुगतान करने की अनुमति थी। राज्यों को स्थानीय जरूरतों के हिसाब से परियोजनाएं चुनने की छूट भी है। योजना के तहत उपलब्ध कराई गई सहायता राशि लंबी अवधि के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होने पर भी राज्यों की ऋण लेने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।

राज्यों की मांग पर यह योजना 15,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में भी जारी रखी गई। इसमें से 14,186 करोड़ रुपये की राशि राज्यों के लिए जारी कर दी गई थी। योजना के प्रारूप में, लचीलेपन की व्यवस्था होने और सहायता राशि तुरंत जारी किए जाने की सभी राज्य सरकारों ने सराहना की। इसलिए 2022-23 की बजट-पूर्व चर्चा में राज्यों ने एक स्वर में केंद्रीय वित्त मंत्री से इस योजना को जारी रखने और इसे विस्तार देने का अनुरोध किया।

सहकारी राजकोषीय संघवाद की भावना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों की मांग मानते हुए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित कर दी। इस योजना का नाम बदलकर 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना' कर दिया गया। 15वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों के आवंटन वाले फॉर्मूले के तहत राज्यों को 80,000 करोड़ रुपये की विशाल सहायता राशि दी गई और

केंद्र से राज्यों को कुल हस्तांतरण





शेष 20,000 करोड़ रुपये की राशि राज्यों में लोगों की बेहतरी वाले सुधारों को बढ़ावा देने के लिए रखी गई थी। 7 फरवरी, 2023 तक इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में 84,480 करोड़ रुपये की पूंजीगत परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी थी।

2023-24 के बजटपूर्व विचार-विमर्श में भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों ने इस योजना को जारी रखने की जोरदार मांग रखी। केंद्र सरकार ने, न केवल उनकी मांग स्वीकार कर ली बल्कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये की विशाल राशि भी आवंटित कर दी। बजट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद वित्त मंत्री ने दिशानिर्देश जारी किए जिनका उद्देश्य राज्यों में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही नागरिकों के हितों के अनुरूप सुधार लागू करना और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करना भी है। इनमें शहरी योजना निर्माण में सुधार, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार, पुराने वाहनों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहन, हर राज्य में एक 'यूनिटी मॉल' के निर्माण, पुलिसकर्मियों के लिए आवासों के निर्माण और हर ग्राम पंचायत और पालिका वार्ड में पुस्तकालय बनाना शामिल हैं।

1. महामारी के दौरान संघीय राजकोष का मजबूत कवच
कोविड-19 महामारी के दौर में केंद्र सरकार ने सहकारी राजकोषीय संघवाद की सच्ची भावना से काम किया। राज्यों में पूंजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता की विशेष योजना के साथ ही उसने राज्यों को महामारी पर प्रभावी ढंग से काबू पाने, आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और सार्वजनिक सेवा डिलीवर करने के उच्च मानदंड बनाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के अनेकानेक उपाय किए। राज्यों की ऋण लेने की सीमा में 2020-21 में राज्य के सकल घरेलू

उत्पाद में 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इससे राज्यों को 4.27 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय संसाधन उपलब्ध हुए। सरकार ने 2020-21 में 1.10 लाख करोड़ रुपये के ऋण लेने की विशेष व्यवस्था की जिसके माध्यम से यह राशि राज्यों को ऋण के रूप में दे दी गई ताकि वे जीएसटी मुआवजे की कमी से निपट सकें। इस व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1.59 लाख करोड़ रुपये जुटाकर राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दिये।

उपसंहार

2023-24 के केंद्रीय बजट की घोषणाओं और हाल के वर्षों में की गई पहलों से केंद्र सरकार की देश में सहकारी राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देने की पक्की प्रतिबद्धता का पता चलता है। भारत आने वाले वर्षों में इसी मार्ग पर और तेजी से बढ़ने वाला है। अधिक राजकोषीय लचीलेपन और व्यापक राजकोषीय क्षेत्र को देखते हुए राज्य अधिक गतिशील कई विकास इंजन उपलब्ध कराएंगे और 'अमृतकाल' में भारत के नव-निर्माण में सहयोग करेंगे। ■

टिप्पणियां

1. पंद्रहवें वित्त आयोग की 2021-26 की रिपोर्ट
2. भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट- 'राज्य वित्त : 2022-23 के बजट का एक अध्ययन' के आंकड़ों और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जीडीपी आंकड़ों पर आधारित
3. नीति आयोग के उद्देश्य - नीति आयोग की वेबसाइट
4. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट-संस्करण-1
5. नीति आयोग का 17 अगस्त, 2016 का ज्ञापन
6. श्री एन.के.सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग
7. 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, संस्करण-1
8. बोस एस और भानुमर्ति एन.आर. - भारत एनआईपीएफपी के लिए राजकोषीय गुणक

समावेशी और सशक्त भारत का मसौदा

केंद्रीय बजट 2023-24 में व्यापक आधार पर वृद्धि और विकास पर जोर दिया गया है, जिससे सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को लाभ मिल सके। देश ने आज़ादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में सात सिद्धांतों—‘सप्तर्षि’ की घोषणा की है। उन 7 प्राथमिकताओं में समावेशी विकास और विकास के लाभ को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना शीर्ष पर रखा गया है। सप्तर्षि एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक समावेशी और सशक्त भारत के लिए एक मसौदा निर्धारित करते हैं।

संजीत सिंह

वरिष्ठ सलाहकार, नीति आयोग। ई-मेल: sanjeet@gov.in

दिव्यांशी डिवानिया

यंग प्रोफेशनल, नीति आयोग। ई-मेल: devyanshi.d@nic.in

इस बजट की विशेषज्ञों और आर्थिक टिप्पणीकारों द्वारा सर्वसम्मति से सराहना की गई, क्योंकि ‘सभी के लिए बजट’ के रूप में इसे समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ प्रावधान करने के लिए तैयार किया गया है। यह नागरिक-केंद्रित नीति-निर्माण और शासन की दिशा में सरकार के लगातार प्रयासों का एक वसीयतनामा है। लोगों को नीति-निर्माण के केंद्र में रखते हुए, यह बजट भारत के विकास मॉडल के व्यापक विषय को सशक्त करता है।

यह बजट एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है, जब पूरा विश्व अनेक संकटों से जूझ रही एक अन्य रूप में धूमिल दुनिया के बीच एक चमकदार उज्ज्वल सितारे के रूप में भारत के उदय को देख रहा है। एक घातक महामारी की प्रबल प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने मजबूती से उठते हुए और वैश्विक आपूर्ति के झटकों का सामना करने के लिए लगातार सशक्त बने रहने के कारण, भारत वास्तव में विकास और समृद्धि के एक नए मार्ग की ओर बढ़ रहा है। इसके माध्यम से, इसने दुनिया के सामने, विशेष रूप से विश्व के दक्षिणी देशों में, विकास और प्रगति का एक मॉडल रखा है, जो उम्मीद जगाने के साथ-साथ और आगे बढ़ने का एक ऐसा उपाय है, जिसे सभी अर्थव्यवस्थाओं में आसानी से अपनाया जा सकता है।

आर्थिक और भू-राजनीतिक जोखिमों से गुजरते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2023 में 7 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2024 में 6-6.8 प्रतिशत के निरंतर अनुमानित विकास के पथ पर है। विकास का यह सकारात्मक पूर्वानुमान मजबूत घरेलू कारकों

द्वारा संचालित है और वैश्विक व्यवधान के बावजूद इनके मजबूत बने रहने की संभावना है। खपत में एक मजबूत वापसी, कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट की मजबूती और पूंजीगत व्यय का भारी प्रवाह इनमें शामिल हैं। यह बजट व्यापक आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय विवेक को बनाए रखने के लिए सरकार के स्पष्ट और अटूट समर्पण की पुष्टि करता है। वित्त वर्ष 21 में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बावजूद, राजकोषीय घाटा अब समेकन की ओर बढ़ रहा है और 2023-24 के लिए 5.9 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जोकि 2022-23 के लिए शुरू में अनुमानित 6.4 प्रतिशत से कम है। 2014 के बाद से अपनी आर्थिक नीतियों के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच कर 5 स्थानों की छलांग लगा चुकी है और इसने एक ठोस आधारशिला भी रखी है। यह बजट कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ इस मजबूत आधार को विकास की नई गति प्रदान करता है।

इस बजट में की गई सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक पूंजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले दो बजटों के औचित्य को जारी रखते हुए, सरकार बुद्धिमानी से पूंजी निर्माण के माध्यम से भारत के विकास को आगे बढ़ा रही है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण पर सरकार द्वारा खर्च किए गए प्रत्येक रुपये का 2.95 गुणक प्रभाव होता है, जो उपभोग पर खर्च की तुलना में रिटर्न की बहुत अधिक दर है।

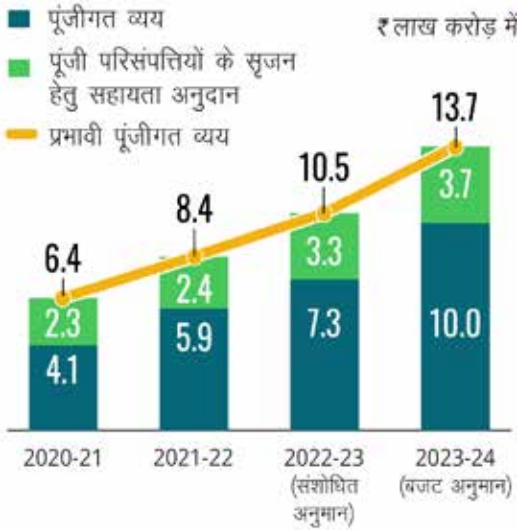
अमृत काल में यह पहला बजट है और अपने सभी नागरिकों के लिए जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने और उनके जीवन को आसान बनाने के भारत के दृष्टिकोण को प्रतिध्वनित करता है। बजट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के माध्यम से सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए खाद्य और पोषण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और

आठ वर्षों में सरकार की प्रमुख योजनाओं के माध्यम से भारत को एक ऐसा देश बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो सभी पहलुओं में आत्मनिर्भर हो और जहां समाज के सभी वर्गों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच हो। इन प्रयासों में खुले में शौच को खत्म करने के लिए शौचालय उपलब्ध कराना, नल के पानी तक पहुंच, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, स्वास्थ्य सेवा और बैंक खाते शामिल हैं। सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर सुलभ कराने के लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने की दिशा में, 2014 से सरकारी कार्यक्रमों की सार्वजनिक सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। हाशिए पर रहने वाले समूहों को सशक्त बनाने में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान किया गया है, जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में उनकी मदद करता है। अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के महत्वपूर्ण विस्तार के माध्यम से, भारत अब शत-प्रतिशत लक्ष्य तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है। इस बजट में सरकार ने इन योजनाओं से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट समय-सीमा के साथ लक्षित निवेश किया है। प्रमुख ग्रामीण आवास योजना-प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना के बाद से इसके लिए पहली बार अब तक का सर्वाधिक 54,000 करोड़ रुपये

योजना

पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति

केन्द्रीय
बजट
2023-24



[@PIB_india](#)
[@PIBHindi](#)
[@pibindia](#)
[@pibindia](#)
[PIBIndia](#)
[@PIB_india](#)
[@PIBHindi](#)
[@PIBHindi](#)

उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादक उद्यम बनाने और ब्रांडिंग और मार्केटिंग में उनकी सहायता करके उन्हें निरंतर सशक्त बनाना है। महिला सम्मान बचत-पत्र अमृत काल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक लघु बचत योजना है। युवाओं की क्षमता और उनके समकालीन कौशल विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए, दो कार्यक्रम- पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत पीढ़ी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और रोबोटिक्स जैसी क्षमताओं से लैस करना है, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। कौशल विकास क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नवाचार और

से अधिक के भारी परिव्यय का प्रावधान किया गया है। इस घोषणा से, 2023-24 में लगभग 45 लाख ग्रामीण परिवारों को लाभ होने की संभावना है।

आर्थिक रूप से महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ भारत का आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलाव हो रहा है। बजट ने इस दर्शन को दोहराया और विकास के इन प्रमुख स्तंभों को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की। वित्त वर्ष 24 के बजट में घोषित 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' का

प्रभाव को प्रमुख कारकों के रूप में पहचाना गया है। यह पर्यटन में 'देखो अपना देश' पहल और भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, अत्याधुनिक विनिर्माण और चिकित्सा उपकरणों में अनुसंधान के लिए बहु-विषयक पाठ्यक्रमों जैसे- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जुड़ी हुई गतिविधियों में परिलक्षित होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केन्द्रीय बजट अंत्योदय के सिद्धांतों को पूरा करते हुए एक नए भारत के निर्माण और हरित विकास की लहर की शुरुआत करने के लिए एक अरब लोगों की प्रगति और आकांक्षाओं पर जोर देता है। ■



सामाजिक क्षेत्र के लिए आवंटन: ठोस परिणाम के लिए प्रयास

देश में सामाजिक क्षेत्र को मजबूत करना और उसका विस्तार करना हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है। यह इस साल के बजट में भी दिखता है। पोषण क्षेत्र में, अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित विकास कार्य योजना जनजातीय समूहों को पौष्टिक भोजन तक पहुँच प्रदान करेगी। वहीं, पोषण को बढ़ावा देने की दिशा में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एक और कदम है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण को भी एक महत्वपूर्ण बजटीय आवंटन प्राप्त हुआ है जो एक अन्य प्रमुख पहल है। नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन और कौशल प्रदान करने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है।

डॉ सचिन चतुर्वेदी

महानिदेशक, विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस), नई दिल्ली। ईमेल: sachin@ris.org.in

इस साल फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण द्वारा पूंजीगत व्यय आधारित आर्थिक विकास की रणनीति विकसित करने के प्रयासों की व्यापक रूप से सराहना की गई है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय 2020-21 में वास्तविक व्यय के 4.26 लाख करोड़ रुपये (58.2 बिलियन अमरीकी डॉलर) से दोगुना होकर 2023-24 में 10.01 लाख करोड़ रुपये (122 बिलियन अमरीकी डॉलर) हो गया है। राज्यों को भी उसी रास्ते पर चलने और राष्ट्रीय प्रयासों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 2023-24 के बजट में राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया गया है। यह सामाजिक क्षेत्र के लगातार बढ़ते परिव्यय के साथ हो रहा है। वित्त मंत्री द्वारा पेश किये गए उनके पांचवें बजट में सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में पहुँच को सुगम बनाने और समावेश को सुनिश्चित करने का मंत्र जारी रखा गया है।

सामाजिक क्षेत्र के लिए तैयार की गई लगभग सभी बजटीय योजनाएं भी प्रभावोत्पादकता खोए बिना व्यापकता की दिशा में आगे बढ़ी हैं। कई योजनाओं को व्यापक बनाने के प्रयास के क्रम में महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत समावेशी विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिससे सामाजिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं। बजट में बेहतर परिणामों

के लिए योजनाओं को पूरा किए जाने की संभावना पर भी जोर दिया गया है।

सामाजिक क्षेत्र के लिए परिव्यय

बढ़ती प्रति व्यक्ति आय और 2026-27 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आकार के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, सामाजिक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जीवन की बेहतर गुणवत्ता, गरिमापूर्ण जीवन और अर्थव्यवस्था के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

इस क्षेत्र के लिए व्यय 2015-16 में 3.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 7.9 लाख करोड़ रुपये हो गया है। नवीनतम बजट को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक क्षेत्र के खर्च की वार्षिक औसत वृद्धि दर 2015-16 से 2023-24 तक लगभग 14.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय; उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन वाले 9.6 करोड़ लाभार्थी जैसी उपलब्धियां अब सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये के नकद अंतरण की सुविधा के लिए जन धन बैंक खातों

सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रही है।

- सरकारी व्यय में वृद्धि
- एबी-जेएवाई लाभार्थियों की संख्या 22 करोड़
- स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान
- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम
- कोविड-19 टीकाकरण अभियान

2/2

वाले लोगों की संख्या 47.8 करोड़ है। 220 करोड़ से अधिक कोविड टीकाकरण से लगभग 102 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर पूरा किया गया है।

स्वास्थ्य

वर्ष 2023-24 का बजट एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है, क्योंकि स्वास्थ्य पर व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 2019-20 के दौरान 1.4 प्रतिशत से 2022-23 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र सरकार के खर्च में काफी वृद्धि हुई है। यह 2015-16 में 24,041 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 58,119 करोड़ रुपये हो गया है। 2018-19 में शुरू की गई आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरी है। प्रत्येक नागरिक को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक के कवर के माध्यम से द्वितीयक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। यह अब 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लक्षित करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रम है। इसके लिए, 2023-24 के लिए 7,200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो 2018-19 में इस योजना की शुरुआत के बाद से 2.6 गुना से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

अमृत काल के लिए नई पहलों में, प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में जागरूकता कायम करके 0-40 वर्ष के आयु वर्ग के सात करोड़ से अधिक लोगों की व्यापक जांच आदि जैसे क्रियाकलापों द्वारा 2047 तक एनीमिया को खत्म करने

का प्रस्ताव है और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की ओर से तालमेल आधारित प्रयास से परामर्श देना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन नामक एक विशेष योजना शुरू की जाएगी। सिकल सेल रोग (एससीडी) कभी-कभी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या लोगों के विशिष्ट समूहों से जुड़ा होता है, जो वास्तव में सामान्य रूप से विरासत में मिला एक रक्त विकार है।

सरकार ने 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ उसी स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की भी घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन (2022) के अनुसार, भारत को 2024 तक इसकी 1.44 बिलियन से अधिक अनुमानित जनसंख्या की देखभाल के लिए कम से कम 4.2 मिलियन अधिक प्रशिक्षित नर्सों की आवश्यकता होगी। फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2023-24 के दौरान एक नया कार्यक्रम शुरू करने का भी प्रस्ताव है। कुछ विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

पोषण

बजट में सभी स्तरों पर समावेशन के प्रयास किए गए हैं। पोषण क्षेत्र में प्रस्तावित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, जिसमें कई डोमेन में आवश्यक सरकारी सेवाओं की पर्याप्त पहुँच के लिए 500 ब्लॉक में पोषण भी शामिल होगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रस्तावित 15,000 करोड़ रुपये की विकास कार्य योजना भी कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को पौष्टिक भोजन प्रदान करेगी। इसी तरह, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ, 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करेगी। पांचवें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य

सामाजिक अवसंरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23

- जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई
- वित्त वर्ष 2023 से 2027 तक 14500 से अधिक पीएम श्रौ स्कूलों का निर्माण किया जाएगा
- आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी की संख्या में वृद्धि
- शहरी रोजगार महामारी-पूर्व स्तर के नजदीक पहुंचा
- ईपीएफओ आधारित नेट पेरॉल में वृद्धि: वित्त वर्ष 2023 (नवंबर तक) में 105.4 लाख

1/2

सर्वेक्षण (एनएफएस) 2019-21 के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के लगभग 19.3 प्रतिशत बच्चे बर्बादी का सामना कर रहे थे और 35.5 प्रतिशत अविकसित थे।

बजट में पोषण को बढ़ावा देने के लिए 'श्री अन्न' एक और महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2018 में मनाया गया था। भारत ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक पहल की थी। बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को समर्थन देने का प्रावधान किया गया है।

एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) को 20,554 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसे अब सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के रूप में जाना जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन योजना) को 11,600 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन प्रदान किया गया है।

शिक्षा और कौशल

इस बजट में शिक्षा के लिए आवंटन 1,12,898.97 करोड़ रुपये है। उच्च शिक्षा बजट को 2023-24 के लिए 44,094.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2022-23 के संशोधित अनुमानों में 40,828.35 करोड़ रुपये से काफी अधिक है। बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 68,804.85 करोड़ रुपये के समर्थन का प्रस्ताव किया गया है।

कोविड संकट के दौरान सीखने को लेकर क्षति की अच्छी तरह भरपाई के लिए, विशेष रूप से स्किलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की भी घोषणा की गई है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा और व्यापार के अवसरों का समर्थन करने के लिए आर्थिक नीतियों के साथ कौशल का तालमेल बिठाने पर विचार किया गया है।

सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कौशल पर भी ध्यान दिया गया है। एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच, आई-गॉट कर्मयोगी, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके कौशल को उन्नत करने और एक जन-केंद्रित दृष्टिकोण की सुविधा के लिए निरंतर सीखने के अवसरों के लिए लॉन्च किया गया है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह पढ़ने की आदत को और बढ़ावा देने के लिए बच्चों और किशोरों के

केंद्र सरकार द्वारा कुल स्वास्थ्य परिव्यय



लिए विभिन्न स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण किताबें उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। दूरस्थ क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में शिक्षा को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक व्यापक स्कूली शिक्षा कार्यक्रम, समग्र शिक्षा के तहत महिला शिक्षा को 37,453 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

बजट में शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। यह उद्योग जगत को शिक्षाविदों से जोड़ने में मदद करेगा और एआई के लिए एक इको सिस्टम विकसित करने में मदद करेगा।

अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। रोजगार के दौरान प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रमों के तालमेल पर बल दिया जाएगा। समावेशन की प्रतिबद्धता के अनुसार, बजट 2023-23 में कुशल कारीगरों पर जोर दिया गया है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) कारीगरों और शिल्पकारों को एमएसएमई मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत करते हुए उनके उत्पादों की गुणवत्ता, व्यापकता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाएगा। वित्तपोषण के अलावा, इसमें कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक डिजिटल तकनीकों का ज्ञान और उत्पादन संबंधी कुशल हरित प्रौद्योगिकियाँ और ब्रांड का प्रचार, स्थानीय और वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, डिजिटल भुगतान और विपणन पक्ष पर सामाजिक सुरक्षा शामिल होंगे।

हरित विकास

भारत ने हरित विकास की दिशा में कई उपाय किए हैं और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा की है। पर्यावरण के लिए जीवन शैली (लाइफ) के विचार का विस्तार करते हुए, भारत



‘पंचामृत’ (जलवायु के अनुकूल कार्रवाई के लिए पांच महत्वपूर्ण घटक) और शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बजट में कुछ कार्यक्रमों को विस्तृत किया गया है, जिनमें हरित ईंधन, हरित ऊर्जा, हरित खेती, हरित गतिशीलता, हरित भवन और हरित उपकरण शामिल हैं। औद्योगिक परिवर्तन से संबंधित रणनीतियों से भी इसका सरोकार है।

राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपये के परियोजना के साथ 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने के लक्ष्य के साथ योजना बनाई गई है। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को भी ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को भी पुराने वाहनों को स्कैप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हरित आवागमन को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी-प्रदत्त संपीड़ित बायो गैस पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है। इससे मिश्रित कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर करों के व्यापक प्रभाव से

बचने में मदद मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के लिए लीथियम-आयन सेल बनाने के लिए जरूरी पूंजीगत सामान और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव है।

वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्रधानमंत्री प्रणाम’ नामक एक नई योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा, सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘गोबरधन योजना’ के तहत 500 वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।

कृषि और सहकारिता

कृषि क्षेत्र में बजट में आधुनिकीकरण और बाज़ार से जुड़ने की रणनीतियों के लिए डिजिटल बुनियादी ढाँचे का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के लिए ऋण सहायता बढ़ाए जाने को भी काफी महत्व दिया गया है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड और इंटर-ऑपरेबल पब्लिक गुड के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बेहतर फसल योजना, इनपुट प्रबंधन, फसल संबंधी पूर्वानुमान, बाज़ार की जानकारी और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए एग्रीटेक इकोसिस्टम को आगे बढ़ाना है। बजट में सहकारी संस्थाओं तथा 63,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) को सुदृढ़ करने के लिए 2,516 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं द्वारा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाले कृषि स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपये की राशि भी संबद्ध क्षेत्र के लिए लक्षित है, जो सहकारिता क्षेत्र के विकास को भी बढ़ाएगी।



सामाजिक क्षेत्र के लिए तैयार की गई लगभग सभी बजटीय योजनाएं भी प्रभावोत्पादकता खोए बिना व्यापकता की दिशा में आगे बढ़ी हैं। कई योजनाओं को व्यापक बनाने के प्रयास के क्रम में महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत समावेशी विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिससे सामाजिक क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं।

बजट में अनुसंधान और अच्छी गुणवत्ता वाली योजना से जुड़ी विषय-सामग्री की भूमिका को अच्छी तरह से मान्यता दी गई है। कपास के मामले में, अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से क्लस्टर-आधारित और मूल्य श्रृंखला का दृष्टिकोण अपनाने का विचार है। इसी तरह, बागवानी फसलों के लिए अच्छी जर्मप्लाज्म गुणवत्ता का समर्थन किया जाना है। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय से आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पीएम मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का समर्थन करने के लिए एक गुणवत्ता मत्स्य कार्यक्रम को सक्षम करेगा।

दक्षता और अभिसरण

सामाजिक क्षेत्र में दक्षता के साथ-साथ पूरक होना भी महत्वपूर्ण है। कई विशेष रूप से केंद्रित योजनाओं के लिए आवंटन में वृद्धि के साथ, बजट में मौजूदा सामान्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन को युक्तिसंगत बनाया गया है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के लिए 2023-24 में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ, जबकि संशोधित अनुमान के चरण में 89,400 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित था। यदि हम अन्य प्रमुख कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हैं तो एक तेज़ उछाल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के प्रस्तावित समग्र परिव्यय में लगभग 66 प्रतिशत की वृद्धि हुई

है और इसके ग्रामीण घटक में भी बड़ी उछाल देखी गई है। कुल आवंटन अब 79,590 करोड़ रुपये है, जो 2022-23 के बजट में केवल 48,000 करोड़ रुपये था। यह सरकार के महत्वाकांक्षी 'सभी के लिए आवास' कार्यक्रम को मार्च 2024 तक पूरा करने के लक्ष्य के अनुरूप है। तदनुसार, पीएमएवाई-ग्रामीण के लिए 54,487 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नए घर बिजली और रसोई गैस से लैस हैं, और अब इस बजट में वित्त मंत्री ने इस योजना को हर घर जल से जोड़ने की घोषणा की है, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक घर में पानी का कनेक्शन भी प्रदान किया जा सके। दक्षता एक मंत्र है, क्योंकि मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन के लिए 'उज्ज्वला' और व्यापक विद्युतीकरण के लिए 'सौभाग्य' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वितरण के अभिसरण के प्रयास किए जा रहे हैं। 2017 में, जब कार्यक्रम शुरू किया गया था, तब लाभार्थी पहले से ही जन धन, मोबाइल और आधार से जुड़े हुए थे।

सामाजिक क्षेत्र के खर्च को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लिए जेएएम ट्रिनिटी (जन-धन आधार मोबाइल) के परिणामस्वरूप लीकेज में महत्वपूर्ण कमी आई है, समान/कम खर्च के साथ वांछित परिणाम प्राप्त करने में दक्षता पर जोर देने के लिए एक समान अभिनव दृष्टिकोण आवश्यक हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में सफलता को प्रेरित करने वाले शासन के नए सिद्धांतों को सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। ■

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एस्प्लेंडेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुवनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बेंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मंजिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669

कृषि का समावेशी विकास और आधुनिकीकरण

हमारे देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, पॉल्ट्री, मधुमक्खी पालन आदि) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। आर्थिक चुनौतियों के वर्तमान दौर में देश की आर्थिक प्रगति और अन्नदाता की संपन्नता के लिए कृषि के समावेशी विकास को एक अनिवार्य कड़ी माना जा रहा है। केंद्रीय बजट (2023-24) इस दिशा में भारत सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में ऐसे अनेक प्रावधान किये गए हैं, जो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में समावेशी विकास, आधुनिकीकरण और कृषकों के आर्थिक सशक्तीकरण को संबल प्रदान करते हैं।

डॉ जगदीप सक्सेना

पूर्व प्रधान संपादक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मेल: jagdeepsaxena@yahoo.com

ब

जट में कृषि और कृषकों को आधुनिक प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए कदम उठाये गए हैं ताकि उन्हें सभी लाभ सतत और पारदर्शी रूप से मिल सकें। कृषि को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल और हितैषी बनाने के लिए बजट प्रावधान किये गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को इस वर्ष कुल 1.25 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें कृषि शिक्षा और अनुसंधान का आवंटन भी शामिल है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दी जाने वाली 60,000 करोड़ रुपये की राशि भी कृषि बजट में शामिल की गयी है। संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत डेयरी, पशुपालन और मत्स्यिकी के विकास के लिए नई योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं।

फसल सुधार और बाजार

भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज (मिलेट्स) वर्ष घोषित किया गया है। भारत सरकार मोटे अनाजों को पहले ही पोषक अनाज के नाम से पुकारने की पहल कर चुकी है, और वर्तमान बजट के माध्यम से इन्हें 'श्री अन्न' का सम्मानित नाम दिया गया है। वर्तमान में भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक (180 लाख टन, 2020-21) और पांचवें नंबर का निर्यातक देश है। मोटे अनाजों की अनूठी विविधता (ज्वार, बाजरा, रागी, कोदों, सावां, चेना, कंगनी, कुटकी आदि) और सुदीर्घ परंपरा के कारण हमारे देश में 'ग्लोबल हब ऑफ़ मिलेट्स' बनने की प्रबल संभावना और अवसर है। इसके लिए

कृषि एवं खाद्य प्रबंधन: खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

- 2018 से किसानों को सभी जरूरी फसलों की उत्पादन लागत का कम से कम डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य
- कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि
- वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन
- पीएम-किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता
- ए आई एफ के अंतर्गत फसल कटाई के बाद समर्थन परियोजना और सामुदायिक खेतों के लिए 13,581 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना (ई-नाम) के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया

@PIB_India @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia @PIBIndia



जो विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 36 प्रतिशत है। परंतु जब प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात आती है, तो हमारा देश लुढ़ककर बहुत पीछे 38वें पायदान पर आ जाता है। अधिकांश किसान ज्यादा लंबे रेशे वाली कपास को उगाने में हिचकते हैं, क्योंकि यह तैयार होने में ज्यादा समय लेती है, इस पर 'पिंक बॉलवर्म' नामक कीट का ज्यादा प्रकोप होता है और उपज कम होती है। इसलिए बजट में सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी (पीपीपी मोड) के माध्यम से इसकी उत्पादकता बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके लिए समूह आधारित और मूल्य-शृंखला (वैल्यू चेन) दृष्टिकोण से प्रयास किया जाएगा, यानी बीजों से लेकर उत्पादन प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग तक के हर चरण पर सुधार किये जाएंगे। इसके अंतर्गत किसानों, सरकार और उद्योगों के बीच परस्पर सहयोग और साझेदारी विकसित की जाएगी जिसके माध्यम से कृषि आदानों (पानी, खाद-उर्वरक, कीटनाशक आदि), प्रसार सेवाओं (तकनीकी सलाह, मार्गदर्शन, खेत-प्रदर्शन आदि) और बाजार से जुड़ने संबंधी चुनौतियों का समाधान करने का

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक हस्तक्षेपों की अनिवार्यता को देखते हुए भारत सरकार ने बजट में हैदराबाद स्थित आईसीएआर-भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान को 'उत्कृष्टता केंद्र' (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इसके अंतर्गत मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करना होगा और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाना होगा। विश्व बाजार में भारतीय मोटे अनाजों की पैठ बनने से छोटे व सीमांत किसानों से लेकर स्टार्टअप्स उद्यमियों और निर्यातकों तक की आय में वृद्धि होगी। कपास एक अन्य फसल है, जिसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए ज्यादा लंबे रेशे वाली कपास को चुना गया है, जिसकी देश-विदेश के टेक्सटाइल उद्योग में भारी मांग है। इसके रेशों की लंबाई 35 मिलीमीटर होती है, जिसे बेहतरीन क्वालिटी के फेब्रिक तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इस कपास की 20 लाख गांठों (प्रत्येक गांठ 170 किलोग्राम) की मांग है, जबकि उत्पादन केवल पांच लाख गांठों का है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग को इजिप्ट (मिस्र) और अमरिका से कपास आयात करनी पड़ती है। विडंबना यह है कि भारत में कपास की खेती दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र पर की जाती है - लगभग 136 लाख हेक्टेयर,

प्रयास किया जाएगा। इसका लाभ सभी साझेदारों को होगा। बागवानी उत्पादन (फल, सब्जी, मसाले, मेवे, फूल वगैरह) में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उद्यमिता विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसके अंतर्गत अधिक मूल्य वाली अनेक फसलें भी उगायी जाती हैं, जिनकी घरेलू और विदेशी बाजारों में अच्छी मांग है। इनके विकास, प्रसार और व्यापार में उच्च-गुणवत्ता वाली पौध का सहज उपलब्ध न होना एक प्रमुख चुनौती है। इसका संज्ञान लेते हुए बजट में 2,200 करोड़ रुपये



कृषि को अधिक लाभकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट में 'डिजिटल कृषि' को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जो सभी हितधारकों के लिए सहज-सुलभ होगा, ताकि इसका लाभ किसानों से लेकर सभी संबंधित उठा सकें।

के प्रावधान से एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' के अंतर्गत रोग-मुक्त और उच्च गुणवत्ता वाली पौध या अन्य रोपण सामग्री के बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से अधिक मूल्य वाली फसलों पर केंद्रित होगा। इसके लिए आवश्यक है कि रोपण सामग्री के उत्पादन को वैज्ञानिक तौर-तरीकों से एक व्यवसाय के रूप में प्रोत्साहित किया जाए और किसानों व किसान संगठनों के साथ सीधे संबंध विकसित किये जाएं। विदेशी बाजारों में भारतीय फलों और सब्जियों और इनके मूल्यवर्धित उत्पादों की निरंतर बढ़ती मांग के संदर्भ में बजट में उठाया गया यह कदम निश्चित रूप से लाभकारी होगा।

प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण

कृषि को अधिक लाभकारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बजट में 'डिजिटल कृषि' को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा, जो सभी हितधारकों के लिए सहज-सुलभ होगा ताकि इसका लाभ किसानों से लेकर सभी संबंधित उठा सकें। सूचना और संचार की डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए तेज गति (लगभग रियल टाइम बेसिस), कुशलता और प्रामाणिकता के साथ किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा तथा ऐसी जानकारी दी जाएगी, जिसके आधार पर वे सही निर्णय ले सकें। बजट में इसके लिए कुछ विषय भी सुझाये गए हैं, जैसे- फसल नियोजन और फसल सुरक्षा, कृषि आदानों की उपलब्धता सुलभता में सुधार, कृषि ऋण और फसल बीमा, उपज आकलन में सहायता और बाजार की सामयिक व तात्कालिक जानकारी। यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों और एग्री-स्टार्टअप्स के काम-काज में सहायता कर उनके विकास को आगे बढ़ाएगा। स्वाभाविक है कि कृषि को डिजिटल सहायता देने में नवीनतम तकनीकों जैसे- कृत्रिम-बुद्धिमत्ता (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचेन, किसान-ड्रोन्स आदि का उपयोग किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एक डिजिटल कृषि मिशन (2021-25) लागू किया जा रहा है, जिसमें कृषि के लिए इन सभी तकनीकों के विकास, प्रसार और उपयोग पर कार्य किया जा रहा है। देश भर के किसानों का एक विशाल डेटाबेस भी तैयार किया जा

रहा है, ताकि उन तक सभी लाभ कुशलता और पारदर्शिता के साथ तुरंत और न्यूनतम लागत पर पहुँच सकें। देश में एआई पर शोध के लिए तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो कृषि के लिए समाधानों पर भी कार्य करेंगे। अमृतकाल के प्रथम बजट में यह पहल कृषि के आधुनिकीकरण की एक मजबूत नींव रख रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्यमिता के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये के निवेश (5 वर्ष के लिए) से एक 'एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड' के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत विशेषरूप से ग्रामीण युवाओं को 'एग्री-स्टार्टअप' शुरू करने के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने के साथ किसानों को कम लागत वाले प्रभावी और व्यावहारिक समाधान भी प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्टअप्स को स्थानीय कृषि चुनौतियों से निपटने और कृषि विकास के लिए प्रेरित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि इस प्रयास से कृषि प्रक्रियाओं में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश होगा, कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी, और अंततः कृषि में लाभदायकता की दर भी बढ़ेगी। इस तरह किसानों की आमदनी में वृद्धि का लक्ष्य भी हासिल होगा।

संसाधन और सुविधाएं

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में सुधार के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को आसान शर्तों पर





कृषि और सहकारिता

समावेशी विकास



कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण- वित्त वर्ष 2022 में 186 लाख करोड़ रुपये



ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्षक निधि



उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम



पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के ऋण का लक्ष्य



अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना



भारत को श्री अन्न (मोटे अनाज) का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए सहयोग



ग्रामीण समुदाय को भी एक ही स्थान पर अनेक लाभ और सुविधाएं प्राप्त होंगी। इन समितियों के माध्यम से किसान अपनी उपज को सीधे उपभोक्ताओं या अन्य खरीदारों को बेच सकेंगे।

इन सहकारी समितियों से कृषि उपज की सीधी खरीद का लाभ उन उद्यमियों को भी मिलेगा, जिनका व्यवसाय कृषि उत्पादों पर निर्भर है। बजट में सहकारी समितियों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव भी है, ताकि इनके विकास के लिए अधिक कुशलता से योजनाएं बनायी जा सकें। सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्यकी समितियों और डेयरी सहकारी समितियों के गठन को सहायता देने का निर्णय भी लिया गया है। सहकारिता के माध्यम से एक विशाल और विकेंद्रीकृत अन्न भंडारण सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। यह भंडारण सुविधा विश्व की सबसे बड़ी संरचना होगी, जिसमें किसान अपनी उपज का भंडारण करके

संस्थागत ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए इस वर्ष कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि यह वृद्धि डेरी, पशुपालन और मत्स्यकी से जुड़े किसानों को ध्यान में रखकर की जा रही है, ताकि वे भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। इसी प्रकार छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हुई किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को विस्तार देने के लिए बजट में 23,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'सहकार से समृद्धि' की अवधारणा को भारत सरकार निरंतर सशक्त बना रही है, कारण कि सहकारिताएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देती हैं। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों तथा वंचित समुदायों को प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) उनकी आजीविका के लिए आवश्यक संबल प्रदान करती हैं। इसलिए बजट में इन समितियों के आर्थिक सशक्तीकरण और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाये गए हैं। ऐसी 63,000 समितियों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य 2,516 करोड़ रुपये के निवेश से पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही इन समितियों को बहु-उद्देशीय समिति के रूप में परिवर्तित करने के लिए सभी संबंधितों और राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके नये मॉडल 'कानून या उपनियम' बनाये जा रहे हैं। वित्त मंत्री की इस घोषणा से जहां एक ओर समितियां के कार्य-कलापों का दायरा बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर

उचित समय पर, यानी अधिकतम कीमत मिलने के समय, निकासी और बिक्री कर सकेंगे। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को इस बजट में कर और ऋण की सीमा संबंधी कुछ रियायतें भी दी गई हैं, ताकि इनका तेज विकास हो सके। निरंतर सूखे की मार झेल रहे कर्नाटक के किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने एक विशेष कदम उठाया है। 'अपर भाद्र' परियोजना के लिए बजट में 5,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई की सतत व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतही तालाबों के भारण का प्रस्ताव भी है।

वर्तमान बजट में देश में हरित विकास को गति देने की प्रतिबद्धता दिखाई देती है, जो निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन के संकट के परिदृश्य में सहायक है। भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प लिया है, जिसे पूरा करने के लिए अनेक क्षेत्रों में पहल की गई है। कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष 'प्रधानमंत्री-प्रणाम' नामक विशेष कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो धरती के सुधार, पोषण और पुनरुद्धार पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देकर रासायनिक उर्वरकों के विकल्पों, जैसे- जैविक उर्वरक, कम्पोस्ट खाद आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे प्रदूषण पर रोकथाम के साथ मृदा की उर्वरता को सतत बनाये रखने में भी सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार और स्वच्छता को प्रोत्साहन देने के साथ जैव-ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहले से संचालित 'गोबरधन' योजना के अंतर्गत व्यापक कदम उठाने की घोषणा की गई है। इसमें देश भर में 500 'कचरे से कंचन' यानी 'वेस्ट टु वेल्थ' प्लांट्स लगाये जाएंगे, जो गोबर और जैविक व्यर्थ से बायोगैस का उत्पादन करेंगे। इसके लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 200 प्लांट्स कम्प्रेस्ड-बायोगैस बनाएंगे, जबकि 300 प्लांट्स को सामुदायिक या समूह के स्तर पर स्थापित किया जाएगा। इन प्लांट्स से उप-उत्पाद के रूप में जैव-खाद प्राप्त होता है, जिसकी बिक्री की जा सकती है और जो मृदा सुधार का कार्य सतत रूप से करती है। योजना के अंतर्गत प्लांट्स के लिए जैव-सामग्री एकत्रित करने और जैव-खाद के वितरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, क्योंकि यह पर्यावरण, किसान और आम उपभोक्ता, तीनों के हित में है। इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान बजट में अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने और सहायता देने का प्रस्ताव है। इसके लिए देश भर में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर स्थापित किये जाएंगे। यह नेटवर्क सूक्ष्म-उर्वरक और जैव कीटनाशकों के उत्पादन के नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा, जिसका सीधा लाभ प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को होगा।

संबद्ध क्षेत्र

अनेक तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक कारणों से किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए पशुपालन, विशेष रूप से डेयरी, को एक सशक्त माध्यम माना जाता है, इसलिए भारत सरकार अनेक योजनाएं लागू करके पशुपालन को प्रोत्साहन दे रही है। वर्तमान बजट में पशुपालन एवं डेयरी विभाग का बजट आवंटन पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 40 प्रतिशत बढ़ाकर लगभग 4,328 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें सबसे अधिक आवंटन पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

कार्यक्रम के लिए किया गया है, क्योंकि पिछले लगभग तीन वर्षों से देश में दो प्रमुख रोग पशुधन को क्षति पहुँचा रहे हैं। 'लम्पी स्किन' रोग और 'अफ्रीकन स्वाइन' बुखार से पशुधन त्रस्त हैं और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आशा है इस बजट प्रस्ताव से पशुपालकों को राहत मिलेगी। पशुधन के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए राज्यों को विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सहायता देना जारी रहेगा। इसमें टीकाकरण कार्यक्रम, पशुचिकित्सा की बुनियादी सुविधाओं का विकास और कौशल विकास जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। पशुधन के सतत विकास के लिए जारी राष्ट्रीय पशुधन मिशन को 410 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, ताकि इसकी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहें।

मत्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी लाने के लिए इस वर्ष बजट में मत्स्यिकी विभाग का बजट आवंटन पिछले वर्ष के आवंटन की तुलना में 38.45 प्रतिशत बढ़ाकर 2248.77 करोड़ रुपये कर दिया गया है। साथ ही वित्त मंत्री ने मत्स्यिकी क्षेत्र में एक नई सहयोजना लागू करने की घोषणा की है, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था की गई है। 'प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना' के अंतर्गत मछुआरा समुदाय, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे सूक्ष्म व लघु उद्यमियों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किये जाएंगे। इसके लिए निवेश और पूंजी की व्यवस्था से लेकर मूल्य शृंखला के हर चरण में सुधार की योजना है ताकि मत्स्यिकी क्षेत्र संबंधित छोटे उद्यमियों के लिए अधिक आकर्षक और लाभदायक बन सके। उद्यमियों को एक सुरक्षित आपूर्ति शृंखला के विकास में भी सहायता दी जाएगी ताकि उपभोक्ताओं तक सुरक्षित मत्स्य उत्पाद पहुँच सकें। इस तरह घरेलू बाजार का विकास और प्रसार होगा, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकार के इस कदम को विशेष रूप से महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी बताया जा रहा है, क्योंकि मछली और मत्स्य उत्पादों की बिक्री में महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी और योगदान है। श्रिम्प आहार के उत्पादन के लिए आवश्यक कुछ सामग्री के आयात पर शुल्क घटाने की घोषणा की गई है, जिससे आयात की लागत कम होगी और उत्पादन पर भी कम खर्च आएगा। फिश मील, क्रिल मील, एल्लाल प्राइम (आटा), फिश लिपिड ऑयल और विटामिन एवं खनिज मिश्रण पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है, जिससे घरेलू बाजार को प्रोत्साहन के साथ निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे।

अमृत काल का पहला बजट कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सतत और समावेशी विकास की एक मजबूत नींव रख रहा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। बजट में दिये गए प्रावधानों से कृषकों, कृषि उद्यमियों और एग्री-स्टार्टअप्स की आर्थिक प्रगति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता दिख रहा है। ■

हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, क्योंकि यह पर्यावरण, किसान और आम उपभोक्ता, तीनों के हित में है। इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान बजट में अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए तैयार करने और सहायता देने का प्रस्ताव है।

भारत समग्र विकास के युग में प्रवेश कर चुका है और इस विकास गाथा में पूर्वोत्तर भारत एक अहम भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की दीर्घकालिक प्रगति और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने में इस क्षेत्र के महत्व को लगातार दोहराया है। पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को अक्सर **अष्ट**

पूर्व की ओर:

पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

लक्ष्मी के रूप में संदर्भित करते हुए, मोदी सरकार इसके विकास के लिए आठ मुख्य बिन्दुओं पर काम कर रही है जिसमें शांति, शक्ति, पर्यटन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, संस्कृति, प्राकृतिक खेती, खेल और क्षमता शामिल हैं। पूर्वोत्तर लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के नीतिनिर्धारण के केंद्र में रहा है, जो 2014 के बाद से नौ वर्षों में प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र में की गई 50 से अधिक यात्राओं से परिलक्षित होता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों से इन आठ राज्यों में तेज विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है, और 'एक्ट फास्ट फॉर नॉर्थईस्ट' और 'एक्ट फर्स्ट फॉर नॉर्थईस्ट' की ओर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया है।

पूर्वोत्तर का तेज विकास पूर्वोत्तर का पहले विकास

वित्तीय सहायता से नीतिगत प्रयासों को बल देने के लिए 2014 से भारत के पूर्वोत्तर के विकास पर 3.64 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं

2014-15 और 2023-24 के बीच पूर्वोत्तर के लिए सकल बजटीय सहायता लगभग तीन गुना बढ़ी



2017 में मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (NESIDS) लॉन्च की। मार्च 2022 तक इस योजना ने क्षेत्र के पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 3,400 करोड़ रुपये की लागत वाली 145 परियोजनाओं को मंजूरी दी। पूर्वोत्तर में विकास संबंधी कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल या **PM-DevINE** की घोषणा की गई थी।

2022-23 से शुरू होकर अगले चार वर्षों के लिए 6,600 करोड़ रुपये के परिचय के साथ PM-DevINE पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है।

तेज गति से बढ़ता सड़क विकास

कुल:

**237 परियोजनाएं
2,750 किलोमीटर**



- पिछले 5 वर्षों में पूरी हुई परियोजनाएं
- लंबाई किलोमीटर में (अनुमानित)

83	23	18	64	36	6	7
1,240	530	280	280	250	110	60
असम	अरुणाचल प्रदेश	मणिपुर	नागालैंड	मिजोरम	सिक्किम	त्रिपुरा

आधारभूत संरचना से मुख्यधारा में आ रहा पूर्वोत्तर

2014 से, पीएम मोदी के सक्षम मार्गदर्शन में, हवाई अड्डों की संख्या और राजमार्गों की लंबाई में वृद्धि, रेलवे के विस्तार और बेहतर दूरसंचार बुनियादी ढांचे के माध्यम से पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में कई गुना सुधार हुआ है।

एनईएसआईडीएस के तहत 51 सड़क और पुल परियोजनाएं, 23 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 36 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 6 बिजली परियोजनाएं और 29 शिक्षा परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

पूर्वोत्तर के लिए स्वीकृत परियोजनाओं में 3 गुना वृद्धि

कुल स्वीकृत परियोजनाएँ: **1,350**

- परियोजनाओं की संख्या

देश के बाकी हिस्सों के साथ पूर्वोत्तर भारत की हवाई कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए 2,200 करोड़ रुपये से अधिक की 15 हवाई संपर्क परियोजनाएं क्रियान्वयन के स्तर पर हैं।

7 नए हवाई अड्डे

पिछले 8 वर्षों में बनाए गए जिनमें लगभग **1,000 नई उड़ानें शुरू की गईं।**



रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 2014 से अब तक 51,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया।



इस क्षेत्र के लिए 77,900 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की **19 नई रेलवे परियोजनाओं** को मंजूरी दी गई है।

सड़कों और पुलों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचों से पूर्वोत्तर के दूरदराज के कोनों से कनेक्टिविटी में सुधार आया है। 2015-16 में शुरू की गई नॉर्थ-ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम (NERSDS) के तहत अब तक लगभग 29 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनकी लागत लगभग 1,980 करोड़ रुपये है और 27 अन्य परियोजनाएं पहले से ही क्रियान्वयन के स्तर पर हैं।

1997-98 में मंजूर किया गया सबसे लंबा रोड-रेल पुल, **बोगीबील ब्रिज**, आखिरकार दिसंबर 2018 में 5,920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ।



2014 से अबतक पूर्वोत्तर के

20 जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के विकास के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें बांग्लादेश सीमा और सदिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के 891 किमी और लखीपुर और भांगा के बीच बराक नदी के 121 किमी के खंड को बनाने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग 16 शामिल हैं।

नागरिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता को महसूस करते हुए, 2018 में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना ने पूर्वोत्तर में गहरा प्रभाव डाला है।

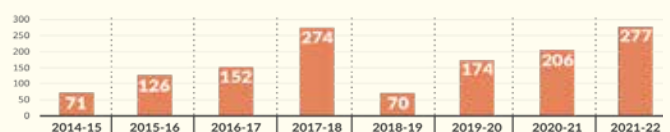
आयुष्मान भारत के तहत 2018-19 और 2021-22 के बीच पूर्वोत्तर में 10.7 लाख से अधिक मरीजों को अस्पतालों में दाखिले हुए



7,552

स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र

जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत के तहत संचालित



के विज्ञान के नौ साल

युवा उत्थान की नींव : शिक्षा और खेल को समर्थन

मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हर घर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। उच्च शिक्षा को पूर्वोत्तर के करीब लाने और युवाओं को दूर के शहरों में जाने की आवश्यकता से बचाने के लिए,

2014 से अबतक इस क्षेत्र में **22 नए विश्वविद्यालय**
स्थापित किए गए



सरकार ने पूर्वोत्तर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, 2014 से अबतक लगभग 14,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लगभग 191 नए संस्थान स्थापित किए गए हैं।

2014-15 से स्थापित उच्च
शिक्षा के केंद्रीय संस्थानों में **40% वृद्धि**

उपरोक्त पहलों के परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन में 29% की वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र ने भारत को सिक्किम के बाईचुंग भूटिया, मणिपुर की मैरी कॉम और असम की हिमा दास जैसे कई प्रतिष्ठित खिलाड़ी दिए हैं। युवाओं को प्रेरित करने और खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मणिपुर में 643 करोड़ रुपये की लागत से एक राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में, फरवरी 2023 से पूरे पूर्वोत्तर में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) बनाए जाएंगे



200 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र पूर्वोत्तर में मान्यता पा चुके हैं



नागालैंड के तुएनसांग में जनता से रूबरू होते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मोदी सरकार ने 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) भी शुरू की, ताकि एथलीटों को आर्थिक और अन्य रूप से ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक हासिल करने में मदद मिल सके।

2028 ओलंपिक खेलों के लिए 10 से 12 साल की उम्र के चैंपियन तैयार करने के उद्देश्य से 2020 में टॉप्स (TOPS) डेवलपमेंट की शुरुआत की गई थी। पूर्वोत्तर में STEM शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (फेज़-II), पश्चिम त्रिपुरा को लगभग 75 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया जा रहा है।

2014 से स्थापित
विश्वविद्यालयों की संख्या में

39% की वृद्धि

शांति, प्रगति और समृद्धि की एक नई सुबह

पूर्वोत्तर राज्यों और समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जातीय विवादों को सुलझाने के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की हैं।

नागालैंड में उग्रवाद को कम करने के लिए भारत सरकार और नागालैंड की राष्ट्रीय समाजवादी परिषद के बीच **नागा शांति संधि**, 2015 पर हस्ताक्षर किए गए।

2006 से 2014 के बीच, पूर्वोत्तर में हिंसा और उग्रवाद की 8,700 घटनाएं दर्ज की गईं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंसक घटनाओं में लगभग 40% की कमी आई है।

मोदी सरकार ने हमेशा पूर्वोत्तर के विकास के लिए स्थानीय समुदायों और समूहों के हितों को सबसे आगे रखा है। आदिवासी रीति-रिवाजों, भाषाओं और इतिहास को बढ़ावा देने के लिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पूरे भारत में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने वाले दस संग्रहालयों की स्थापना की, जिनमें से दो मणिपुर और मिजोरम में होंगे।

मणिपुर के माखल गांव में नवंबर 2021 में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्यू को समर्पित एक संग्रहालय की आधारशिला रखी गई

पूर्वोत्तर की स्थानीय जनजातियों और समुदायों के बलिदान के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने और शिक्षित करने के लिए, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल करने के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम को हाल ही में परिवर्तित किया गया था। नवंबर 2022 में, लचित बोरफुकन की 400 वीं जयंती के अवसर पर, पीएम मोदी ने वीर लचित जैसे वीर सपूतों को पैदा करने के लिए असम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन जैसे मां भारती के अमर पुत्र अमृत काल के विचार को लागू करने के लिए प्रेरणा हैं।

“अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी—पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल्स की हो—पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर कृषि उड़ान तक, एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट से कनेक्टिविटी तक—पूर्वोत्तर अब देश की प्राथमिकता है।”
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अष्ट लक्ष्मी में विकास के नौ साल

2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद से, पूर्वोत्तर ने स्वयं के लिए नीति, शासन और विकास में व्यापक सुधार देखा है। अष्ट लक्ष्मी, आठ स्तंभों की सहायता से, विकास के कई चरणों से गुजरी है, जिसने युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की संभावनाएं पैदा करने में मदद की है, जिससे पूर्वोत्तर को मुख्यधारा में लाने के केंद्र के उद्देश्य को साकार किया जा सका है।

इसके अतिरिक्त, मोदी प्रशासन ने पूर्वोत्तर में स्थिरता और सुरक्षा लाई है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र था जो पहले हिंसा और उग्रवाद से परेशान था। मोदी सरकार ने हमेशा उद्यमशीलता और औद्योगीकरण को बढ़ावा देकर आधुनिकीकरण हासिल करने के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखा है, साथ ही क्षेत्र के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण को भी प्रोत्साहित किया है। सरकार पूर्वोत्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को भी उसी शिद्दत से मान्यता देती है, जितनी वह जनजातीय संग्रहकर्ताओं और एमएसएमई (MSME) को बढ़ावा देने के दौरान प्रदर्शित करती है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण से संभव हुआ है जिसे भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए ध्यान में रखा है।

CBC 22201/13/0164/2223

नेताजी का स्मरण,



आज हमारा यह प्रयास है कि नेताजी की ऊर्जा देश का पथ-प्रदर्शन करे। कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा इसका माध्यम बनेगी। देश की नीतियों और निर्णयों में सुभाष बाबू की छाप रहे, ये प्रतिमा इसके लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी
कर्तव्य पथ से

भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का सम्मान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन का सम्मान करने को प्राथमिकता दी है। इसके तहत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नए भारत के उदय में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान को सम्मान देने के लिए कई पहलों की गई हैं। मोदी सरकार के प्रयास एक महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी नेता के रूप में नेताजी की भूमिका को स्थापित करते हैं और इस दिशा में किए गए उपायों में उनकी जयंती

23 जनवरी को पराक्रम दिवस
के रूप में 2021 से हर वर्ष मनाया शामिल है।

नेताजी बोस

ने दिसम्बर 1943 में अंडमान द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया।

दिल्ली के लाल किले में तिरंगा फहराने के उनके सपने को याद करते हुए, मोदी सरकार ने नेताजी और आज़ाद हिन्द फौज के लिए लाल किले में एक संग्रहालय समर्पित किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से नेताजी के स्वतंत्रता-पूर्व संबंध पर बल देने की दिशा में एक और कदम में, 16 अक्टूबर 2021 को, मोदी सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज़ाद हिन्द फौज सेतु राष्ट्र को समर्पित किया।

आज़ाद भारत के लिए नेताजी का विज़न

नेताजी ने अपने काम और दृष्टिकोण के माध्यम से एक प्रगतिशील और सफल भारत के लिए युवा और वरिष्ठ नेताओं दोनों की आकांक्षाओं का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री मोदी देश और देशवासियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए

“एक भारत श्रेष्ठ भारत”

के मिशन के माध्यम से नेताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। फरवरी 1938 में, हरिपुरा में 51वें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र ने सर्वसम्मति से नेताजी को आईएनसी अध्यक्ष के रूप में चुना। नेताजी ने देश की स्वतंत्रता और पुनर्निर्माण तथा भावी भारत के लिए योजना समिति के गठन पर बल दिया। प्रांतीय कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों को उनके द्वारा लिखे पत्र ने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रेरित किया है। विविधता में एकता के भारत के सिद्धान्त पर जोर देते हुए, 1941 में, नेताजी ने हर जाति, धर्म और क्षेत्र के पुरुषों को भर्ती करके आज़ाद हिन्द फौज को स्वतंत्रता के लिए गठित किया। जब पूरी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों को लेकर बहस चल रही थी, तब आज़ाद हिन्द फौज (आईएनए) में महिलाओं को शामिल करने के लिए

नेताजी ने

“रानी झांसी रेजिमेंट”

की स्थापना की।

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का मोदी सरकार का फैसला देश की उन्नति और विकास में महिलाओं की बड़ी भूमिका के लिए नेताजी के दृष्टिकोण को दिखाता है।



प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया।

पराक्रम दिवस एवं नेताजी की 125वीं जयंती

स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदान के लिए भारतियों में गर्व की भावना जगाने के लिए मोदी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से नए स्मारक और संस्थान बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सितम्बर 2022 को इंडिया गेट के पास मंडप में

नेताजी की प्रतिमा का अनावरण

करके भारत में नेताजी के योगदान का सम्मान करने का एक और प्रयास किया। 28 फुट ऊंची यह प्रतिमा एक ही चट्टान को तराशकर बनाई गयी है और भारत की सबसे बड़ी और सबसे जीवंत मूर्तियों में से एक है। सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेताजी की 125वीं जयंती मनाने का फैसला किया और 23 जनवरी 2021 को समारोह की शुरुआत हुई। मोदी सरकार ने नेताजी की देशभक्ति की भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा को याद करने का निर्णय लिया और अब गणतन्त्र दिवस समारोह की शुरुआत पराक्रम दिवस से होती है। यह देश के लोगों, विशेष रूप से युवाओं को नेताजी के तरह विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रेरित करने और उनमें देशभक्ति की भावना जगाने वाला कदम है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह की अध्यक्षता की। नेताजी के विषय पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अमरा नूतन जौबोनेरी दूत' भी आयोजित किया गया था और इसमें एक स्थायी प्रदर्शनी 'निर्भीक सुभाष' नेताजी पर एक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो, 'लेटर्स ऑफ़ नेताजी' नामक पुस्तक का विमोचन और नेताजी की स्मृति में एक डाक टिकिट और एक स्मारक सिक्के का विमोचन शामिल था।

जनवरी 2021 में देश के प्रति नेताजी की विरासत का सम्मान करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हावड़ा-कालका मेल का नाम बदलकर “नेताजी एक्सप्रेस” कर दिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हावड़ा-कालका मेल भारतीय रेलवे की सबसे लोकप्रिय और पुरानी ट्रेनों में से है। यह हावड़ा (पूर्वी रेलवे) से दिल्ली होते हुए कालका (उत्तरी रेलवे) तक चलती है और यह भारत के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण रूप से जोड़ती है।

उनकी विरासत का सम्मान

नेताजी को सम्मान देने के लिए मोदी सरकार की मुख्य पहल

दिनांक	घटना	स्थान
14 अक्टूबर, 2015	नेताजी से जुड़े अभिलेखों और फाइटर्स को सार्वजनिक करना	नई दिल्ली
21 अक्टूबर, 2018	नेताजी के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर विजया फाइटर्स	नई दिल्ली
30 दिसंबर, 2018	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया	पोर्ट ब्लेयर में सेजुलर जेल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23 जनवरी, 2019	सुभाष चंद्र बोस संबोधन का उद्घाटन	लाल किला, नई दिल्ली
25 फरवरी, 2019	राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन	इंदिरा पेट, नई दिल्ली
20 जनवरी, 2021	आज़ाद-कालका एक्स्प्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्स्प्रेस रखा गया	हावड़ा-कालका
22 जनवरी, 2021	"एक निमिष में सुभाषों के लिए नेताजी की शिवा और इसकी लता फड़ती आत्मिकता" पर चर्चा	सुभाष कॉन्फेरेंस
22 जनवरी, 2021	पार्लियामेंट की "25वीं सदी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मिकता" पर चर्चा	सुभाष कॉन्फेरेंस
23 जनवरी, 2021	निर्भीक सुभाष : नेताजी की 125वीं जयंती वर्ष	कोलकाता, पश्चिम बंगाल
16 अक्टूबर, 2021	लुन्ही स्टेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
23 मार्च, 2022	विजयवी भारत गैलरी का उद्घाटन	विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
8 सितंबर, 2022	नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिभा का अनावरण	इंदिरा पेट, नई दिल्ली

अंडमान से नेताजी का जुड़ाव और नेताजी से संबंधित कागजात सार्वजनिक किए गए

23 जनवरी, 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। संग्रहालय न केवल नेताजी के जीवन और आज़ाद हिन्द फौज के इतिहास की विस्तृत जानकारी देता है, बल्कि दोनों से संबंधित अनेक मूल्यवान कलाकृतियों को भी प्रदर्शित करता है।

नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2018 में दो संस्थानों - नई दिल्ली में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और जमशेदपुर के पोखरी में नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखे गए।

2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के रॉस नामक द्वीप का नाम बदलकर

"नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप" रखा



2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी के भारतीय सरज़मी पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार में रॉस द्वीप का नाम बदलकर "नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप" कर दिया। उसी वर्ष, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने के लिए "सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार" की स्थापना की। 14 अक्टूबर 2015 को नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की लंबे समय से लंबित मांग पर गौर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर नेताजी के परिवार के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान घोषणा की कि सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उनके कार्यों

नेताजी के जीवन की प्रमुख घटनाएँ

— दिनांक — घटना — स्थल

1938	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित	ब्रिस्टल, लंदन का नगर
1939	फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया	जवाहरपुर, मध्य प्रदेश
1941	इटली के तत्कालीन विदेश मंत्री गैलियाज़ो सियानो से मुलाकात की	इटली
1942	आज़ाद हिंद फौज का गठन	
1943	आईएनए की रानी ब्रांसी रेज़ीमेंट बनाई	
1943	अंडमान को आज़ाद कराया और तिरंगा फहराया	पोर्ट ब्लेयर, अंडमान द्वीप समूह
1943	प्रसिद्ध "दिल्ली चली" संवोधन दिया	पटना, सिंगपुर
1943	आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार का गठन	केपे विलिंग, सिंगपुर
1943	अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री	
1944	आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की	रंगु, म्यांमार

भविष्य के भारत पर नेताजी का प्रभाव

इंडिया गेट के छत्र के नीचे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण और राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना प्रधानमंत्री मोदी के पंच प्रणों वाले विचार से प्रभावित है। नेताजी की जयंती को शामिल करना भारतीय इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं का उत्सव मनाने पर प्रधानमंत्री के जोर के अनुरूप है।

मोदी सरकार द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों की सराहना करने के लिए नई दिल्ली में नेताजी की मूर्ति का अनावरण और सालों पुरानी औपनिवेशिक सोच को मिटाना, 2019 में उनके नाम पर एक संग्रहालय समर्पित करना, नेताजी जैसे दूरदर्शी भारतीय कदावर नेताओं के पिछले आदर्शों पर मजबूत पकड़ रखते हुए भविष्य में देश का नेतृत्व करने के लिए पाठ प्रदर्शक का कार्य करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी की नेताजी को श्रद्धांजलि

नेताजी के एकजुट, स्वतंत्र और समृद्ध भारत के विचार के लिए उनके योगदान को आगे लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2022 में पश्चिम बंगाल के विक्टोरिया मेमोरियल में बिप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका और ब्रिटिश शासन के प्रति उनके सशस्त्र प्रतिरोध को दर्शाया गया है। इस गैलरी में क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी नेताओं द्वारा महत्वपूर्ण संगठनों के गठन, नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिन्द फौज (आईएनए) के पुनरुत्थान और तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ नौसेना का विद्रोह और उसके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। 78 साल पहले 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार के गठन की याद में अमृत महोत्सव के तहत 21 अक्टूबर 2021 तक भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कार्यक्रमों में आईएनए के वरिष्ठ सदस्यों, स्कूली बच्चे, स्थानीय समुदाय और अन्य की भागीदारी ने जन भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण पेश किया। ओडिशा, मणिपुर और नागालैंड सहित विभिन्न राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में संस्कृति मंत्रालय ने भारत और सिंगपुर के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी के साथ इलाकों और भौगोलिक क्षेत्रों में एकीकृत कार्यक्रम कैलेंडर के आयोजन का नेतृत्व किया।

अक्टूबर 2021 में आज़ाद हिंद फौज पुल को नेताजी को समर्पित किया गया ताकि आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उनके बलिदान और वीरतापूर्ण कार्यों को याद रख सकें। पुल की लंबाई 1.45 किमी है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हम्फ्री स्टेट क्रीक के ऊपर से गुज़रता है। यह उत्तर, मध्य और दक्षिण अंडमान को जोड़ता है और यह 1943 में नेताजी की द्वारा अंडमान को आज़ाद कराने और तिरंगा फहराने का प्रतीक है।

23 जनवरी, 2023 को नेताजी की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर प्रस्तावित नेताजी स्मारक के मॉडल का अनावरण किया।



वैश्विक महामारी के बाद स्वास्थ्य

स्वास्थ्य किसी भी समृद्ध समाज का अभिन्न अंग होता है। भारत ने 50 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिये देश को हर नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संघीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये कई प्रस्ताव किये गए हैं। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान पर खास जोर दिया गया है। रोगों की रोकथाम से संबंधित सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कोविड-19 ने स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है। मौजूदा समय में इस बारे में भी विमर्श की आवश्यकता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सहकारी संघवाद को किस तरह मज़बूत किया जाए।

डॉ चंद्रकांत लहरिया

संस्थापक-निदेशक, फाउंडेशन फॉर पीपुल-सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम्स, नयी दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ में 15 वर्ष का अनुभव। ईमेल: hblshishir@gmail.com

2023

-24 के संघीय बजट में सिकल सेल रोग के 2047 तक उन्मूलन के लिये एक नये अभियान की शुरुआत की घोषणा की गयी है। यह बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये किया गया एक प्रमुख प्रावधान है। अनुवांशिक रोग सिकल सेल वास्तव में एनीमिया का एक प्रकार है। खास तौर से भारत की आदिवासी आबादी इससे काफी प्रभावित है। आदिवासियों में 90 नवजात शिशुओं में से लगभग एक में इस रोग के लक्षण पाये जाते हैं। सिकल सेल रोग की समय

पर पहचान और उपचार से भारतीयों के स्वास्थ्य में काफी सुधार होगा। आदिवासी स्वास्थ्य पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस सिलसिले में तुरंत कार्रवाई की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अन्य प्रमुख प्रावधानों में उन जिलों में 157 नये नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव शामिल है जिनमें हाल ही में चिकित्सा महाविद्यालय खोले गये हैं। इससे जरूरत के अनुसार नर्सिंग कर्मियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। चिकित्सा उपकरणों

के लिये विशेष बहुविषयक पाठ्यक्रमों को शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है। बजट में जिन विषयों पर खास जोर दिया गया है उनमें स्वास्थ्य अनुसंधान भी शामिल है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद-इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) की चुनी हुई प्रयोगशालाओं में सुविधाओं को सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों द्वारा अनुसंधान के लिये खोलने का प्रस्ताव किया गया है। बजट प्रस्तावों में निजी क्षेत्र के शोध और विकास संगठनों से कहा गया है कि वे सरकार के साथ मिल कर अनुसंधान और नवोन्मेष करें। इसमें उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के जरिये औषधि क्षेत्र में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने की बात भी कही गयी है। उद्योग का आह्वान किया गया है कि वह प्राथमिकता के विशेष और चिह्नित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करें।

बजट में गैर-स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिये भी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिनका स्वास्थ्य सुधार में योगदान हो सकता है। इनमें से एक प्रस्ताव कृत्रिम मेधा-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्र शुरू की जाएगी जिनके प्रमुख उप-विषयों में स्वास्थ्य भी शामिल होगा। सरकार ने आकांक्षापूर्ण जिला कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए प्रखंड स्तर पर ध्यान केंद्रित किया है। उसने 500 प्रखंडों में स्वास्थ्य समेत अनिवार्य सरकारी सेवाओं के घनत्व के लिये आकांक्षापूर्ण प्रखंड कार्यक्रम शुरू किया है। कराधान संबंधी एक महत्वपूर्ण घोषणा, सिगरेट पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क- नेशनल कैलेमिटी

कॉन्टिनेजेंसी ड्यूटी (एनसीसीडी) में 16 प्रतिशत वृद्धि की है जिससे यह अधिक महंगी हो जायेगी।

वित्तीय आवंटन के लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग समेत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में लगभग 3.5 प्रतिशत का मामूली इजाफा किया गया है। इस मंत्रालय के लिये आवंटन 2022-23 में 86,175 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में 89,155 करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह लगभग 29,000 करोड़ रुपये है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिये आवंटन में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी और यह लगभग 7,200 करोड़ रुपये हो गया है।

अब इस बात पर विचार किया जाना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये आवंटन से ज्यादा-से-ज्यादा अच्छे परिणाम कैसे हासिल किये जाएं? भारत में आने वाले 25 वर्षों के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। लिहाजा, 2047 में 100 साल के भारत के लिये स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं पर सोचना अप्रासंगिक नहीं होगा।

पहला स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रभावशाली, समयबद्ध और विज्ञान आधारित संचार अनिवार्य है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान हमने पाया कि गलत प्रचार स्वास्थ्य सेवा के लिये बड़ी चुनौती है। गलत प्रचार की वजह से कुछ तबकों में टीकों को लेकर हिचकिचाहट और उन्हें लगाने में आना-कानी देखने को मिली। इसके परिणामस्वरूप इन तबकों में टीकाकरण कम रहा। इस घटना से सबक मिलता है कि समयबद्ध, साक्ष्य आधारित और विश्वसनीय संचार, सरकार के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा होना चाहिये। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी गलत सूचना के समय पर खंडन के लिये व्यवस्था को स्थापित किया जाना जरूरी है। इससे मौजूदा कार्यक्रमों की आबादी के बीच बेहतर पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

कोविड-19 से हमने एक बार फिर जाना कि टीकाकरण सिर्फ बच्चों के लिये ही नहीं, बल्कि किशोरों और वयस्कों के लिए भी है। कोविड-19 के टीकों के अलावा हेप्टाइटिस-बी, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकल के टीके भी वयस्कों में रोगों को घटाने में सक्षम हैं। ये कुछ विशेष असुरक्षित वयस्क समुदायों के लिये खासतौर से उपयोगी हैं। सरकार ने 2023 में जोखिम वाले वयस्कों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण शुरू किया है। भारत के पास अब किशोरों को सर्वाइकल कैंसर और अन्य रोगों से बचाने के लिये एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) का स्वदेश में विकसित और किफायती टीका है। अब जरूरत यह है



वित्तीय आवंटन के लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग समेत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट में लगभग 3.5 प्रतिशत का मामूली इजाफा किया गया है। इस मंत्रालय के लिये आवंटन 2022-23 में 86,175 करोड़ रुपये था जो 2023-24 में 89,155 करोड़ रुपये हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिये आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और यह लगभग 29,000 करोड़ रुपये है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिये आवंटन में 13 प्रतिशत की वृद्धि की गयी और यह लगभग 7,200 करोड़ रुपये हो गया है।

कि इस टीके को किसी सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए सभी वांछित समुदायों में उच्च टीकाकरण हासिल किया जाए।

तीसरा, वैश्विक महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। इससे हमने जाना है कि अच्छी तरह काम करने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं कितनी जरूरी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जन केंद्रित होनी चाहिये। इनमें रोगों के उपचार के साथ ही उनकी रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्द्धन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

चौथा, भारत में व्याप्त फाइलेरिएसिस, कालाजार और सर्प दंश जैसे 11 रोगों को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों की श्रेणी में रखा गया है। नीतियों और कार्यक्रमों में इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन रोगों से निपटने के उद्देश्य से कार्यक्रमों, टीकों और चिकित्सा अनुसंधान के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

पांचवाँ, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों की गुणवत्ता और उपलब्धता में भी सुधार महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने हमें स्वास्थ्य संबंधी समयबद्ध, व्यापक और सटीक आंकड़ों के महत्व के बारे में बताया है। इस तरह के आंकड़े स्वास्थ्य से संबंधित फैसले करने तथा गलत धारणाओं और अफवाहों से निपटने में उपयोगी हैं।

छठा, भारत ने 2023 के लिये जी-20 की अध्यक्षता हासिल की है। जी-20 की अध्यक्षता देश के लिये स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को वैश्विक स्तर पर सामने लाने का बेहतरीन अवसर है। भारत को रोगाणुरोधी प्रतिरोध की चुनौती की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की जरूरत है। महामारियों और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर तालमेल की आवश्यकता है। मानवों, पशुओं और पर्यावरण के स्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों

में टीकों की उपलब्धता में असमानता देखने को मिली है। जी-20 के देशों को ऐसे सामूहिक कदम उठाने चाहिये जिनसे भविष्य में टीकों की उपलब्धता में इस तरह की असमानता नहीं हो।

सातवाँ, यह समय आयुष्मान भारत कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र जैसी पहलकदमियों का फायदा उठाते हुए सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों की ओर बढ़ने का है। इन पहलकदमियों का उपयोग स्कूली स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिये किया जाना चाहिये। साथ ही कोविड के बाद के दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों को सुदृढ़ बनाने तथा कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये भी इन पहलकदमियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

आठवाँ, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हमें स्वास्थ्य नीति में संघवाद की भूमिका के बारे में भी नये सिरे से सोचना चाहिये। भारत में स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनेक केंद्रीय नीतियां और कार्यक्रम हैं। यह सोचा जाना चाहिये कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में सहकारी संघवाद को किस तरह मजबूत किया जा सकता है। सभी राज्यों को हाल में घोषित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैंडर को लागू करना चाहिये।

नौवाँ, वैश्विक महामारी के बाद के समय में स्वास्थ्य कार्यबल की उपलब्धता और उसके न्यायोचित वितरण को प्राथमिकता देने की जरूरत है। देश में डॉक्टरों की कुल संख्या पर्याप्त हो सकती है। लेकिन 90 प्रतिशत डॉक्टर निजी क्षेत्र में हैं। सरकारी क्षेत्र में सिर्फ 10 प्रतिशत डॉक्टर होने से स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिकों तक पहुँचाने की सरकार की क्षमता प्रभावित होती है। सिर्फ प्रशिक्षित डॉक्टरों की मौजूदगी से ही काम नहीं चलेगा। स्वास्थ्य कार्यबल का न्यायोचित वितरण सुनिश्चित करने के लिये प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था के बारे में सोचा जाना चाहिये।

दसवाँ, रोग निगरानी प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निरंतरता महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के बाद के





समय में भारत की रोग निगरानी प्रणाली और सार्वजनिक स्वास्थ्य जांच क्षमता को मजबूत करने के लिये ठोस उपाय किये गये हैं। इनके परिणामस्वरूप राज्यों में अनेक नये विषाणुओं और मंकीपॉक्स के मामलों का जल्दी पता लग सका है। लेकिन रोगों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण, प्रसार और उपयोग की चुनौती बरकरार है जिसमें तेजी से सुधार के प्रयास किये जाने चाहिये।

ग्यारहवाँ, महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और खून की कमी की चुनौती भी बनी हुई है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार महिलाओं और बच्चों के लिये अनेक कार्यक्रम कई दशकों से जारी रहने के बावजूद उनमें कुपोषण और खून की कमी की उच्च दर बरकरार है। इस स्थिति में सुधार की रफ्तार बेहद धीमी है। रक्ताल्पता की समस्या से निपटने के प्रयासों को सुदृढ़ बनाने और कुपोषण संबंधी नीतियों की खामियों को दूर करने की ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।

बारहवाँ, मानसिक स्वास्थ्य और कोविड के बाद की दीर्घकालिक समस्याओं पर भी तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिये। मानसिक स्वास्थ्य वैश्विक महामारी से पहले भी एक चुनौती था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार देश में हर आठ में से एक व्यक्ति को किसी-न-किसी रूप

में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों की वजह से इस ओर गौर नहीं किया गया। वैश्विक महामारी के बाद मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। कोविड के दौरान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भ्रांतियों में भी कमी आयी है। इसके परिणामस्वरूप लोग मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने के लिये ज्यादा इच्छुक हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से विस्तार के लिये यह उचित समय है। कोविड-19 से प्रभावित 10 में से लगभग एक व्यक्ति में रोग पश्चात् और दीर्घकालिक लक्षणों की संभावना रहती है। सरकार को खास तौर से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के जरिये इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।

तेरहवाँ, भारत को विश्व की फार्मसी माना जाता है। सरकार को इसके अनुरूप टीकों और चिकित्सा विधान पर अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना चाहिये। नये और फिर से उभरते रोगों के संदर्भ में यह खास तौर से महत्वपूर्ण है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित कर रहे अनेक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग उच्च आमदनी वाले राष्ट्रों की अनुसंधान की प्राथमिकता में नहीं आते। लिहाजा, भारत जैसे देशों को इस ओर खास ध्यान देना होगा। ■

आगे अध्ययन के लिये सामग्री

1. चंद्रकांत लहरिया। 'आयुष्मान भारत' प्रोग्राम एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया। इंडियन पेडियाट्रिक्स 2018, 55:495-506
2. चंद्रकांत लहरिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स टू स्ट्रेंथेन प्राइमरी हेल्थ केयर इन इंडिया : कंसेप्ट, प्रोग्रेस एंड वेज फॉरवर्ड। इंडियन जर्नल ऑफ पेडियाट्रिक्स 2020, 87:916-29
3. चंद्रकांत लहरिया। रिवैप इंडियाज स्कूल हेल्थ सर्विसेज। द हिंदू 21 जुलाई 2022। <https://www.thehindu.com/opinion/lead/revamp-indias-school-health-services/article65663002.ece>



वित्तीय
क्षेत्र

नई जिम्मेदारियों के साथ सुशासन

केन्द्रीय बजट 2023-24 में, महिलाओं में बचत को बढ़ावा देने और बचत के माध्यम से बुजुर्गों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। डिजिटल भुगतान की व्यापक स्वीकृति को स्वीकार करते हुए, बजट 2023-24 में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए निरंतर राजकोषीय समर्थन सुनिश्चित करता है। कृषि क्षेत्र को किसान क्रेडिट कार्ड जैसे लाभ मिल रहे हैं और इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पर ध्यान दिया जाएगा।

शिशिर सिन्हा

आर्थिक पत्रकार। ईमेल: hblshishir@gmail.com

अ

गर आप किसी से पूछें कि बैंक में क्या होता है तो आम सा जवाब होगा कि जमा लेना और कर्ज देना। फिर आप पूछें कि बैंक कैसा दिखता है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि ईट और पत्थर से बना एक भवन जिस पर अमुक बैंक का बोर्ड टंगा होगा, अंदर अलग-अलग काउंटर होंगे, कुछ पर जमा करने की सुविधा होगी और कुछ पर कर्ज की औपचारिकताएं पूरी करने का इंतजाम होगा। इसके बाद अगर आप पूछें कि बैंकिंग व्यवस्था क्या है तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि बैंकों का समूह ही बैंकिंग व्यवस्था है।

कुछ इन्हीं परिभाषा के आधार पर बजट में बैंकिंग के प्रावधानों को ढूँढ़ने और समझने की कोशिश की जाती है। फिर चर्चा जमा या कर्ज पर कर रियायतों और बैंकों के निजीकरण से लेकर पूंजी प्रावधानों तक सीमित हो जाती है। हालांकि, सच यह है कि सरल-सहज शब्दों में बैंक की परिभाषा ईट-पत्थर

के भवन से बाहर निकलकर विभिन्न वास्तविक व आभासी माध्यमों के जरिए जमा योजनाओं में नवाचार व जमा पैसे को सुरक्षित रखने, सरकार से लेकर आम आदमी तक को कर्ज देने और लेन-देन में त्वरित मदद के लिए सुरक्षित व मजबूत माध्यम तक फैल चुकी है। साथ ही बैंकिंग व्यवस्था केवल पारंपरिक बैंकों का समूह ही नहीं रहा, बल्कि उसमें बैंकों के नए स्वरूप जैसे- पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और डाकघरों की आम बैंकिंग व्यवस्था के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी पैठ बना ली है।

इसी वजह से बजट में बैंकिंग की अवधारणा काफी विस्तृत हो चुकी है और उससे कई प्रावधान, मसलन समाज के किसी तबके के लिए विशेष बचत योजना, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन, क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज का लक्ष्य या फिर सरकार की उधारी वगैरह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग क्षेत्र के लिए आम बजट

व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत

परिश्रमी मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ

- नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट
- नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशनधारकों को 15,000 रुपये की मानक कटौती
- नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% की गई
- गैर-सरकारी कर्मचारी के लिए, सेवा निवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर कर छूट सीमा को 25 लाख रुपये किया गया

केन्द्रीय बजट 2023-24

जमा योजनाएं

बजट में महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने और बचत के जरिये बुजुर्गों का कल और बेहतर करने के उपाय किए हैं। आधी आबादी की आर्थिक सशक्तीकरण के महत्व को सामने रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बचत पत्र' लाने की घोषणा की है। इसके तहत मार्च 2025 तक दो वर्ष की अवधि के लिए एक नई लघु बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की स्थायी ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा प्रस्तुत की जाएगी।

अभी महिला वर्ग के लिए एक खास योजना सुकन्या समृद्धि है जिसे 22 जनवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत शुरू किया। इसका उद्देश्य

2023-24 का विश्लेषण पांच हिस्सों में बांट कर किया जा सकता है:

- नयी बचत योजना व मौजूदा बचत योजनाओं में बदलाव
- सरकारी उधारी के स्रोत
- डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की मुहिम
- क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज
- बैंकिंग शासन में सुधार



बैंकिंग व्यवस्था केवल पारंपरिक बैंकों का समूह ही नहीं रहा, बल्कि उसमें बैंकों के नए स्वरूप जैसे- पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और डाकघरों की आम बैंकिंग व्यवस्था के साथ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने भी पैठ बना ली है। इसी वजह से बजट में बैंकिंग की अवधारणा काफी विस्तृत हो चुकी है और उससे कई प्रावधान, मसलन समाज के किसी तबके के लिए विशेष बचत योजना, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन, क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज का लक्ष्य या फिर सरकार की उधारी वगैरह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाते हैं।

परिवारों को बालिकाओं की शिक्षा में निवेश करने और उनकी शादी के खर्चों के लिए बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। योजना के तहत 10 वर्ष की कम उम्र की बालिकाओं के माता-पिता ज्यादा से ज्यादा दो (पहली बच्ची जुड़वा होने की सूरत में तीन) सुकन्या समृद्धि खाता अधिकृत बैंक या डाकघर में खुलवा सकते हैं। इसमें हर साल ज्यादा से ज्यादा 1.50 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं और यह 'ईईई' (एग्रेजेंट-एग्रेजेंट-एग्रेजेंट) यानी निवेश के समय कर छूट, निवेश में हुई बढ़ोतरी पर कर छूट और ब्याज समेत निवेश की पूरी राशि निकालते समय कर छूट व्यवस्था में शामिल है। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक पैसा जमा कराया जा सकता है जबकि खाता खोले जाने की तारीख से 21 वर्ष पर यह योजना परिपक्व होती है। वैसे 18 वर्ष की उम्र में बालिका की शादी होने पर खाता बंद कराया जा सकता है। उम्मीद है कि नयी योजना में भी सुकन्या समृद्धि की कुछ खासियतों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही यह भी मुमकिन है कि सुकन्या की तरह ही नयी योजना बैंक और डाकघर दोनों जगह उपलब्ध होंगे।

यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि महिला सम्मान बचत पत्र पर ब्याज दर मौजूदा योजनाओं से कहीं ज्यादा है। मसलन, दो वर्ष की सावधि छोटी बचत योजना पर ब्याज दर 6.8 फीसदी है, वहीं सुकन्या समृद्धि पर जनवरी-मार्च 2023 के लिए ब्याज दर 7.6 फीसदी है। ध्यान रहे कि हर तिमाही पर इन ब्याज दरों की समीक्षा होती है जबकि नयी योजना में दो वर्ष के लिए

ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं है। दूसरी ओर बैंकों की दो वर्ष की साधि जमा योजनाओं पर 6.75 से लेकर 7 फीसदी तक की ब्याज दर है। यहां यह भी गौर करने की बात है कि बैंक साविधि जमा योजनाओं पर ब्याज दर लगातार बढ़ा रहे हैं।

दूसरी ओर महिलाओं के साथ पुरुषों व थर्ड जेंडर बुजुर्गों के लिए डाकघर की मौजूदा कुछ योजनाओं में बदलाव किया गया है। इसके तहत वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी। इसके अतिरिक्त, मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये तक तथा संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत जनवरी-मार्च, 2023 के लिए ब्याज दर 8 फीसदी है जबकि मासिक आय खाता में 7.1 फीसदी। ध्यान रहे कि इन दोनों योजनाओं के तहत डाकघर में खाता खुलवाया जा सकता है। साथ ही हर तीन महीने पर दोनों के लिए ब्याज दरों की समीक्षा होती है।

बजट में तीन बचत योजनाओं को लेकर की गयी घोषणा जहां आमजनों के लिए हितकारी है, वहीं यह सरकार के लिए भी मददगार होगा। वजह यह है कि राजकोषीय घाटा को पाटने के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा की रकम छोटी बचत योजनाओं के जरिए जुटाने का लक्ष्य है।

सरकारी उधारी के स्रोत

आम बजट 2023-24 में 17.87 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय खजाने के घाटे में दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल

डिजिटल लेन-देन के लिए तेज़, सुरक्षित और आसान माध्यम मुहैया कराने के लिए बैंकों में खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। प्रतिस्पर्धा की एक वजह प्रोत्साहन योजना है जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गयी थी। इसे मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 में जारी रखा गया। इसी के तहत रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन (पी2एम) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बैंकों को 2600 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गयी।

बाज़ार उधारी 11.8 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है। इस अनुमान को पूरा करने में बैंकों की अहम भूमिका होगी, क्योंकि इस तरह के दिनांकित प्रतिभूति (डेटेड सिक्क्योरिटी, मियाद 1 वर्ष से 40 वर्ष के लिए) पर निश्चित दर से ब्याज तो मिलता ही है, साथ ही ब्याज व मूल दोनों की गारंटी सरकार देती है। इन बांड में बैंक बड़े पैमाने पर पैसा लगाते हैं जिसका एक मकसद वैधानिक जरूरतों को पूरा करना होता है तो दूसरी ओर बाज़ार परिस्थितियों का फायदा उठाना भी। इस व्यवस्था में सक्रिय

भागदारी के लिए जरूरी है कि बैंकों की माली हालत बेहतर हो। इस समय सभी 12 सरकारी बैंक फायदे में हैं, साथ ही प्रमुख निजी बैंक भी। इन बैंकों की जमा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जिससे उनके लिए सरकार की उधारी में भाग लेना आसान होगा।

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की मुहिम

डिजिटल लेन-देन के लिए तेज़, सुरक्षित और आसान माध्यम मुहैया कराने के लिए बैंकों में खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। प्रतिस्पर्धा की एक वजह प्रोत्साहन योजना है जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में की गयी थी। इसे मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2022-23 में जारी रखा गया। इसी के तहत रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन (पी2एम) का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) और ई-कॉमर्स लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बैंकों को 2,600 करोड़ रुपये देने की मंजूरी दी गयी।

व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत

नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव

- कर स्लैब सीमा घटाकर 5 किए गए
- कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया

कर स्लैब (लाख रुपये में)	कर दर (% में)
0-3	शून्य
3-6	5
6-9	10
9-12	15
12-15	20
15 से ऊपर	30

केन्द्रीय बजट 2023-24



क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज के लक्ष्य में सबसे अहम है कृषि। इस बारे में बजट में कहा गया कि देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से काफी लाभ पहुँचा है। इन किसान भाइयों-बहनों को इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे, इसके लिए इस बार 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन पर भी ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने कहा डिजिटल भुगतान को निरंतर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा समाज के वर्गों से व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो रही है। पिछले वर्ष के डाटा को साझा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा, '2022 में, उन्होंने लेन-देन में 76 प्रतिशत और मूल्य में 91 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की, इस डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए राजकोषीय सहायता 2023-24 में भी जारी रहेगी।' यह प्रावधान बैंकों के लिए फायदेमंद होगा।

क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज

बैंकिंग क्षेत्र की नज़र अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कर्ज के लक्ष्यों पर होती है। दरअसल, इन लक्ष्यों के साथ बैंकों को कुछ सहूलियतें जैसे- ब्याज दर के एक हिस्से का प्रावधान सरकार की ओर से या फिर क्रेडिट गारंटी फंड। इससे बैंकों को क्षेत्र विशेष के लिए अपने कर्ज देने में मदद मिलती है।

क्षेत्र विशेष के लिए कर्ज के लक्ष्य में सबसे अहम है कृषि। इस बारे में बजट में कहा गया कि देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से काफी लाभ पहुँचा है। इन किसान भाइयों-बहनों को इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे, इसके लिए इस बार 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन पर भी ध्यान देते कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

ध्यान रहे कि सरकार 3 लाख रुपये तक की अल्पावधि फसल ऋण के लिए मदद देती है। इस तरह के ऋण पर ब्याज दर 7 फीसदी है, लेकिन किसान अगर समय पर ऋण चुका दें तो उसे 3 फीसदी की ब्याज सहायता मिलती है जिससे उनके लिए प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी हो जाती है। दूसरी ओर मत्स्यपालन,

पशुपालन डेयरी सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए भी 2 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण 7 फीसदी की ब्याज दर पर उपलब्ध है, लेकिन समय पर ऋण चुकाने की सूरत में 3 फीसदी की ब्याज सहायता मिलती है जिससे यहां भी प्रभावी ब्याज दर 4 फीसदी हो जाती है। एक और बात, बैंक अगर अपने संसाधनों के जरिए कृषि ऋण दें तो उन्हें 2 फीसदी की सहायता मिलती है। जाहिर है कि लक्षित ऋण बैंक व किसान और कृषि से संबद्ध गतिविधियों, सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार एमएसएमई के लिए भी लक्षित योजना चलाती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब कहा गया है कि पिछले बजट में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें 9 हजार करोड़ रुपये जोड़कर इस नवीकृत योजना को 01 अप्रैल, 2023 से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त गिरवी-मुक्त ऋण संभव हो जाएगा और ऋण की लागत में करीब एक प्रतिशत की कमी आएगी।'

गारंटी की वजह से बैंकों को ऋण के फंसने की सूरत में नुकसान की ज्यादा चिंता नहीं होगी, वहीं छोटे व मझोले कारोबारियों को ऋण मिलने में आसानी होगी।

बैंकिंग शासन में सुधार

बीते कुछ वर्षों में बैंकिंग व्यवस्था का दायरा काफी फैल चुका है जिसकी वजह से बैंकों के शासन यानी गवर्नेंस में भी सुधार की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट में बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। वैसे तो अभी इन संशोधनों का खाका सामने नहीं आया है, लेकिन समझा जा रहा है कि इन सुधारों के जरिए बैंक के निदेशक बोर्ड को लेकर नए दिशानिर्देश आ सकते हैं जिनमें निदेशक बनने की योग्यता से लेकर उनके कार्यकाल को लेकर नयी व्यवस्था का खाका खींचा जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी कहा जा सकता है कि निदेशक की दोबारा नियुक्ति कितने समय के लिए और किस तरह से हो सकती है।

अब आप समझ गए होंगे कि बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे बदलाव के साथ, बैंकिंग क्षेत्र के लिए आम बजट के विश्लेषण का तरीका बदल गया है। एक और बात, न तो वित्त वर्ष 2022-23 और न ही वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में सरकारी बैंकों में नए सिरे से पूंजी डालने की बात की गयी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी बैंक की वित्तीय सेहत काफी सुधरी है, फंसे कर्ज में कमी आयी है और आगे भी ऐसी ही स्थिति बने रहने के आसार हैं। ■

वित्तीय क्षेत्र को मिलेगी मज़बूती

2023-24 के बजट में इंडिया@100 अर्थात् 2047 के भारत का ब्लूप्रिंट उकेरा गया है। इस समावेशी बजट में आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण के जरिये बुनियादी क्षेत्रों (इंफ्रास्ट्रक्चर) और विकास प्रक्रिया में तेज़ी लाकर प्रगति करने तथा रोज़गार जुटाने पर विशेष बल दिया गया है। बजट प्रस्तावों से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वरिष्ठजनों, गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल परिवारों, मझोले-लघु और सूक्ष्म उद्यमों (एमएसएमई) और महामारी से प्रभावित लोगों के सशक्तीकरण में बड़ी सहायता मिलेगी। बजट में पीपीपी मॉडल यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सहयोग की योजनाएं अपनाकर विभिन्न वित्तीय परियोजनाओं के लिए नवाचार विकसित किए जाएंगे। इससे आर्थिक क्षेत्र की प्रगति के साथ ही अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ाने और रोज़गार के अवसर जुटाने में भी मदद मिलेगी।

डॉ अमन अग्रवाल

प्रोफेसर एवं निदेशक, वित्त विभाग, भारतीय वित्त संस्थान, ग्रेटर नोएडा। ईमेल : aa@iif.edu

डॉ यमिनी अग्रवाल

निदेशक, प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान एवं प्रोफेसर, अर्थशास्त्र तथा वित्त विभाग, डीम्ड विश्वविद्यालय भारती विद्यापीठ, दिल्ली। ईमेल: yamini.agarwal@bharativedyapeeth.edu

वि

त मंत्री ने लीक से हटकर अभूतपूर्व बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट भी विगत वर्षों के बजटों में चली आ रही सुधार शृंखला की ही कड़ी है और इसमें इंडिया@100 के भारत की तस्वीर का खाका स्पष्ट किया गया है। वित्त मंत्री ने उद्देश्य को जान समझकर, प्राथमिकताएं तय करके, बाधाओं को पहचानकर, विश्व अर्थव्यवस्था के तकनीकी नवाचारों का महत्व जानकर और प्रधानमंत्री के मिशन और विज़न को समाहित करके सही बजट प्रस्ताव पेश किए हैं। यह बजट पूरी तरह सोच विचारकर भारत के भविष्य की सही छवि प्रस्तुत करने वाला है।

इस बजट ने भारत में मिलेनियल्स और जेनरेशन जेड की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये इंडिया@100 की नींव रखी है। सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत वृद्धि करके, मुद्रास्फीति की दर 6.8 प्रतिशत पर नियंत्रित रखकर और राजकोषीय घाटा 6.4 प्रतिशत तक ही सीमित रखकर भारत हर क्षेत्र में तरक्की करके विश्व की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और पीपीपी आधार पर विश्व की पहली तीन अर्थव्यवस्थाओं में उसकी गिनती होती है तथा देश का सकल घरेलू उत्पाद

10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच चुका है। इस बजट से भारत अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में और सशक्त बनकर उभरेगा और डिजिटल क्रांति से देश का भविष्य अधिक उज्ज्वल हो सकेगा तथा पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता सुनिश्चित होने से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के चहुँमुखी विकास के साथ ही आजीविका के साधनों का भी जबरदस्त विकास होगा।

2023 का बजट विकासोन्मुख, रोज़गार के अवसर जुटाने वाला और बुनियादी क्षेत्रों का विस्तार करने वाला है क्योंकि इसमें आत्मनिर्भरता, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है; कारोबार की सुगमता की दृष्टि से अनावश्यक कानून समाप्त करने; पोर्टफोलियो दृष्टिकोण अपनाकर ढांचे को गतिशील और सशक्त बनाने पर विशेष बल दिया गया है। बजट में टैक्स स्लैब्स फिर से निर्धारित किए गए हैं; व्यक्तियों, कंपनियों और संघों या संगठनों के लिए सरचार्ज (अधिभार) कम किया गया है। मध्यम वर्ग के करदाताओं को ज्यादा नकदी उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी कई उपाय किए गए हैं ताकि कर-चोरी या कर अदा करने से बचने की प्रवृत्ति रोकी जा सके।

वित्तीय क्षेत्र

राजकोषीय प्रबंधन

- राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज़ मुक्त ऋण
- राज्यों को जीएसटीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति
- 2022-23 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान 6.4% है, 2023-24 बजट के लिए यह अनुमान 5.9%(बीडी) है और इसे 2025-26 तक 4.5% से कम करने का लक्ष्य है
- 2023-24 का बजट अनुमान:
 - कुल प्राप्तियां (उधारी के अलावा): **₹27.2 लाख करोड़**
 - कुल व्यय: **₹45 लाख करोड़**
 - नेट टैक्स प्राप्तियां: **₹23.3 लाख करोड़**

केन्द्रीय बजट 2023-24

जीएसटीपी - सकल राज्य घरेलू उत्पाद

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBIndia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

गरीब वर्ग के लोग, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक और एमएसएमई वित्तीय प्रणाली से सामाजिक सुरक्षा और ऋण प्राप्त कर सकेंगे तथा इस प्रणाली की विश्व बैंक जैसे संस्थानों ने सराहना की है।

सरकार ने लंबे समय से चलाए जा रहे सुधारों की प्रक्रिया के माध्यम से लचीली वित्तीय प्रणाली विकसित की है जिससे लाभार्थियों को इनका पूरा फायदा मिले। इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि महामारी के बाद के सुधार प्रयासों में सरकार समर्थन दे ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी निर्धारित 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य का लाभ मिल सके। 1.5 लाख डाकघरों में डाकघर बैंक खोलना और एससीबी द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट (डीबीयू) खोलने का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को जेएम ट्रिनिटी के माध्यम से नकदी की उपलब्धता और मोबिलिटी की सुविधा प्राप्त हो सके। डिजिटल भुगतान के लिए किफायती और अनुकूल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था और उद्योगों को विधिवत संचालित किया जा सकेगा। कारोबार में सुगमता लाने, रोज़गार के अवसर बढ़ाकर आमदनी बढ़ाने, सरकारी खरीद

मूल्य सीधे बैंक खातों में भेजकर किसानों की आय दुगुनी करने और मुद्रा बाजारों की कुशलता बढ़ाने में इंडिया@100 के डिजिटाइजेशन में बहुत मदद मिलेगी। इस समूची प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता कई गुणा बढ़ाई जा सकेगी और सभी स्तरों पर बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे।

बजट में महिला सम्मान बचत-पत्र योजना के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवच को मजबूत बनाने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं की छोटी बचतों को सुनिश्चित करना है, जिन्हें वे पूरी कोशिश से बचाती हैं ताकि मुश्किल पड़ने पर वे अपने परिवार की मदद कर सकें। यह लाखों गरीब महिलाओं तक वित्तीय प्रणालियों के लाभ पहुँचाने का प्रयास है ताकि पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर को कम किया जा सके। महिलाओं की बचतों से वित्तीय प्रणाली भी मजबूत होगी क्योंकि महिलाएं बहुत मुश्किल के वक्त और बेहद जरूरी होने पर ही अपनी बचत इस्तेमाल के लिए निकालती हैं। अतः इससे वित्तीय प्रणाली में बचत दर बढ़ेगी और सबसे निचले स्तर की गरीब महिलाओं को आर्थिक विकास और समृद्धि की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सकेगा क्योंकि वे ब्याज कमाकर बचत राशि बढ़ाती ही रहेंगी। सामान्यजनों, गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लोगों तथा अतिरिक्त आय के लिए सिर्फ मासिक आय योजना (एमआईएस) पर निर्भर रहने वाले वरिष्ठ लोगों पर

2023-24 में भारतीय रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी चलाने का भी उल्लेख किया गया है जिससे नवंबर, 2022 में प्रयोगिक रूप से शुरू किए गए प्रयास से देश की अर्थव्यवस्था, उत्पादक दक्षता और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में टिके रहने योग्य बनेगी और मध्यम अवधि में महंगाई या मुद्रास्फीति काबू में रखी जा सकेगी। इसका नतीजा होगा कि कारोबार करने में सुगमता और रहने में सरलता आएगी तथा आधुनिकतम प्रौद्योगिकियां विकसित होगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक सुधार आ जाएगा।

बजट प्रस्तावों से भारत को तथा उसके युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, वरिष्ठ नागरिकों, बीपीएल परिवारों, एमएसएमई, वंचितों और महामारी के दुष्प्रभावों से प्रभावित लोगों को सीधे लाभ प्राप्त होगा। धन का अर्थ नकदी की जगह डिजिटल मुद्रा हो चुका है। अब सामान्य लोगों के हाथ में भी ऐसी ताकत आ गई है कि कहीं से भी और किसी भी समय बस एक बटन क्लिक करके मामूली लागत से पैसे का लेन-देन हो सकता है और यह सुविधा रात-दिन हर वक्त उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जनधन योजना; आयुष्मान भारत; प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना; प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना; प्रधानमंत्री मुद्रा योजना; स्टैंडअप इंडिया; फसल बीमा योजना; आपात ऋण गारंटी योजना तथा आधार संख्या से जुड़ी अनेक योजनाएं हैं जिनसे सामान्य नागरिकों को सुरक्षा और प्रामाणिकता का आश्वासन मिल रहा है। इस प्रकार गरीब से

भी बजट में ध्यान दिया गया है और आर्थिक विकास में मिली सफलता तथा इन लोगों की जरूरतों को देखते हुए इनकी बचत सीमा भी बढ़ाई गई है। इन लोगों को आय के अतिरिक्त साधन जुटाने में मदद करने और बढ़ते निगमित क्षेत्र के लाभ लेने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए यह उपाय स्वागत योग्य है कि सेबी (प्रतिभूति और विनियम बोर्ड) के अंतर्गत इन्हें पूंजी बाजार के बारे में जानकारी दी जाए। जैसे-जैसे लोगों को पूंजी बाजार के लाभ समझ में आने लगेंगे, वे अपनी क्षमता के अनुसार पूंजी बाजार में भागीदारी करके अतिरिक्त आय करने लगेंगे। इसका यह प्रभाव भी होगा कि रिटेल या खुदरा पूंजी बाजार की हिस्सेदारी बढ़ने से पूंजी बाजार में निगमित क्षेत्र की ओर से भी निवेश बढ़ेगा। फिर पूंजी बाजार की समझ बढ़ने से सट्टेबाजी की जगह लोगों के निवेश को आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों में लगाया जा सकेगा।

डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत और पीएम ई-विद्या के अंतर्गत एक-कक्षा, एक-टीवी चैनल योजना के अंतर्गत 200 टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे जिनके माध्यम से कक्षा 1 से 12 तक 750 वर्चुअल लैब, विज्ञान और गणित तथा राष्ट्रीय और प्रादेशिक भाषाओं में शिक्षा पाने का समानता आधारित अधिकार सबको प्राप्त होगा। पढ़ाई के लिए उपयुक्त वातावरण विकसित करने के उद्देश्य से 75 स्किलिंग ई-प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। सभी बोली जाने वाली भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली ई-पठन सामग्री विकसित करके इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, रेडियो के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित की जाएगी जिससे शिक्षक अध्यापन के डिजिटल उपकरणों को समझकर देशभर में सभी आय वर्गों के लोगों (विद्यार्थियों) को भली प्रकार शिक्षित बना पाएंगे।

एनपीए अर्थात् लंबे समय तक वसूल न होने वाले ऋण लगातार बड़ी चुनौती बने हुए हैं खासकर 2007-08 के वैश्विक

वित्तीय संकट और महामारी के बाद के प्रभाव के कारण यह चुनौती और विकट हो गई है। दिवाला और शोधन अक्षमता अधिनियम (आईबीए) में ऋणदाताओं के अधिकारों को व्यापक और प्रभावी बनाने की व्यवस्था की गई है जिससे बैंकिंग प्रणाली को अपने अधिकारों के लिए लड़ने और जमाकर्ताओं के निवेश की सुरक्षा बनाए रखने में सुविधा होगी। इसके बावजूद अधिकांश बैंकों को ऋण न चुकाने की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति या कंपनी को डिफॉल्टर कहने या उन पर किसी प्रकार की रोक या अंकुश लगाने की छूट नहीं है, जो वाकई बड़ी चुनौती है। निगमित क्षेत्र की गोपनीयता नीति या तथ्य छिपाने की प्रवृत्ति के कारण ऋण लेने वालों की असल क्षमता का पता नहीं चल पाता। इस बजट में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री बनाने की जरूरत पूरी करने की बात कही गई है जिससे ऋण के लिए आवेदन करने वालों की समूची वित्तीय और अन्य संबद्ध जानकारी एक ही जगह मिल सकेगी।

इस व्यवस्था से वित्तीय प्रणाली मजबूत होगी और उससे जुड़े मध्यस्थों अथवा बिचौलियों की स्थिति भी बेहतर होगी जिससे ऋण लेने वालों की अपनी देनदारी के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी। सार्वजनिक डेटा उपलब्ध करा के संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने की उनकी क्षमता को निजता से जुड़े मुद्दों और साइबर हमलों की चुनौतियों का फिर भी सामना करना ही पड़ेगा। इस प्रणाली में ऋणदाताओं को संरक्षण प्राप्त होता है लेकिन ऋण लेने वाले भी वित्तीय क्षेत्र के बड़े शिकारियों के जाल में फंसने की आशंका से घिरे रहते हैं जो मौका पाते ही ऋण अदायगी में जरा-सी चूक होते ही परिसंपत्तियों को हड़पने की ताक में रहते हैं। ऋण वसूली का ऐसा तंत्र विकसित करना होगा जिसमें ऋण लेने वालों की कठिनाइयों और मुसीबतों पर ध्यान देकर ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मूलमंत्र के अनुरूप ऋण लेने-देने की व्यवस्था विकसित करने में सहायक हो।

फिनटेक और अन्य प्रौद्योगिकी समूहों तथा बैंकों के लिए बजट प्रावधानों में व्यापार-अनुकूल वातावरण और इकोसिस्टम परिलक्षित होता है और अनुपालन करने वालों के लिए व्यापार-अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए परिपालन से जुड़े 39,000 नियमों की संख्या घटाई गई है और 3,400 से अधिक कानूनी-प्रावधान हटा लिए गए हैं। भारत को अंतरराष्ट्रीय लेन-देन का वित्तीय केंद्र (हब) बनाने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीआईएफटी आईएफएससी (गिफ्ट सिटी) में कई नए उपाय किए गए हैं। द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं; मुक्त व्यापार समझौते; क्वैड से जुड़ना; रूस-यूक्रेन युद्ध में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण पहलें; जी-20 की अध्यक्षता और रुपये का अंतरराष्ट्रीयकरण/डिजिटलाइजेशन आदि अनेक उपलब्धियों ने भारत को नेता



सरकार ने लंबे समय से चलाए जा रहे सुधारों की प्रक्रिया के माध्यम से लचीली वित्तीय प्रणाली विकसित की है जिससे लाभार्थियों को इनका पूरा फायदा मिले। इसके लिए यह बहुत जरूरी था कि महामारी के बाद के सुधार प्रयासों में सरकार समर्थन दे ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी निर्धारित 7 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य का लाभ मिल सके।

वित्तीय क्षेत्र

प्रस्तावित कदम

राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना:

- ऋण का कुशल प्रवाह, वित्तीय समावेश को बढ़ावा एवं आर्थिक स्थिरता की सुनिश्चितता

केंद्रीय डेटा प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना:

- कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को त्वरित रिस्पॉन्स के लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाना

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी:

- कॉर्पस में ₹ 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा

1/2

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBIndia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

बनने की स्थिति में पहुँचा दिया है जो संयुक्त राष्ट्र-ईएसबी को मान्यता देता है, लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत को समझता है और विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में लगातार सहयोग करता है।

गिफ्ट सिटी (जीआईएफटी-आईएफएससी) के बारे में बजट प्रस्ताव व्यापार और खुले अर्थव्यवस्था तंत्रों को मजबूत बनाने की दिशा में आवश्यक उपाय हैं। डेटा अंबेसियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रक्रिया सशक्त और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने अब कठोर कानूनों के नियामक बने रहने की भूमिका निभाने की जगह व्यापार में सुगमता लाने और कारोबारों को रोज़गार के अवसर जुटाने में सहायक बनाने की दिशा में कार्य करने का रुख अपनाया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि देश की क्षमता का उपयोग भौगोलिक परिस्थितियों का इस्तेमाल सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने के लिए किया जाएगा। जीईएम अर्थात् गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस तंत्र और केंद्रीय डिपॉजिटरी प्रोसेसिंग सेंटर (सीडीपीसी) कंपनियों के लिए कारोबार की सुगमता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार द्वारा विकसित त्वरित प्रचालन कार्यवाही तंत्र है।

1 अप्रैल, 2023 से संशोधित और अधिक सशक्त योजना वाले एमएसएमई उद्यमों के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान 1, 2 और 3 को एमएसएमई की ऋण गारंटी के रूप में

जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। इसके कोष में 9,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी और 2 लाख करोड़ रुपये के, बिना गारंटी वाले अतिरिक्त ऋण प्राप्त हुए हैं। फिर, ऋण की लागत भी लगभग एक प्रतिशत कम हो जाएगी। एमएसएमई को समय पर भुगतान दिलाने के मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है और उन्हें वास्तव में भुगतान करते समय भुगतान पर होने वाला खर्च, कुल भुगतान राशि में से घटाने की अनुमति रहेगी। इस व्यवस्था से एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत लाखों लोगों को लाभ मिलेगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बाद एमएसएमई क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। यह व्यवस्था सरकारी विभागों और सहायक कार्यालयों में 10 लाख नौकरियां देने की प्रधानमंत्री की जुलाई, 2022 में की गई उस घोषणा के अतिरिक्त होगी जिसमें प्रशासन को चुस्त और कुशल बनाने के उद्देश्य से दिसंबर, 2023 तक ये पद भरे जाने हैं।

14 क्षेत्रों में कृषि ऋण; ग्रीन कार्ड; यूनिटी मॉल और उत्पादकता से जुड़ी निवेश योजना, सनराइज अवसरों में सौर तथा अन्य योजनाएं; ऊर्जा प्रेषण और जलवायु कार्रवाई; ग्रीन क्लीयरेंस; ई-पासपोर्ट; राज्यों के लिए शहरी योजना और विकास में सहायता; स्वच्छ और टिकाऊ मोबिलिटी; बैटरी आपस में बदलने (समाप्त बैटरी को चार्ज में लगाकर वहीं एक चार्ज बैटरी को अपने व्हीकल में लगा सकते हैं) की नीति; भूमि रिकॉर्डों का प्रबंधन; आईबीसी; त्वरित कार्पोरेट विकास, सरकारी खरीद प्रक्रिया का आधुनिकीकरण; सरकार के रनिंग बिलों का 10 दिन के भीतर 75 प्रतिशत भुगतान अनिवार्य; एबीजीसी क्षेत्रों को सुधारने के तौर-तरीके तय करना ताकि रोज़गार के अवसर बने और घरेलू क्षमता का निर्माण हो सके; ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में 5जी मोबाइल सेवाओं का विस्तार हो और ई-सेवा संचार सुविधा लोगों तक पहुँचे ताकि समाज के सभी वर्गों में रोज़गार सृजित हों और पर्यावरण-अनुकूल विकास हो।

बजट में लगातार तीसरे वर्ष पूंजीगत निवेश प्रावधान में 33 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपये (जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है) से बढ़ाकर 13.7 लाख करोड़ रुपये (जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है) कर दिया गया है जिससे गरीबों, महिलाओं, किसानों, वरिष्ठजनों और एमएसएमई उद्यमों के लिए पूंजीगत व्यय प्रावधान में उपरोक्त वृद्धि की जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी क्षेत्रों, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा के राज्यों को देश की विकास गाथा का अभिन्न अंग बनाने पर भी बजट में जोर दिया गया है। वित्तीय मध्यस्थता एक शक्तिमान ग्रोथ इंजन है और पूंजीगत व्यय के प्रावधान में 7.3 लाख करोड़ रुपये का निवेश बढ़ाने से निश्चय ही अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेज़ी आएगी और यह सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगी। इससे गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए रोज़गार के अवसर जुटाए जा सकेंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सकेगी। सरकार छोटी बचतों से ऋण लेगी और छोटी बचत करने वाले आमतौर पर गरीबों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प प्रदान करेगी तथा आय होने के साथ ही बचत की सुरक्षा का आश्वासन भी मिलेगा।

राजकोष को बढ़ाने और राजकोषीय घाटे को रोकने पर अक्सर जोर दिया जाता है परंतु यह तथ्य भुला दिया जाता है कि बड़ी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करा के ही आर्थिक विकास में अधिक तेज़ी लाई जा सकती है बशर्ते कि ऋणों का उपयोग उत्पादक पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किया जाए। किसी परियोजना पर हुए निवेश से होने वाली रिटर्न या आय (जिसमें सामाजिक और निजी दोनों लाभ शामिल हैं) उस परियोजना की पूंजीगत आस्तियों पर खर्च हुई राशि से ज्यादा हो तभी यह माना जाता है कि देश तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटे को करीब 4 प्रतिशत के निचले स्तर पर रोके रखने से देश के हितों को हानि पहुँचेगी, क्योंकि ऐसा करने

से वृद्धि रुकेगी और समानता पर आधारित विकास भी नहीं हो पाएगा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के विकास और उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उसके अपने वित्तीय संसाधन कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। कम राजकोषीय घाटे के लक्ष्य तय करने से सरकार विकास के लिए निवेश या व्यय नहीं कर पाएगी जबकि वृद्धि दर बढ़ाने, इंडिया@100 के तहत निवेश करने और युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर जुटाने के लिए समुचित पूंजी का प्रावधान आवश्यक है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार 563 अरब अमरीकी डॉलर के हैं (इसमें पड़ोसी देशों को दिए 50 अरब अमरीकी डॉलर के ऋण शामिल नहीं हैं) और हर महीने 7 अरब अमरीकी डॉलर की एफडीआई (फिक्स्ड डिपॉजिटि अथवा सावधि जमा) भी अलग से मिल रही है। इन तथ्यों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि निवेश की दृष्टि से भारत सर्वाधिक पसंदीदा देशों में से है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के प्रभावों और अमरीका द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद भारत में दीर्घावधि विकास परियोजनाओं के लिए राजकोषीय व्यय का सामर्थ्य है। 2023-24 के बजट में पीपीपी आधार पर चलने वाली विभिन्न परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के नवाचार-आधारित तरीके अपनाए गए हैं ये सभी देश के विकास में सहयोगी बनेंगे और अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता तथा रोज़गार सृजन बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होंगे। अतः यह बजट विकासोन्मुख है और इसमें 8 से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। यह सामान्य जन और मध्यम वर्ग का बजट है जिसका मूल मंत्र है 'सबका साथ सबका विकास'। ■



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार






भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के
बारे में जानने के लिए
डाउनलोड करें और क्विज़ खेलें।

 /dpd_india

 @DPD_India

 /publicationsdivision






बजट से सशक्त होगी भारत की युवा पीढ़ी

युवा सशक्तीकरण इस वर्ष के बजट की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। कौशल विकास तथा रोज़गार के अवसरों के लिए बजट में अतिरिक्त आवंटन से युवा सशक्त होंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ करने तथा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव से हमारे युवाओं को विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के ज़रिये हमारे युवाओं की क्षमताओं का निर्माण आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा। युवा मामलों तथा खेल के लिए बजट में कई गुना बढ़ोतरी से खेल से संबंधित विषयों एवं प्रौद्योगिकियों के अनुकूल तंत्र विकसित करने में सहायता मिलेगी, जिससे युवाओं के लिए खेल के क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर उत्पन्न होंगे।

जतिंदर सिंह

सहायक महासचिव, पी-एचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली। ई-मेल: jatinder@phdcci.in, jatindersdr@gmail.com

आज के युवा कल के नेता, राष्ट्र निर्माता, कॉर्पोरेट दिग्गज और समाज सुधारक होंगे। किसी भी देश के लिए युवा सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं क्योंकि युवा शक्ति में नवाचार की भावना, प्रौद्योगिकी महारत, उद्यमशीलता तथा खेल का कौशल होता है। भारत के पास सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है। अमृतकाल के दौरान 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवाओं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं। भारत की आर्थिक वृद्धि तथा विकास की लगातार बेहतर होती तस्वीर में युवाओं को महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका निभानी है।

ऊर्जा, नवाचार और रचनात्मकता के ऊंचे स्तरों के साथ भारतीय युवा भारत की वृद्धि गाथा में सार्थक योगदान कर रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में माहिर हमारे युवा सोशल मीडिया को प्रभावित कर रहे हैं और निर्णय लेने में पहले से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। युवा साथ आने तथा समावेशन के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर युवाओं के साथ संवाद मज़बूत करने के प्रयासों में मदद कर रहे हैं। 2023-24 के केन्द्रीय बजट में 'अमृत पीढ़ी' को समूचे अमृत काल में 'सप्तऋषि' के अंतर्गत प्राथमिकता बताते हुए उस पर जोर दिया गया है। इसमें सात प्रमुख क्षेत्रों: समावेशी विकास, युवा शक्ति, अंतिम छोर तक संपर्क यानी अंतिम व्यक्ति तक



ऊर्जा, नवाचार और रचनात्मकता के ऊंचे स्तरों के साथ भारतीय युवा भारत की वृद्धि गाथा में सार्थक योगदान कर रहे हैं। डिजिटल क्षेत्र में माहिर हमारे युवा सोशल मीडिया को प्रभावित कर रहे हैं और निर्णय लेने में पहले से बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। युवा साथ आने तथा समावेशन के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं और वैश्विक स्तर पर युवाओं के साथ संवाद मजबूत करने के प्रयासों में मदद कर रहे हैं। 2023-24 के केंद्रीय बजट में 'अमृत पीढ़ी' को समूचे अमृत काल में सप्तरश्मि के अंतर्गत प्राथमिकता बताते हुए उस पर जोर दिया गया है।

पहुँच, बुनियादी ढांचे, हरित वृद्धि, क्षमता को पूरी तरह बाहर लाने और मजबूत वित्तीय क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। युवा सशक्तीकरण इस वर्ष के बजट की शीर्ष प्राथमिकताओं में शुमार है।

युवा पीढ़ी का लाभ उठाना

भारत युवा कामकाजी आबादी वाली उपभोक्ता प्रधान अर्थव्यवस्था है। युवा खुद को तेज़ी से ढाल सकते हैं और बदलते वृहद आर्थिक परिवेश एवं तकनीकी परिवर्तनों से तालमेल बिठा सकते हैं। 1.4 अरब से अधिक जनसंख्या के साथ इस समय भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है। इसके साथ ही भारत की वृद्धि गाथा में नया दौर शुरू होता है, जिसमें विकास की रणनीतियाँ बनाने का अवसर मिलता है। हमारे देश में औसत आयु 28.4 वर्ष है, जो चीन में 38 और जर्मनी में 47 वर्ष है। देश की कुल आबादी में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्रामीण युवा आबादी की है। जनसंख्या में युवाओं के उभरने से जनकिकी लाभ मिल गया है, जिससे आर्थिक विकास की अभूतपूर्व राह तैयार हो रही है। हालाँकि वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी चल रही है किंतु विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार भारत का जीडीपी, चालू वित्त वर्ष में 7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण वाला आकांक्षाओं से भरा बजट

युवा आबादी की असली क्षमता तभी सामने आ सकती है, जब उसके पास वैश्विक बाज़ारों के अनुकूल कौशल एवं क्षमताएं हों। इस वर्ष का केंद्रीय बजट रणनीतिक क़दम है क्योंकि कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वस्तरीय

कार्यशक्ति तैयार करने में बुनियादी भूमिका निभाएंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के लिए 3,517.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें 2,278.37 करोड़ रुपये कौशल भारत कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं। कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों के लिए इस अतिरिक्त आवंटन से युवा सशक्त होंगे। इस उद्देश्य के साथ बजट में अगले तीन वर्ष के भीतर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आरंभ करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विश्वस्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अलग-अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, योगात्मक विनिर्माण, ब्लॉकचेन, सॉफ्ट स्किल्स जैसी नए जमाने की प्रौद्योगिकियाँ और इंडस्ट्री 4.0 के कई बुनियादी स्तंभ युवाओं को प्रौद्योगिकी में माहिर बनाएंगे। बजट ने नौकरी करते हुए प्रशिक्षण, उद्योग के साथ साझेदारी और पाठ्यक्रमों को उद्योग की ज़रूरत के मुताबिक ढालने पर जोर दिया है। इन प्रयासों से रोज़गार पाने की योग्यता बढ़ेगी और युवा कार्यशक्ति का जीवन स्तर बेहतर होगा। इस प्रकार समावेश, सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक वृद्धि, गरीबी उन्मूलन तथा सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सर्वांगीण सुधार जैसे दीर्घकालिक विकास लक्ष्य प्राप्त करने पर ही जोर है।

डिजिटल कार्यांतरण हर प्रकार के आर्थिक विकास की रीढ़ है। मेटावर्स, वेब3, कृत्रिम मेधा (एआई) और ऑटोमेशन जैसी क्रांतिकारी प्रौद्योगिकियों के कारण डिजिटल तकनीकों को अधिक से अधिक अपनाया जा रहा है। सरकार मांग पर आधारित औपचारिक कौशल को गति देने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ कर रही है। यह प्लेटफॉर्म नियोक्ताओं को जोड़ेगा और उद्यमशीलता की सभी योजनाओं तक पहुँचने में उनकी मदद करेगा। अखिल भारतीय नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (नैप्स) के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ज़रिये तीन वर्ष में 47 लाख युवाओं को छात्रवृत्ति देने की घोषणा स्वागतयोग्य क़दम है।

युवाओं को शिक्षित करने के लिए सर्वाधिक आवंटन

शिक्षा एवं कौशल विकास समावेशी विकास के लिए वृद्धि के वाहक हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से क्षमताओं का निर्माण आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा। शिक्षा मंत्रालय के लिए 2023-24 का बजट 1,12,898.97 करोड़ रुपये है। यह अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र एवं समावेशी शिक्षा की बुनियाद डालती है, जिसमें कौशल उन्नयन और व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन पर जोर दिया गया है ताकि 21वीं सदी के लिए आवश्यक कौशल वाले व्यक्ति तैयार हो सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को अनुभवजन्य शिक्षा एवं व्यावसायिक

प्रशिक्षण देकर उद्यमशीलता की संस्कृति गढ़ने की आकांक्षा दिखती है। इसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट व्यवस्था है, जो छात्रों को कई प्रकार के कौशल प्राप्त करने का अवसर देती है और शोध पर ध्यान देने का मौका भी देती है। यह नीति छात्रों को कम उम्र से ही उद्यमियों वाला नज़रिया विकसित करना सिखाती है। लेकिन इसका फल तभी दिख सकता है, जब शिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों। इस वर्ष ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) को उत्कृष्टता केंद्र बनाकर एवं उनके माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण को नया रूप देने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय एवं पंचायत तथा वार्ड स्तर पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अर्द्धचिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बजट में मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।

इन कार्यों से युवाओं की सबसे बड़ी पीढ़ी में समावेश पहले से अधिक होगा। इसके अलावा युवा भारत के सांस्कृतिक दूत हैं और जी20 के तहत यूथ20 में विदेशी प्रतिनिधियों के साथ संवाद से सभी जी20 राष्ट्रों के युवाओं के बीच पारस्परिक लाभकारी तालमेल की बुनियाद तैयार होगी।

युवा मामलों एवं खेल को अब तक का सबसे अधिक बजट आवंटन

भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में युवा मामलों एवं खेल बजट को कई गुना बढ़ाकर इसे केंद्र में ला दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इसका बजट 3,397.32 करोड़ रुपये है, जो 2014 की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है। खेल से संबंधित विषय एवं प्रौद्योगिकी सीखने के अवसर देने वाली व्यवस्था तैयार करने पर पहले से अधिक जोर है ताकि युवाओं को खेलों में करियर बनाने के लिए अवसर तैयार किए जा सकें। खेल सुविधाओं एवं संसाधनों के विकास, आरंभिक स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान, बुनियादी ढांचा निर्माण और महिलाओं, दिव्यांगों तथा ग्रामीण युवाओं को समान अवसर प्रदान करने वाली समग्र खेल संस्कृति तैयार करने के लिए 'खेलो इंडिया' अभियान को 1,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

भारत के स्टार्टअप परिवेश एवं युवाओं की नेतृत्व वाली उद्यमशीलता को समर्थन

भारत में उद्यमशीलता की भावना जन्मजात है क्योंकि यहां लगभग 79 प्रतिशत संगठन पारिवारिक कारोबार के रूप

में हैं। हमारे नए दौर के कारोबार एवं स्टार्टअप नवाचार एवं संपन्नता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दे रहे हैं। फलते-फूलते स्टार्टअप परिवेश और उद्यमशीलता की संस्कृति के साथ भारतीय युवा, उद्यमी बनने तथा वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याएं सुलझाने के लिए तैयार हैं। स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब्स के ज़रिये अब कई युवा उद्यमियों को आरंभिक स्तर पर इनक्यूबेशन सहायता प्राप्त हो रही है, जो कम उम्र से ही उद्यमशीलता विकसित करने के लिए अहम है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2016 में स्टार्टअप इंडिया अभियान आरंभ होने से हमारे देश में नवाचार तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। भारत दुनिया में स्टार्टअप व्यवस्था का केंद्र बन गया है और डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त 91,000 से भी अधिक स्टार्टअप एवं 30 अरब डॉलर के 108 यूनिकॉर्न के साथ इसका तीसरा स्थान है; यह





युवा शक्ति

अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण

- राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना**
 - 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा
- पर्यटन को बढ़ावा**
 - 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा
- राज्यों की राजधानियों में यूनिकोर्स की स्थापना**
 - एक जिला एक उत्पाद, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा







भारत के युवाओं के योगदान का ही नतीजा है। केन्द्रीय बजट ने निवेश के माहौल को सुधारकर और युवाओं की उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित कर स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदमों का प्रस्ताव किया है।

केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाना, कारोबारी सुगमता के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना और एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया आरंभ करना 2023-24 के केन्द्रीय बजट की विशेषताएं हैं। तकनीक से चल रहे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी एप्स बनाने के लिए 100 प्रयोगशालाएं बनाने का काम शुरू किया है। इसके पीछे वैश्विक तकनीकी व्यवस्था में देश का प्रभाव बढ़ाने के लिए 'मेड इन इंडिया' एप्स को बढ़ावा देने का विचार है। स्टार्टअप तथा शिक्षा जगत द्वारा नवाचार एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति का प्रस्ताव किया गया है। बजट ने पात्र स्टार्टअप की आरंभ होने की तिथि एक वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है ताकि उन्हें कर लाभ मिल सके। ग्रामीण इलाकों में कृषि-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पर जोर देते हुए बजट में कृषि एक्सीलरेटर फंड स्थापित करने की घोषणा की गई है।

युवा शक्ति-7 शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक

युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण की प्रमुख वाहक है। भारत की विकास यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि युवाओं को भारत की वृद्धि तथा वैश्विक प्रभाव के लिए बड़ी सोच, सृजन, नवाचार और लंबी छलांग लगाने के मौके सृजित करने हेतु कितना प्रगतिशील माहौल तैयार किया जाता है। केन्द्रीय बजट 2023-24 में प्रस्तावित आकांक्षा भरी पहलें भारतीय युवा को सशक्त बनाएंगी, जिससे वे अपनी वास्तविक क्षमता पहचान पाएंगे और आगे बढ़ते हुए अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनेंगे तथा वैश्विक मोर्चे पर मजबूत मुकाम हासिल करेंगे। हम उपयुक्त समय में हैं, जब प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी बदलाव हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन, स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक, रिटेल

और ई-कॉमर्स, 5-जी जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं और महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले कई अन्य नवाचार भी हैं। हमारे युवा सतत विकास से जुड़ी अहम चुनौतियों को समझते हैं, उन्हें अब सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों की अधिक समझ है और उनके प्रति उनका संकल्प भी पहले से अधिक है। नीति-निर्माताओं को ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए, जहां नई पीढ़ी के उद्यमियों को मजबूती मिल सके क्योंकि वे ही रोजगार प्रदाता बन सकते हैं।

युवा नए एवं विकसित भारत की आत्मा है। यही समय है, जब भारत के युवा को मौका लपकना चाहिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने एवं उसका नाम वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए अपनी ऊर्जा तथा तकनीकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए।

फार्म-4

योजना (हिन्दी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व तथा अन्य विवरण:

1.	प्रकाशन का स्थान	नयी दिल्ली
2.	प्रकाशन की अवधि	मासिक
3.	मुद्रक का नाम	अनुपमा भटनागर
	नागरिकता	भारतीय
	पता	सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
4.	प्रकाशक का नाम	अनुपमा भटनागर
	नागरिकता	भारतीय
	पता	सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
5.	संपादक का नाम	डॉ ममता रानी
	नागरिकता	भारतीय
	पता	648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी मार्ग, नयी दिल्ली-110003
6.	उन व्यक्तियों का नाम व पते जो पत्रिका के पूर्ण स्वामित्व में कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के स्वामी/हिस्सेदार हों	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली-110001

मैं, अनुपमा भटनागर, एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

दिनांक : 16.02.2023

अनुपमा

(अनुपमा भटनागर)
प्रकाशक



कौशल, रोज़गार और मानव संसाधन विकास

कौशल विकास का आज अपना विशिष्ट स्थान है। यह देश के तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करता है। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ-साथ तीव्र परिवर्तनों ने एक नई कार्य व्यवस्था की ओर अग्रसर किया और एक 'कुशल पारिस्थितिकी-तंत्र' के विकास के महत्व को और बढ़ा दिया। दुनिया भर में कई अध्ययनों ने निर्णायक रूप से साबित किया है कि उचित और प्रासंगिक कौशल न केवल आबादी के भीतर उत्पादकता में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार करते हैं बल्कि असमानता और गरीबी को भी कम करते हैं।

अरुण चावला

महानिदेशक, फिक्की। ईमेल: arun.chawla@ficci.com

अ

क्टूबर 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अनुसार, महामारी के कारण ऑटोमेशन और आर्थिक अनिश्चितता में तेजी से वृद्धि, मानव और मशीनों के बीच श्रम के विभाजन में बदलाव कर देगी, जिससे 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां विस्थापित होंगी और 97 मिलियन नए रोज़गार मिलेंगे। अब, मौजूदा और नए कार्यबल को पहले से कहीं अधिक चुस्त तथा अनुकूलनीय होना होगा और उन्हें अपने ज्ञान तथा कौशल को लगातार बढ़ाने की आवश्यकता होगी। शिक्षार्थियों को आज, नौकरी के अवसरों की एक विस्तृत शृंखला में स्थानांतरणीय रोज़गार कौशल से लैस होने और एक गतिशील उद्योग वातावरण में व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए उनके दृष्टिकोण को बदलने में मदद करने की जरूरत है।

भारत दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है, जिसकी कुल आबादी का लगभग 66 प्रतिशत (808 मिलियन से अधिक) 35 वर्ष से कम आयु का है। आगामी दशक में भारत के कार्यबल में प्रति वर्ष 8 मिलियन से अधिक की बढ़ोतरी होगी। श्रम बाज़ार में प्रवेश करने वालों में अधिकांश युवा होंगे।

भारत को बूढ़ा होने से पहले अमीर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ युवा आबादी के कंधों पर नहीं है बल्कि सरकार, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों पर भी है।

वर्तमान कार्यबल परिदृश्य में नीति-निर्माताओं के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक, लगातार बढ़ते शिक्षित युवाओं के लिए लाभकारी रोज़गार और महत्वपूर्ण काम के अवसर पैदा करना है। अन्य मुद्दा विद्यार्थियों की कमी के कारण अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग क्षमता के करीब 50 प्रतिशत का इस्तेमाल न हो पाना है। इसका कारण समय और धन के निवेश पर कम लाभ प्राप्ति है। भारत को स्कूली व्यवस्था के भीतर कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा को संस्थागत बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करने की जरूरत है।

उभरता हुआ कौशल पारिस्थितिकी-तंत्र

भारत में व्यावसायिक शिक्षा, उद्योग की जरूरतों के साथ-साथ विकसित हुई है, जिससे प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। पिछले एक दशक में, अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से 'न्यूनतम रोज़गार योग्य कौशल' के रूप में वर्णित किया गया

शिक्षा और कौशल तक पहुंच

समावेशी विकास

- शिक्षा के व्यय में वृद्धि: वित्त वर्ष-23 की जीडीपी का 2.9 प्रतिशत
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा
- बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना
- राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहन
- लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 की शुरुआत

केन्द्रीय बजट 2023-24

@PIB_India @PIBHindi @pibindia @pibindia PIBindia @PIB_India @PIBHindi @PIBHindi

शिक्षा में एकीकृत करना है, जिसे धाराओं के बीच सुगम गतिशीलता के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के साथ समन्वित किया जाएगा। इस नीति ने स्वदेशी कारीगरों, शिल्पकारों और ब्लू-कॉलर्ड पेशेवरों के साथ इंटरशिप के अवसरों के माध्यम से मिडिल और सेकंडरी स्तर से शुरू होने वाले व्यावसायिक कौशल प्रदर्शन की योजना बनाई है।

‘भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने’ की दृष्टि से सरकार, कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रयासों की गति, पैमाने और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले साल के केंद्रीय बजट (2022-23) में उद्योग के साथ साझेदारी में कौशल विकास कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था जिसका उद्देश्य निरंतर कौशल विकास के अवसर, स्थिरता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फिर से तैयार करना था।

है, जो व्यावसायिक शिक्षा को समग्र रूप से देखने के बजाय प्रवेश स्तर के रोजगार के द्वार खोलता है।

इस संबंध में, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना है। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क के निर्माण से चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की

इस वर्ष (2023-24) का केंद्रीय बजट कौशल, रोजगार और मानव संसाधन विकास पर ध्यान देने के साथ हमारे देश के युवाओं की विकास गाथा पर आधारित है। बजट परिव्यय में वृद्धि (शिक्षा क्षेत्र में 8.3 प्रतिशत वृद्धि और कौशल विकास में लगभग 85 प्रतिशत) स्पष्ट रूप से युवाओं को लाभकारी रोजगार देने और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान सरकार के फोकस को इंगित करता है।

कौशल और रोजगार परिदृश्य में हालिया सुधार

हमारे देश के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण (टीवीईटी) पारिस्थितिकी-तंत्र ने 2014 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) में अपनी स्थापना के बाद से आश्चर्यजनक विस्तार और विकास देखा है। मान्यता प्राप्त प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएलआईटी) केंद्र की स्थापना शिक्षा और प्रशिक्षण (एनईईटी) वाले उम्मीदवारों के लिए एक सकारात्मक कदम है। ये देश के प्रशिक्षण और कौशल पारिस्थितिकी-तंत्र में विस्तार करेंगे और इसे अगले स्तर पर ले जाएंगे।

ऐसी कई रिपोर्टें आई हैं जिन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि स्वचालन और उद्योग 4.0 कई नौकरियों को अप्रचलित कर देंगे और साथ ही, नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। इंसानों के स्थान पर रोबोटों के तेजी से इस्तेमाल पर संगठनों का विचार करना कुछ साल पहले, एक खतरे की तरह लग रहा था

केंद्रीय बजट 2023-24 में नई घोषित योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) एक स्वागत योग्य कदम है। इससे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में सुधार करने में सक्षम बन सकेंगे, उन्हें एमएसएमई मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का समर्थन करते हुए कमजोर वर्गों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगा।

लेकिन अब कॉर्पोरेट्स इसे एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। कर्मचारी अधिक लचीलेपन के साथ बेहतर नौकरी पाने के लिए खुद को बेहतर बनाने में विश्वास करते हैं। ऑटोमोबाइल क्षेत्र इसका एक आदर्श उदाहरण है। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीएस) के आगमन और सरकार द्वारा इन वाहनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए क्षमता निर्माण की प्रेरणा के साथ, उद्योग की संपूर्ण जनशक्ति को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। उन्हें नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप फिर से कुशल बनाने की आवश्यकता है। भारत के 30 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्रों की सरकार की घोषणा उपयुक्त और समय के अनुरूप है। ये केंद्र शिक्षार्थियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य कौशल हासिल करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट 2023-24 में नई घोषित योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास) एक स्वागत योग्य कदम है। इससे पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में सुधार करने में सक्षम बन सकेंगे, उन्हें एमएसएमई मूल्य शृंखला के साथ एकीकृत किया जा सकेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना का समर्थन करते हुए कमज़ोर वर्गों को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करेगा। फिक्की 'विरासत द हेरिटेज' की अपनी पहल के माध्यम से कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। 'देखो अपना देश' थीम के अनुरूप कौशल और उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एकीकरण इस क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर के नए अवसर खोलेगा और पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।



हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और 'अमृत पीढ़ी' को उनके सपनों को साकार करने में सहायता के लिए, बजट 2023-24 में शिक्षित, कुशल और रोज़गार योग्य कार्यबल के लिए समाधान तैयार करने का प्रावधान किया गया है। व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को लैस करने के लिए इस साल के बजट में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के लिए 440 करोड़ रुपये का आवंटन एक ऐतिहासिक निर्णय है।

कृत्रिम मेधा की दुनिया लगातार नए विकास कर रही है। युवाओं के लिए इस उभरते कौशल को सीखने और 'मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया' के माध्यम से नए मॉडल बनाने का यह उपयुक्त समय है। हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा संकेत यह है कि भविष्य के कौशल डिजिटल हैं, और उनका ध्यान इन कौशलों को प्राप्त करने पर होना चाहिए।

हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और 'अमृत पीढ़ी' को उनके सपनों को साकार करने में सहायता के लिए, बजट



भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की दृष्टि से सरकार, कौशल और उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों के प्रयासों की गति, पैमाने और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है।



**संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 4 लक्ष्य-
'समावेशी, एकसमान तथा गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने
के अवसरों को बढ़ावा देना' सुनिश्चित
करने के उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रीय
शिक्षा नीति 2020 का इरादा भारत के
जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता का
लाभ उठाना है।**

2023-24 में शिक्षित, कुशल और रोज़गार योग्य कार्यबल के लिए समाधान तैयार करने का प्रावधान किया गया है। व्यावहारिक ज्ञान और कौशल से तकनीकी रूप से योग्य युवाओं को लैस करने के लिए इस साल के बजट में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) के लिए 440 करोड़ रुपये का आवंटन एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा, प्रमुख कार्यक्रम- आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (संकल्प) और औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) राष्ट्रीय कौशल ढांचे को और अधिक मज़बूत बनाना और सहायता देना जारी रखेंगे।

मानव संसाधन विकास: परिवर्तन का आधार

इस वर्ष के बजट में पूंजी निवेश का परिव्यय 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। यह 2019-20 में परिव्यय का लगभग तीन गुना होगा। बुनियादी ढांचे और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास, मानव संसाधन विकास और रोज़गार पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ता है। बजट एक बार फिर निवेश और रोज़गार सृजन के चक्र को तेज़ करने की दिशा में अग्रसर है। 5जी सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन बनाने के लिए 100 लैब विकसित करना, इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ नए अवसरों, बिजनेस मॉडल और रोज़गार की संभावनाओं को साकार करने की एक पहल है।

शिक्षा और प्रशिक्षण के जिला संस्थानों (डाइट) को उत्कृष्टता केंद्रों में बदलने पर सरकार का ध्यान 21वीं सदी की अति आवश्यक तैयारी प्रदान करेगा। यह शिक्षकों के भीतर नवीन शिक्षाशास्त्र विकसित करने और प्रभावी आईसीटी कार्यान्वयन को अपनाने के लिए क्षमता निर्माण में मदद करेगा। केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित डिजिटल लाइब्रेरी एक सुधार उपाय है जो शिक्षा को 'न तो रोज़गार, शिक्षा और प्रशिक्षण' (एनईईटी) वाली आबादी के दरवाजे पर लाएगा। यह स्व-शिक्षण, अपस्किल और री-स्किल के अवसरों का प्रवेश द्वार भी होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

(पीएमकेवीवाई) क्षमता निर्माण और हमारे शिक्षार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने में मील का पत्थर साबित हुई है। पीएमकेवीवाई 4.0 का उद्देश्य कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स, मेक्ट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन आदि जैसे नए-युग के कौशल में कुशल कार्यबल तैयार करना है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के 4 लक्ष्य- 'समावेशी, एकसमान तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' सुनिश्चित करने के उद्देश्य के अनुरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इरादा भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता का लाभ उठाना है। नीति का उद्देश्य 2025 तक स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के कम से कम 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देना है। चूंकि यह सही दिशा में एक कदम है, इसे शिक्षार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा अधिगम व्यवस्था में बड़े आधारभूत परिवर्तन कर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए प्रस्तावित सुधारों को केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग से ही लागू और प्राप्त किया जा सकता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सुविधा के नौकरशाही दृष्टिकोण या सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन के संबंध में टुकड़ों में कार्रवाई का सहारा नहीं ले। निर्धारित समय सीमा का पालन करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित परिवर्तनों को सुचारू रूप से अपनाना सुनिश्चित करने के लिए ठोस, केंद्रित और समयबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उद्योग संघ निकायों सहित प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करें।

भविष्य 'काम की दुनिया' की योग्यता पर आधारित है और सभी नए तथा मौजूदा पेशेवरों को अपनी मूलभूत ताकत और दक्षताओं के आधार पर निर्माण करना चाहिए। दक्षता, समीक्षात्मक तर्क, रचनात्मक सोच और लचीलापन कल के शीर्ष कौशल हैं जो एआई, एमएल, आईओटी, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ मिलकर राष्ट्र के युवाओं के लिए एक बहुत ही सफल करियर मार्ग बना सकते हैं।

अब समय आ गया है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में निर्मित मज़बूत और प्रभावी कौशल विकास ढांचे का लाभ उठाया जाए। हमारे लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले वर्षों में अपनी कौशल क्षमता का उपयोग कैसे करते हैं? हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए तथा अधिक उत्साह के साथ स्वयं को फिर से तैयार करना चाहिए और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के परिकल्पित लक्ष्य की दिशा में काम करना चाहिए। ■

संदर्भ

1. https://www.ilo.org/newdelhi/info/WCMS_175936/lang--en/index.htm



केंद्रीय बजट के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास

महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं का कौशल विकास करने, आदिवासियों के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु धन उपलब्ध कराने और रोज़गार के अवसरों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए बजट में विकास के लाभों को कमज़ोर वर्गों तक पहुँचाने के मामले में सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है।

डॉ शाहीन रज़ी

सेवानिवृत्त यूजीसी फेलो, विजिटिंग प्रोफेसर अर्का जैन विश्वविद्यालय। ईमेल: shahin.razi@gmail.com

नौशीन रज़ी

रिसर्च स्कॉलर। ईमेल: naushin.razi.1@gmail.com

स्थि

र, सुसंगत, समावेशी और स्त्री-पुरुष समानता उन्मुख बजट भारत की गतिशीलता और सामर्थ्य को दर्शाता है। कमज़ोर आदिवासी समूहों, महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है। इसके अलावा, बजट वैश्विक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण में व्याप्त अनिश्चितताओं पर विचार करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के अमृत काल की ओर बढ़ते हुए लचीलेपन को बढ़ावा देने और विकास में तेज़ी लाने के लिए रोड मैप प्रदान करता है।

समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि सभी सीमांत और बहिष्कृत समूह विकास प्रक्रियाओं में हितधारक हों। भारत आर्थिक विकास और अवसरों का एक अटूट इंजन है। स्थिर, सुसंगत, समावेशी और स्त्री-पुरुष समानता उन्मुख बजट भारत की गतिशीलता और सामर्थ्य को दर्शाता है। इस वर्ष का बजट अपनी स्पष्टता, समानता, सरलता और प्रभावशीलता के लिए उल्लेखनीय है।

महिला सशक्तीकरण

महिलाओं तक विकास का लाभ पुरुषों के बराबर पहुँचाना सुनिश्चित करने के लिए जेंडर बजटिंग एक शक्तिशाली ज़रिया है। भारत की कुल आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है, लेकिन वे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर पुरुषों से पीछे हैं; इस प्रकार, जेंडर बजटिंग महत्वपूर्ण है।

महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं का कौशल विकास करने, जनजातीय बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन उपलब्ध कराने और रोज़गार के अवसरों में सुधार पर केंद्रित बजट ने समानता की भावना को बढ़ावा देने और प्रत्येक भारतीय को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का अवसर देने के लिए बहुत कुछ किया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 30 उन्नत कौशल केंद्रों की परिकल्पना की गई है जो युवाओं के लिए अत्यधिक कौशल वाली नौकरियों के नए रास्ते खोलेंगे।

नई बचत योजनाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और लड़कियों में अधिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए एक निश्चित ब्याज दर और निश्चित अवधि के साथ एक नई लघु बचत योजना की घोषणा की।

आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए, एक नई छोटी बचत योजना, महिला सम्मान बचत प्रमाण-पत्र, मार्च 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध होगी। इसमें महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक 2 वर्ष की अवधि के लिए जमा करने की सुविधा होगी और आंशिक निकासी का विकल्प भी होगा।

वर्तमान में अभिभावक केवल सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका का खाता खोल सकते हैं, जिसकी अधिकतम



निवेश सीमा एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख और ब्याज दर 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

वित्त मंत्री ने वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में अधिकतम जमा सीमा को दोगुना कर इसमें बदलाव की भी घोषणा की है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी जाएगी। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या 55 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत्त नागरिक कर्मचारी एससीएसएस योजना के तहत खाता खोल सकेंगे, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर निवेश किया जाए। 50 वर्ष से अधिक लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारी भी एससीएसएस की सदस्यता ले सकते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त होने के एक महीने के भीतर निवेश करने की शर्त उन पर भी लागू होगी। एससीएसएस का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यह 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर प्रदान करता है।

निवेश सीमा को हालांकि दोगुना कर दिया गया है, लेकिन धारा 80सी के तहत एससीएसएस निवेश पर उपलब्ध कर छूट वाली राशि 15 लाख ही रखी गई है।

एससीएसएस की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त निवेशकों को सुरक्षित साधनों में अपने निवेश की योजना बनाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है।

मासिक आय खाता योजना की सीमा भी बढ़ा दी गई है। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।

एमआईएस खाता नाबालिग की ओर से एक व्यक्ति या अधिकतम 3 वयस्कों या एक अभिभावक द्वारा संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। निवेश 1,000 रुपये के गुणकों में हैं और यह योजना प्रति वर्ष 7.1 प्रतिशत की मासिक ब्याज दर प्रदान करती है।

एमआईएस सबसे लोकप्रिय छोटी बचत योजनाओं में से एक है। फरवरी 2022 तक इसमें बकाया राशि 2,34,825 करोड़ रुपये थी जबकि एससीएसएस में यह राशि 1,17,239 करोड़ रुपये थी। फरवरी 2022 तक कुल लघु बचत बकाया राशि 14,26,737 करोड़ रुपये थी।

बजट में सहकारी क्षेत्र के भीतर दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना की परिकल्पना की गई है। बजट में नई प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की भी घोषणा की गई है। इससे कृषि के साथ-साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा, इस प्रकार किसानों, पशु-पालकों, मछुआरों और महिला किसानों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

यह बजट, टिकाऊ भविष्य के लिए हरित विकास (ग्रीन ग्रोथ), हरित अर्थव्यवस्था, हरित बुनियादी ढांचे और हरित नौकरियों को भी बढ़ावा देता है। इस वर्ष के बजट के माध्यम से भारत सरकार ने 'अमृत काल' की सात प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। केंद्रीय बजट युवाओं को सशक्त बनाने और पीएम कौशल विकास योजना 4.0 जैसी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य कोडिंग, कृत्रिम मेधा, रोबोटिक्स, 3डी प्रिंटिंग आदि जैसे नए पाठ्यक्रमों में लाखों युवाओं को कशल बनाना है।

इसके अलावा, पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज और जनजातीय समूहों की सहायता करने के लिए पीएम पीवीटीजी (विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह) कार्यक्रम की घोषणा की गई है, ताकि आबादी के पिछड़े और हाशिए पर रहने वाले वर्गों का आर्थिक उत्थान किया जा सके।

हरित विकास पर भारत की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करने और बड़े पैमाने पर हरित रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने पर केंद्र का ध्यान है। हाल में शुरू किए गए हरित हाइड्रोजन मिशन के अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी आयात करने पर सीमा शुल्क छूट की सरकार की घोषणा हरित गतिशीलता के लिए वरदान साबित होगी। इसके अलावा, हरित ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने कच्चे से कचन बनाने के 500 नए संयंत्र स्थापित कर चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य उपायों के अलावा

मिश्रित कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में छूट की घोषणा की है।

ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही है, यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार पूंजीगत व्यय समर्थन को बनाए रखते हुए घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सहयोग से पीछे नहीं हटी है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर खासकर के भारतीय मध्यम वर्ग के बीच उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्यक्ष कर स्लैब में संशोधन किया है। यह उपलब्धि इस तथ्य के संज्ञान में और भी सराहनीय हो जाती है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का पालन किया है, वह वित्त वर्ष 2024 में इसे घटाकर 5.9 प्रतिशत करने का इरादा रखती है और राजकोषीय विवेक के अपने मार्ग पर टिकी हुई है। कुल मिलाकर, इस व्यावहारिक बजट और इसके मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था सुरक्षित स्थिति में अच्छी तरह से स्थापित है और अपने वैश्विक साथियों के बीच एक 'स्टार' के रूप में उभरी है।

केंद्रीय बजट 2023-24 अपने विचारों में साहसिक लेकिन हिसाब में रूढ़िवादी, अपनी कार्यनीतियों में महत्वाकांक्षी और वास्तविकता में मजबूती प्रदान करने वाला है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के अमृत काल की ओर बढ़ते हुए लचीलेपन को बढ़ावा देने और विकास में तेजी लाने के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हुए वैश्विक मैक्रोइकॉनॉमिक आउटलुक को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं पर सफलतापूर्वक काम करता है।

इस बजट को सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर सबके लिए बजट के रूप में सराहा जा रहा है, क्योंकि इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है। बजट का फोकस पिछले दो वर्षों में कोविड-प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को सुविधाजनक बनाने से लेकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कठिन और आसान दोनों तरह के उपाय करने पर है।



बजट का फोकस पिछले दो वर्षों में कोविड-प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को सुविधाजनक बनाने से लेकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने और दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करने के लिए कठिन और आसान दोनों तरह के उपाय करने पर है।

भारत 2047 में जिस तरह का समाज बनने की आकांक्षा रखता है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप यह दस्तावेज एक स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। इंडिया@100 समावेशिता और समृद्धि के स्तंभों पर टिका होगा, जहां विकास के लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों, खासकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक पहुँचेंगे। जैसा कि 'समावेशी विकास' और 'अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने' की पहली दो प्राथमिकताओं के माध्यम से परिलक्षित होता है, बजट में कमजोर आदिवासी समूहों, महिलाओं, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

बजट में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर व्यक्तियों और स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने और कुछ हद तक वित्त पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह हमारे युवाओं को सशक्त बनाने और अमृत पीढ़ी (सुनहरी पीढ़ी) को उनकी क्षमता की अभिव्यक्ति करने में मदद करने के लिए नीतियां तैयार करता है। यह बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की सुविधा के लिए युवाओं, महिलाओं, शिल्पकारों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के कौशल के महत्व पर ध्यान आकर्षित करता है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को दक्ष बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम-विकास), ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष, और 'देखो अपना देश' पहल के तहत पर्यटन क्षेत्र के लिए क्षेत्र-विशिष्ट कौशल और उद्यमिता विकास का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024 के बजट में पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और अमृत पीढ़ी कार्यक्रम के माध्यम से युवा शक्ति और आधुनिक कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह योजना युवाओं को कोडिंग, कृत्रिम मेधा और रोबोटिक्स के कौशल से लैस करेगी और राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से वजीफ़ा प्रदान करेगी। पर्यटन क्षेत्र को कुशल कार्यबल से लाभ होगा और युवा उद्यमियों को प्रस्तावित एकता मॉल (एक जिला, एक उत्पाद पहल के माध्यम से) के माध्यम से विपणन सहायता प्राप्त होगी।

कुल मिलाकर, बजट 2023-24 वास्तविकता, पारदर्शिता और प्राप्य लक्ष्यों पर आधारित है। यह आर्थिक रूप से स्मार्ट है, राजनीतिक विश्वास को दर्शाता है, वित्तीय रूप से विश्वसनीय है और स्त्री-पुरुष समानता तथा समावेशन पर जोर देता है। यह भारत के गौरव प्राप्त करने के लिए अमृत काल रोड मैप है। बजट 2023-24 वास्तव में एक अमृत बजट-विश्वगुरु भारत की नींव है। ■

राजकोषीय घाटे की नीति में बदलाव और सतत विकास

किसी देश का बजट सरकार के आय-व्यय का लेखा-जोखा मात्र नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को निर्धारित करने का साधन है जिसके जरिये वित्तीय स्थायित्व हासिल करने का प्रयास किया जाता है। बजट की सफलता उसके कुल परिव्यय से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था पर इसके परिणामों तथा समग्र प्रभाव से आँकी जाती है। पिछले कई वर्षों से, खास तौर से कोविड महामारी के बाद से, वैश्विक अनिश्चितताओं और आंतरिक आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए राजकोषीय नीतिगत प्रयास अनिवार्य हो गए हैं, ताकि सतत विकास की राह सुनिश्चित हो सके।

डॉ अमिय कुमार महापात्र

प्रोफेसर, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंदौर। ईमेल: amiyacademics@gmail.com

दे

श के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण में बजट की महत्वपूर्ण भूमिका है। बजट के प्रभाव का आकलन विभिन्न क्षेत्रों और विभागों को आवंटित किए गए धन से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाना चाहिए कि कैसे कोई व्यय देश के समावेशी और सतत विकास को प्रभावित करेगा। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, बजट के प्रभाव को राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय के दृष्टिकोण से देखा जाना ज़रूरी है। देश का विकास वित्तीय अनुशासन और मजबूती पर निर्भर है।

राजकोषीय घाटा तथा विश्लेषण

राजकोषीय घाटे से किसी वित्त वर्ष में सरकार की ऋण लेने की कुल आवश्यकताओं का पता चलता है। इसका उपयोग राजकोषीय अनुशासन का जायजा लेने और वर्तमान आवश्यकताओं तथा भावी देयताओं के संदर्भ में देश की वित्तीय नीतियाँ तय करने में किया जाता है। इससे ऋण लेने के संदर्भ में देश की राजकोषीय स्थिति की सम्पूर्ण स्थिति का जायजा मिलता है।

राजकोषीय घाटे के दायरे और मात्रा का आकलन दो घटकों से किया जाता है: राजस्व घाटा और पूंजीगत व्यय। 2023-24 के बजट में प्रस्तावित राजकोषीय घाटा सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) का 5.9 प्रतिशत है जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 6.4 प्रतिशत था। कोविड महामारी के प्रभाव, वैश्विक स्थितियों, रूस-यूक्रेन युद्ध और अन्य भू-राजनैतिक तनावों को

देखते हुए जीडीपी के 5.9 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा बहुत अधिक नहीं है लेकिन चिंता का विषय अवश्य है। परन्तु सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अनुमानित घाटा इससे अधिक न बढ़े, अन्यथा आर्थिक संकट कठिन हो जाएगा जिससे मुद्रास्फीति तथा अन्य वित्तीय गड़बड़ियों की आशंका रहेगी। साथ ही, सरकार का निवेश तथा लोक-कल्याण योजनाओं पर खर्च करना आवश्यक हो जाएगा ताकि आमदनी, उत्पादन और रोजगार तेजी से बढ़े तथा देश वित्तीय स्थायित्व की राह पर आगे बढ़ सके। ऐसा करने से ही अधिक राजकोषीय घाटे का औचित्य सिद्ध होगा जो वित्तीय दायित्व तथा बजट अधिनियम (एफ़आरबीएमए)-2003 में निर्धारित जीडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा से अधिक है।

राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने की गंभीरता अनुमानित और वास्तविक वित्तीय घाटे के अंतर को नियंत्रित करने के प्रयासों पर निर्भर करती है ताकि वांछित परिणाम हासिल किए जा सकें। तमाम प्रयासों और वित्तीय ताल-मेलों के बावजूद, लंबे समय तक अधिक राजकोषीय घाटे का होना अर्थव्यवस्था के लिए संकट का संकेत है।

राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय के बीच ताल-मेल

वित्तीय दायित्व तथा बजट अधिनियम एफ़आरबीएमए- 2003 के पारित होने के 20 साल बाद भी, इसके निर्देशों के अनुरूप

सारिणी 1: जीडीपी के प्रतिशत के अनुरूप अनुमानित राजकोषीय घाटा

वर्ष (बजट अनुमान)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा (%)	4.4	4.3	3.8	3.3	2.5	6.8	5.5	4.6	5.1	4.8	4.1	3.9	3.5	3.2	3.3	3.3	3.5	6.8	6.4	5.9

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेजों के आधार पर लेखक का आकलन

राजकोषीय घाटे को अब तक भी जीडीपी के 3 प्रतिशत के दायरे में नहीं लाया जा सका है। ऐसा संभवतः विभिन्न समष्टिगत अर्थशास्त्रीय गड़बड़ियों और आर्थिक अस्थिरताओं को गंभीरता से नहीं लेने की वजह से हुआ है। लेकिन, इसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों से अधिक पूंजीगत व्यय की राह तलाशी गई है। राजकोषीय घाटे के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है और जीडीपी का 3.3 प्रतिशत है। यह 2019-20 के परिव्यय का करीब तीन गुना है। बजट के अनुसार, केंद्र सरकार का कुल 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 13.7 लाख करोड़ रुपये होगा जो जीडीपी का 4.7 प्रतिशत होगा।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह समझा जाता है कि आर्थिक प्रगति के लिए अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता है। निवेश में निरंतर वृद्धि से बिजली, परिवहन और रेलवे जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा जिसके प्रभाव से जीडीपी/रोज़गार/उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होगी, निजी उद्यमियों का निवेश बढ़ेगा और वैश्विक संकटों का असर नहीं पड़ेगा। इससे दीर्घकालीन आपूर्ति-केन्द्रित उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। नई राह दिखने वाली योजनाओं, प्रधानमंत्री

गतिशक्ति, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएलआई उत्पादन के अनुरूप प्रोत्साहन देने की योजनाओं से इस नीति का औचित्य स्पष्ट होता है। इन नीतियों से निर्माण-क्षेत्र का बुनियादी आधार मजबूत होगा और मूल्य-शृंखला अधिक कुशल होगी। इस बजट में राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वायत्तता दी गई है और इसी के अनुरूप, प्रत्येक राज्य को, उसके जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे को लाने की अनुमति दी गई है।

राजस्व घाटा और टिकाऊ विकास का मार्ग

राजस्व घाटे से सरकार की राजस्व आय की तुलना में अधिक राजस्व व्यय का पता चलता है। राजस्व घाटे के अधिक होने से इस कमी को पाटने के लिए सरकार को ऋण लेने पड़ते हैं। सामाजिक क्षेत्रों, लोक-कल्याण योजनाओं, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी की अनेक बड़ी आवश्यकताओं के बावजूद, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.9 प्रतिशत घाटे का प्रस्ताव किया है जो वित्त-वर्ष 2022-23 के 3.8 प्रतिशत से काफी कम है। पिछले कुछ वर्षों में राजस्व घाटे में निरंतर कमी निश्चय ही वित्तीय स्थायित्व और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए स्वागत-योग्य प्रयास है।

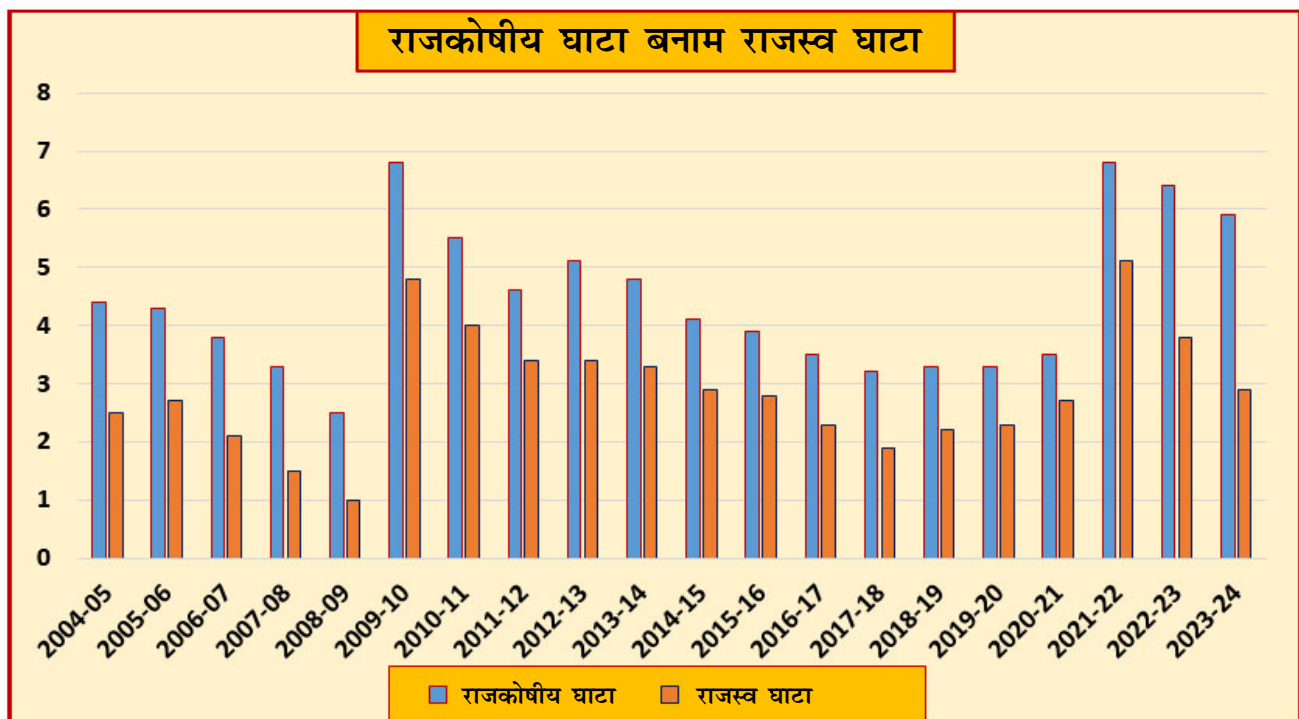
हालांकि राजस्व घाटे का कोई स्पष्ट स्तर अथवा लक्ष्य तय नहीं किया गया है और न ही किसी नियामक व्यवस्था या

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह समझा जाता है कि आर्थिक प्रगति के लिए अधिक सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता है। निवेश में निरंतर वृद्धि से बिजली, परिवहन और रेलवे जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा मजबूत होगा जिसके प्रभाव से जीडीपी/रोज़गार/उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि होगी, निजी उद्यमियों का निवेश बढ़ेगा और वैश्विक संकटों का असर नहीं पड़ेगा। इससे दीर्घकालीन आपूर्ति-केन्द्रित उत्पादक क्षमता बढ़ेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

सारिणी 2: जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजस्व घाटा

वर्ष (बजट अनुमान)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
राजकोषीय घाटा (%)	2.5	2.7	2.1	1.5	1.0	4.8	4.0	3.4	3.4	3.3	2.9	2.8	2.3	1.9	2.2	2.3	2.7	5.1	3.8	2.9

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेजों के आधार पर लेखक का आकलन



चित्र 1

अधिनियम के अंतर्गत ऐसी कोई अनिवार्यता रखी गई है, फिर भी राजस्व घाटे की स्थिति की, कुल राजकोषीय घाटे के निर्धारण तथा राजकोषीय विवेक तथा आर्थिक स्थायित्व बनाए रखने में निर्णायक भूमिका है। सरकार द्वारा राजस्व घाटे, खास तौर से राजस्व व्यय के प्रबंधन से उसके राजकोषीय विवेक का पता चलता है। करों के जरिये अधिक रकम हासिल कर पाने, कराधान का आधार बढ़ाने और इसे चुस्त बनाने तथा विभिन्न खर्चों की सावधानी के पड़ताल करते हुए इनकी सही प्राथमिकता निर्धारित करने से राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है। व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, सभी खर्चों, खास तौर पर राजस्व खर्चों की विवेकपूर्ण तरीके से सही प्राथमिकता निर्धारित

की जाती रही है जो बजट प्रावधानों में साफ नज़र आता है। इससे विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत धनराशि के आवंटन में कुशलता आएगी, बर्बादी घटेगी और प्रक्रियाओं की कमियाँ दूर होने से कार्य-कुशलता बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी राजस्व व्यय देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अधिक कार्यकुशलता के साथ किए जाएँ।

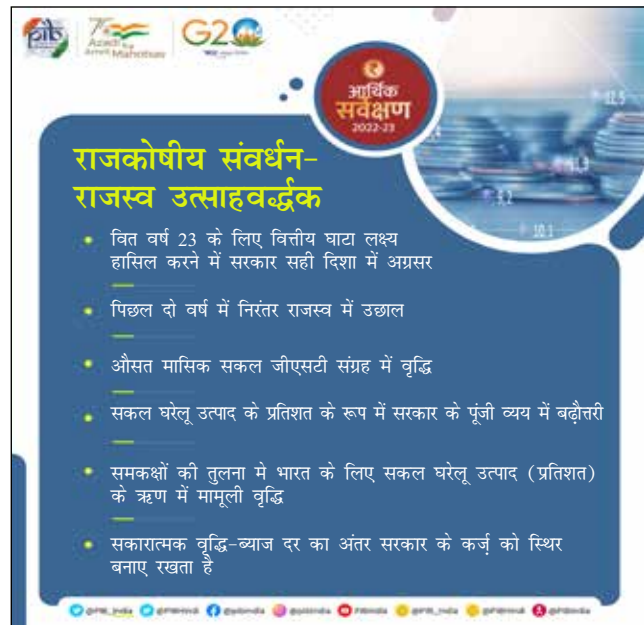
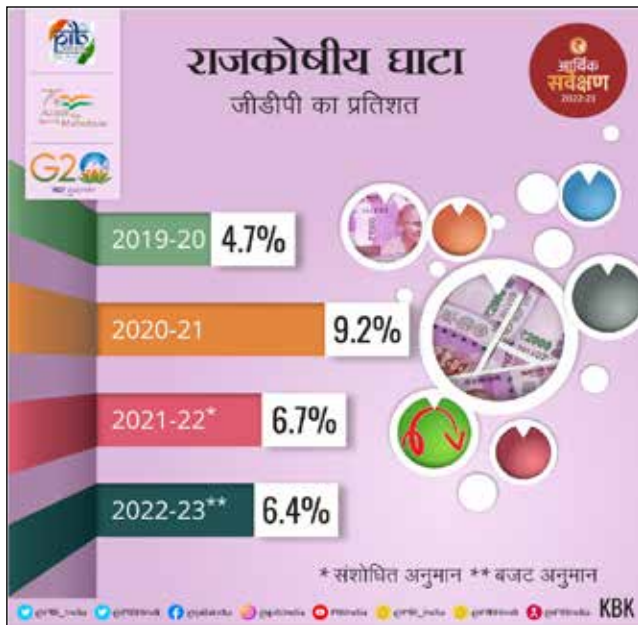
राजकोषीय स्थायित्व के संकेतक और निष्कर्ष

राजकोषीय स्थायित्व के छह संकेतकों और उनके प्रभावों तथा परिणामों का इस लेख में विश्लेषण किया जा रहा है। हमने राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का चित्र-1 के अनुरूप विश्लेषण किया है। अब हम सारिणी-3 के अनुरूप, बाकी 4

सारिणी 3: राजकोषीय स्थायित्व के संकेतक

क्र.	विवरण/वित्त वर्ष	2021-22	2022-23	2023-24	प्रभाव/परिणाम
1	राजकोषीय घाटा (%)	6.8	6.4	5.9	सकारात्मक
2	राजस्व घाटा (%)	5.1	3.8	2.9	सकारात्मक
3	आरआरई (राजस्व आय और राजस्व व्यय का अनुपात)	67.8	67.9	75.2	उत्साहवर्धक
4	पूँजीगत व्यय (लाख करोड़ रुपये)	5.54	7.5	10	उत्साहवर्धक
5	कैपेक्स-एफ़डी (पूँजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे का अनुपात)	37.4	41.5	56.0	सकारात्मक
6	जीडीपी के सापेक्ष कराधान (%)	9.9	10.7	11.1	सकारात्मक

स्रोत: भारत सरकार के बजट दस्तावेजों के आधार पर लेखक का आकलन



संकेतकों की चर्चा करेंगे।

- राजस्व आय और राजस्व व्यय के अनुपात का आकलन केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय सम्बन्धों और लेन-देन के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यह अनुपात जितना ऊंचा होगा, व्यय की उतनी ही अधिक विवेकपूर्ण होगी और राजस्व का आधार उतना ही मजबूत होगा। अनुमान है कि यह अनुपात वर्ष 2023-24 में 75.2 हो जाएगा। इस वर्ष कुल राजस्व आय 26.32 लाख करोड़ रुपये और कुल राजस्व व्यय 35.02 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह, राजस्व आय-व्यय अनुपात (आरआरई) में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अधिक होने से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके बहुआयामी प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बहुत बल मिलेगा और स्वतन्त्रता के एक सौ वर्षों (इंडिया@100) के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। हमारे वित्तीय ढांचे का टिकाऊ मॉडल ऐसी स्थिति की ओर संकेत कर रहा है जब राजकोषीय घाटे के दुष्प्रभावों की विभिन्न पूंजीगत सम्पत्तियों तथा लोक-कल्याण योजनाओं पर व्यय से समुचित भरपाई की जा सकेगी।
- इसी तरह, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे (कैपेक्स-एफडी) के अनुपात से मोटे तौर पर पता चलता है कि ऋणों का पूंजीगत व्यय में कितना इस्तेमाल किया गया। यह निष्कर्ष निकला है कि पिछले वर्षों में कैपेक्स-एफडी अनुपात में निरंतर वृद्धि हुई है और इस समय यह 56.0 है। इससे सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रवृत्ति का पता चलता है। स्पष्ट है कि भारत वित्तीय स्थायित्व की सही दिशा में बढ़ रहा है।

- अनुमान है कि कर-जीडीपी अनुपात 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। 2023-24 के बजट में यह अनुपात 11.1 रहने का अनुमान है। साथ ही, वित्तीय प्रबंधन के जो उपाय अपनाए जा रहे हैं, उनसे संकेत मिलते हैं कि कर राजस्व में निरंतर स्थायित्व बना रहेगा ताकि सरकार की बढ़ती ज़रूरतें पूरी की जा सकें और ऋणों का सहारा न लेना पड़े।

भविष्य की राह

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 सहित, पिछले कुछ वर्षों से राजकोषीय स्थायित्व बनाए रखने के लिए समग्र नीतियाँ अपनाई हैं। सरकार घाटे को निरंतर कम करने तथा वित्तीय मजबूती बढ़ाने की राह पर चल रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से, 2023-24 के बजट में अधिक पूंजीगत व्यय के जो प्रावधान किए गए हैं उनसे अधिक निवेश, रोज़गार और वृद्धि हासिल होगी सरकार का (4-आई: इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एवं इन्क्लूसिव) अर्थात् समुचित मूलभूत ढांचा, निवेश, नवाचार तथा समावेशन का संकल्प सफल हो सकेगा। उम्मीद है कि कड़े अनुशासन के साथ राजस्व व्यय और अधिक पूंजीगत व्यय की राह अपनाने से अर्थव्यवस्था की पिछले तीन सालों की गिरावट की प्रवृत्ति पलटी जा सकेगी और अर्थव्यवस्था दमदार होकर विकास-पथ पर बढ़ चलेगी। वित्तीय सुप्रबंधन और मजबूती से ही सतत प्रगति और सामाजिक विकास के लक्ष्य हासिल हो सकेंगे। बजट में प्रस्तावित परिणामों को हासिल करने के लिए हर कार्य का विश्वसनीय तरीके से क्रियान्वयन तथा निगरानी के साथ-साथ सरकार द्वारा इन कार्यों को पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ किया जाना अनिवार्य होगा।

संदर्भ

- 2003-04 से 2023-24 तक के केंद्रीय बजट की रिपोर्टें तथा बजट के बाद के विश्लेषणों की रिपोर्टें
- महापात्र, ए.के. (2020), फिस्कल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क एंड डेफिसिट इंडिकेटर्स, योजना, वॉल्यूम 64, अंक 3, पृष्ठ 35-39

व्यवसाय के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण

सरकार व्यवसाय सुगमता बढ़ाने के लिये अनेक कदम उठा रही है। अनुपालनों का बोझ कम किया जा रहा है ताकि व्यवसाय के लिये अनुकूल वातावरण बन सके। इन कदमों का उद्देश्य स्टार्टअप समेत अर्थव्यवस्था के सभी पक्षों, क्षेत्रों और उद्योगों को लाभ पहुँचाना है।

इनमें से कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं -

1. आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण और रिकॉर्ड दायर करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण,
2. निरर्थक कानूनों को रद्द, संशोधित या समाहित कर उन्हें तार्किक बनाना,
3. ऑनलाइन इंटरफेस के जरिये डिजिटलीकरण कर भौतिक स्वरूपों और रिकॉर्डों को खत्म करना तथा
4. मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक भूलों को वैध बनाना।

सरकार ने खास तौर से स्टार्टअप संस्थाओं के लिये व्यवसाय करना और पूंजी जुटाना आसान बनाने तथा अनुपालनों का बोझ घटाने के अनेक उपाय किये हैं। इन संस्थाओं के लिये 50 से ज्यादा महत्वपूर्ण नियामक सुधार किये गये हैं।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की मौजूदा योजनाओं के अलावा सरकार ने भारत में स्वदेशी और विदेशी निवेश बढ़ाने के अनेक कदम उठाये हैं। इनमें माल और सेवा कर लागू किया जाना, कॉरपोरेट करों में कटौती, वित्तीय बाज़ार सुधार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सुदृढ़ीकरण, चार श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश-फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट

(एफडीआई) नीति की खामियों को दूर करना, अनुपालन बोझ में कमी, सरकारी खरीद आदेशों के जरिये स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के नीतिगत उपाय तथा चरणबद्ध मैनुफैक्चरिंग कार्यक्रम शामिल हैं। देश में एफडीआई को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने निवेशकों के अनुकूल नीति अपनायी है। सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण कुछ खास क्षेत्रों को छोड़ कर ज्यादातर क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के शत-प्रतिशत एफडीआई की इजाज़त दी गयी है। एफडीआई नीति की नियमित तौर पर समीक्षा की जाती है ताकि भारत निवेशकों के लिये आकर्षक और अनुकूल देश बना रहे। इस नीति में कोई भी बदलाव करने से पहले उद्योगों के प्रमुख संगठनों, प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है।

इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली-नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) शुरू की है। भारत में निवेशक, उद्यमी और व्यवसाय इस प्रणाली के जरिये जरूरी अनुमतियों का पता लगा कर उन्हें हासिल भी कर सकते हैं। एनएसडब्ल्यूएस सरकार से व्यवसाय (जी2बी) की विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मंजूरीयों के लिये आवेदन करने का एकल इंटरफेस मुहैया कराती है। इसमें किसी निवेशक के विवरण के आधार पर विभिन्न अनुमतियों के लिये आवेदन-पत्र के खाने खुद भर जाते हैं और काम का दोहराव नहीं होता।

स्रोत: पीआईबी

